VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

अप्रैल - 2019

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) 6

1.1. चुनावी बॉण्ड 6

1.2. आदर्श आचार संहिता 8

1.3. वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल 10

1.4. न्यायिक जवाबदेहिता 11

1.5. पार्श्व प्रवेश 13

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 16

2.1. इंडो-पैसिफिक रीजनल कोऑपरेशन 16

2.2. भारत की विकास भागीदारी 19

2.3. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 22

2.4. अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध 25

2.5. शस्त्र व्यापार संधि 27

2.6. मसूद अज़हर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित 28

2.7 लीबिया संकट 28

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 31

3.1. भारतीय सांख्यिकी प्रणाली 31

3.2. पूँजी खाता उदारीकरण 33

3.3. लघु वित्त बैंक 35

3.4. अर्थोपाय अग्रिम 37

3.5. सर्कुलर ट्रेडिंग 38

3.6. ई-वे बिल प्रणाली में परिवर्तन 39

3.7. म्युनिसिपल बॉण्ड्स 39

3.8. राष्ट्रीय शहरी नीति फ्रेमवर्क का प्रारूप 41

3.9. एशियाई चाय गठबंधन 44

4. सुरक्षा (Security) 46

4.1. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 46

5. पर्यावरण (Environment) 48

5.1. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 48

VISION IAS

5.2. अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र 49
5.3. फ्लाई ऐश की उपयोगिता 52
5.4. भारत स्टेज मानदंड 54
5.5. इनडोर वायु प्रदूषण 56
5.6. नदी प्रदूषण 57
5.7. पीटलैंड 60
5.8. जैवविविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं पर वैश्विक आंकलन रिपोर्ट 61
5.9. इकोलॉजिकल सैनिटेशन 62
5.10. पशु क्रूरता संबंधी मुद्दे कृषि मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित 63
5.11. फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 64
5.12. आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा हेतु गठबंधन 65
5.13. यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स 66
5.14. ग्रीष्मकालीन जुताई 67

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 69

6.1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार 69
6.2. लर्निंग आउटकम-बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क 71
6.3. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 72
6.4. भारत में EAT-लैंसेट कमीशन फूड प्लैनेट हेल्थ रिपोर्ट जारी की गई 72
6.5. स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का 2019 74

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 76

7.1. ब्लैक होल 76
7.2. चंद्रयान-2 77
7.3. नासा द्वारा ब्रह्माण्ड के प्रथम अणु की खोज 78
7.4. मलेरिया वैक्सीन 78
7.5. थ्री-पैरेंट बेबी 80
7.6. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 82

8. संस्कृति (Culture) 85

8.1. जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष 85
8.2. कोहिमा के युद्ध की 75वीं वर्षगांठ 86
8.3. चारमीनार 87

VISION IAS

8.4. कोन्याक नृत्य 87
8.5. भारती लिपि 88
9. नीतिशास्त्र (Ethics) **90**
9.1. मतदान संबंधी नीतिशास्त्र 90
10. संक्षिप्त सुर्खियाँ (News in Short) **92**
10.1. शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 92
10.2. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 92
10.3. सॉवरेन इंटरनेट लॉ 92
10.4. भारत के प्रधानमंत्री रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित 92
10.5. कफाला प्रणाली 93
10.6. एशिया और अफ्रीका में त्रिकोणीय विकास सहयोग 93
10.7. न्यूजेन मोबिलिटी समिट 93
10.8. ग्लोबल कोएलिशन ऑन क्लीन कूलिंग 94
10.9. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 94
10.10. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 95
10.11. फेस ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट 95
10.12. राइस नॉलेज बैंक 96
10.13. 20वीं पशुधन गणना 96
10.14. माईग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2018 96
10.15. खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2019 96
10.16. ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 97
10.17. वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS) पुरस्कार 97
10.18. USTR ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया 97
10.19. सैन्य अभ्यास 98
10.20. INS इम्फाल 98
10.21. निर्भय मिसाइल 98
10.22. विश्व का सबसे बड़ा विमान 99
10.23. होप प्रोब प्रोजेक्ट 99
10.24. रॉयल सोसायटी ऑफ़ लंदन 99
10.25. हनीपॉट 99

VISION IAS

10.26. AJIT 99
10.27. सरस्वती सम्मान 100
10.28. हालिया GI टैग 100
11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes In News) 102
11.1. नई यूरिया नीति, 2015 102

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. चुनावी बॉण्ड

(Electoral Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक **अंतरिम आदेश** में सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा **बेनामी चुनावी बॉण्ड्स** के माध्यम से प्राप्त किए गए **चंदे का विवरण** भारत निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

- चुनावी बॉण्ड योजना की घोषणा **केंद्रीय बजट 2017-18 में "देश में राजनीतिक वित्त-पोषण की प्रणाली को पारदर्शी बनाने"** के उद्देश्य से गई थी।
- चुनावी बॉण्ड्स वस्तुतः वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934; जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; आयकर अधिनियम, 1961** और **कंपनी अधिनियम** में किए गए संशोधनों द्वारा प्रस्तावित किए गए थे।
- हालांकि, इस योजना के कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो राजनीतिक वित्त-पोषण की पारदर्शिता पर प्रश्न-चिन्ह लगाते हैं।
- कुछ याचिकाकर्ताओं ने चुनावी बॉण्ड योजना पर रोक लगाने हेतु उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।
- निर्वाचन आयोग ने भी योजना में उन प्रावधानों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में एक शपथ-पत्र दायर किया है, जो देश में राजनीतिक वित्त-पोषण पर गंभीर प्रतिप्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।

चुनावी बॉण्ड योजना के विपक्ष में याचिकाकर्ताओं के तर्क

- **राजनीतिक वित्त-पोषण में अपारदर्शिता का समावेश:** सामान्य नागरिक यह जानने में सक्षम नहीं हैं कि कौन व्यक्ति किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दे रहा है? साथ ही बॉण्ड राजनीतिक दानदाताओं की अनामिकता में भी वृद्धि करता है-
  - राजनीतिक दलों के लिए वित्त-पोषण के स्रोतों को घोषित करने हेतु नियमों को **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C** में उल्लिखित किया गया है। 2017 से पूर्व, सभी पंजीकृत दलों के लिए इस अधिनियम के तहत 20,000 रुपये से अधिक के स्वीकृत सभी चंदों (डोनेशन) को घोषित करना अनिवार्य था। हालांकि, वित्त अधिनियम में किए गए एक संशोधन के द्वारा चुनावी बॉण्ड को इस धारा के दायरे से बाहर रखा गया है। अतः यह प्रावधान **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में हुए उल्लंघन (चुनावी बॉण्ड के संदर्भ में) की जांच करने से ECI** को प्रतिबंधित करता है।
  - इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दल आयकर अधिनियम, 1961 की **धारा 13A** के तहत वार्षिक तौर पर अपना आयकर रिटर्न जमा करने के लिए विधिक रूप से बाध्य हैं। हालाँकि, चुनावी बॉण्ड को आयकर अधिनियम से भी छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार, सभी दाताओं के नाम, पते आदि के रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- **कॉर्पोरेट दुरुपयोग की संभावनाओं का बढ़ना:** उल्लेखनीय है कि अब एक कंपनी के लिए विगत तीन वर्षों के उसके निवल लाभ पर आरोपित 7.5% की उच्चतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इसके कारण कॉर्पोरेट वित्तीयन में कई गुना वृद्धि हुई है, क्योंकि कोई भी कंपनी (घाटे में चल रही कंपनी भी) असीमित चंदा दे सकती है और इस पर अब कोई भी सीमा नहीं है। इस प्रकार, चुनावी बॉण्ड जैसे अस्पष्ट और अपारदर्शी साधनों के माध्यम से मुख्यतया राजनीतिक दलों हेतु वित्तीयन का अनुमार्गण करने के लिए अनैतिक तत्वों द्वारा कंपनियों का गठन किया जा सकता है।
- **सत्तारूढ़ दल का पक्ष-पोषण करती है:** सरकार के स्वामित्वाधीन बैंक होने के कारण भारतीय स्टेट बैंक (SBI) दानकर्ताओं की समग्र सूचना को संगृहीत करेगा। यह सत्तारूढ़ दल हेतु तो अनुकूल हो सकता है परन्तु दंड दिए जाने के भय के कारण विपक्षी दल को दान देने से कुछ संस्थाओं को निरुद्ध भी कर सकता है। उदाहरणार्थ- सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने **2019 के केवल दो महीनों में 1,716 करोड़** रुपये की विशाल राशि के चुनावी बॉण्ड निर्गमित किए हैं तथा **वर्ष 2017-18 में** सत्तारूढ़ दल ने **विक्रय किए गए सभी चुनावी बॉण्ड्स का 94.6%** प्राप्त किया था।

चुनावी बॉण्ड योजना के विपक्ष में निर्वाचन आयोग के तर्क

- **यह योजना भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को नियंत्रित करने की अनुमति प्रदान नहीं करती,** क्योंकि किसी राजनीतिक दल को एक चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त हुए चंदे को योगदान रिपोर्ट के तहत की जाने वाली रिपोर्टिंग के दायरे से बाहर रखा गया है। उदाहरणार्थ- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 राजनीतिक दलों को सरकारी कंपनियों से अनुदान ग्रहण करने से प्रतिबंधित करता है।

VISION IAS

- **यह अनियंत्रित विदेशी फंडिंग की अनुमति देती है:** विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act: FCRA) में किया गया एक संशोधन राजनीतिक दलों को भारतीय कंपनियों में बहुलांश हिस्सेदारी (मेजॉरिटी स्टेक) वाली विदेशी कंपनियों से वित्त-पोषण प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके कारण विदेशी कंपनियां भारतीय नीतियों को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

चुनावी बॉण्ड के पक्ष में सरकार के तर्क

- **यह राजनीतिक वित्त-पोषण में नकदी के प्रयोग को सीमित करता है:** जैसा कि पूर्व में व्यक्तियों/कॉर्पोरेट्स द्वारा वित्त-पोषण के अवैध साधनों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक चंदे के रूप में बड़े पैमाने पर नगद में राशि दी जाती थी तथा ऐसे चंदे देने वाले व्यक्ति अज्ञात होते थे। इस प्रकार विगत प्रणाली पूर्णतया अपारदर्शी थी तथा पूर्ण अनामिकता सुनिश्चित करती थी।
- **निम्नलिखित युक्तियों के माध्यम से काले धन पर नियंत्रण:**
  - चुनावी बॉण्ड के निर्गमन हेतु भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट या चेक के द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली या क्रेता के 'खाते' से प्रत्यक्ष निकासी (डेबिट) के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इस प्रकार इन बॉण्ड्स की खरीद हेतु काला धन प्रयुक्त नहीं हो सकता।
  - इन बॉण्ड्स के क्रेताओं के लिए KYC अनिवार्यताओं का अनुपालन करना आवश्यक है। साथ ही लाभार्थी राजनीतिक दल को प्राप्त धन की रसीद का प्रकटीकरण करना होता है और प्राप्त धन का लेखा प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होता है।
  - बॉण्ड की वैधता हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि बॉण्ड एक समानांतर मुद्रा न बन सके।
- **चन्दा देने वाले व्यक्ति को राजनीतिक उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा:** क्योंकि दानकर्ता की पहचान का गैर-प्रकटीकरण योजना का मूल उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त क्रेता का रिकॉर्ड बैंकिंग चैनल में सदैव उपलब्ध रहेगा तथा प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा आवश्यकतानुसार इसे कभी भी पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।
- **पर्याप्त रक्षोपायों से युक्त:** जैसे कि बहुलांश हिस्सेदारी वाले किसी घरेलू कंपनी से बॉण्ड्स के माध्यम से प्राप्त चंदे उसके द्वारा KYC मानदंडों और फेमा (FEMA) दिशा-निर्देशों का अनुपालन किये जाने की दशा में ही अनुमत हैं।
- **कपटपूर्ण राजनीतिक दलों का अपवर्जन:** यह ऐसे दलों को बाहर कर देती है जो कर वंचना के आधार पर निर्मित किये गये हैं क्योंकि इस योजना में राजनीतिक दलों के लिए अर्हता हेतु एक कठोर उपबंध समाविष्ट किया गया है।

कुछ उपाय जो चुनावी बॉण्ड्स के पूरक हो सकते हैं-

- पूर्ण डिजिटल लेन-देनों को अपनाना।
- **कॉर्पोरेट-राजनीतिक गठजोड़ (नेक्सस) के विघटन हेतु** एक निश्चित सीमा से ऊपर के चंदे सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
- राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे के अधीन लाया जाना चाहिए।
- एक **राष्ट्रीय निर्वाचन निधि** की स्थापना जिसमें दानकर्ता योगदान करेंगे तथा विभिन्न दलों में निधियों का आबंटन किया जाएगा।

राजनीतिक वित्त-पोषण का परिशोधन

- **चुनावी बॉण्ड क्या है?**
  - राजनीतिक दलों को बेनामी चंदा प्रदान करने हेतु एक ब्याज मुक्त वित्तीय उपकरण।
- **इस बॉण्ड को कौन खरीद सकता है?**
  - भारत का कोई नागरिक और देश में निगमित कोई निकाय।
- **बॉण्ड मूल्यवर्ग:** SBI की चयनित शाखाओं से एक हजार रुपये, दस हजार रुपये, एक लाख रुपये, दस लाख रुपये तथा एक करोड़ रुपये के बॉण्ड्स खरीदे जा सकते हैं।
- **बॉण्ड्स को कब खरीदा जा सकता है?**
  - प्रत्येक जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में दस दिनों हेतु उपलब्ध।
- **अवधि:** निर्गमन से 15 दिनों के भीतर किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में प्रतिदेय।
- **चुनावी बॉण्ड्स के माध्यम से चंदा प्राप्त करने हेतु कौन-से राजनीतिक दल पात्र हैं?**
  - वे राजनीतिक दल जिन्होंने विगत लोकसभा या राज्य विधानसभा निर्वाचनों में कम से कम 1% मत सुनिश्चित किए हैं तथा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं।
- **अन्य विवरण:**
  - राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड्स के माध्यम से प्राप्त धन की मात्रा का रिटर्न दायर कराने की

VISION IAS

आवश्यकता होती है। दानकर्ता कर कटौती हेतु पात्र होंगे जबकि राजनीतिक दलों को कर छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते राजनीतिक दल द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया हो।

- SBI सरकार द्वारा चुनावी बॉण्ड्स के विक्रय हेतु प्राधिकृत एकमात्र बैंक है।
- चुनावी बॉण्ड्स का स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार नहीं किया जा सकता।
- इन्हें ऋण हेतु संपार्श्विक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तथा ये केवल भौतिक स्वरूप में ही उपलब्ध होंगे।

निष्कर्ष

चुनावी बॉण्ड योजना उचित दिशा में प्रारम्भ की गई एक प्रक्रिया है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं और ECI द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान आवश्यक है ताकि योजना में निहित उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके।

1.2. आदर्श आचार संहिता

(Model Code of Conduct)

सुर्खियों में क्यों?

17वीं लोकसभा हेतु आयोजित भारतीय आम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की अनेक घटनाएं घटित हुई हैं।

आदर्श आचार संहिता (MCC) के बारे में

- MCC वस्तुतः चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की एक व्यवस्था है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जो भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के निरीक्षण की शक्ति प्रदान करता है।
- **चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही MCC लागू हो जाती है** तथा परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहती है। इसे **भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल एवं अन्य** से संबंधित वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था।
- इसे चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करने, चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं शुचिता सुनिश्चित करने, दलों के मध्य झड़पों एवं विवादों से बचाव तथा शांति एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लक्षित किया गया है। इस प्रकार, इसके तहत सामान्य आचरण, बैठकों, जुलूसों, मतदान केंद्रों, पर्यवेक्षकों, राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा-पत्रों आदि से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र या राज्यों में सत्तारूढ़ दल, चुनाव में अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी **आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग न कर पाएं।** MCC के अंतर्गत नई योजनाओं की घोषणा करने, विज्ञापनों हेतु सरकारी कोष का उपयोग करने आदि के संबंध में मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के आचरण के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

आदर्श आचार संहिता का विकास

- MCC के उद्भव को **1960 के केरल विधानसभा चुनावों** से संबद्ध किया जाता है, जहाँ राज्य प्रशासन द्वारा राजनीतिक नेताओं के लिए एक **'आचार संहिता'** का निर्माण किया गया था।
- इसके पश्चात्, 1962 के लोकसभा चुनावों में ECI ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को इस आचार संहिता का वितरण किया।
- वर्ष 1991 तक MCC का क्रियान्वयन सुव्यवस्थित नहीं था, क्योंकि इसकी उन राजनीतिक दलों द्वारा व्यापक रूप से अवहेलना की जाती थी जो प्रायः उग्र राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा के स्थान पर लोकलुभावन घोषणाओं और अक्षम अधिकारियों के परिनियोजन जैसी भ्रष्ट निर्वाचक प्रथाओं का आश्रय लेते थे।
- **वर्ष 1991 के पश्चात् MCC का क्रियान्वयन:**
  - तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) टी. एन. शेषन के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने MCC के क्रियान्वयन हेतु नवीन साधनों का प्रयोग किया। ECI ने प्रमुख राजनीतिक अभिकर्ताओं की सार्वजनिक रूप से निंदा की तथा निर्वाचनों को स्थगित भी किया; इस प्रकार निर्वाचन तिथि निर्धारित करने हेतु ECI की शक्तियों की पुनर्व्याख्या हुई।
  - उस समय तीव्रता से प्रसारित होते मीडिया ने उत्साह के साथ इन पहलों की रिपोर्टिंग की। साथ ही प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों का लाभ उठाकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अभिकर्ताओं ने MCC का गंभीरतापूर्वक अनुपालन करना आरंभ कर दिया।

आचार संहिता की विधिक स्थिति

- MCC विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हालाँकि, **भारतीय दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** जैसी अन्य विधियों में संबंधित प्रावधानों के माध्यम से MCC को लागू किया जा सकता है।
- निर्वाचन आयोग MCC को विधिक रूप से बाध्यकारी बनाए जाने के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करता रहा है। निर्वाचन आयोग का मत है कि निर्वाचन अपेक्षाकृत अल्पावधि (लगभग 45 दिन) के भीतर पूर्ण हो जाने चाहिए जबकि न्यायिक प्रक्रियाएं सामान्यतया दीर्घावधि तक चलती रहती हैं।
- दूसरी ओर वर्ष 2013 में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने MCC को विधिक रूप से बाध्यकारी बनाए जाने तथा इसे जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 का एक अनिवार्य भाग बनाए जाने के संदर्भ में अनुशंसा की थी।

आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन के समक्ष व्याप्त समकालीन चुनौतियाँ

- **चुनावी कदाचारों के नवीन स्वरूपों का उदय:**
  - **मीडिया के माध्यम से हेर-फेर करना-** राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा मीडिया के दुरुपयोग का पता लगाना कठिन होता है।
- **MCC के उल्लंघन के प्रति प्रतिक्रिया हेतु ECI की दुर्बल क्षमता:**
  - सक्षम राजनीतिक अभिकर्ताओं के अनुचित कथनों के प्रति **दुर्बल या विलंबित प्रतिक्रिया**। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अभिकर्ता प्रतिफलों के भय के बिना MCC के उल्लंघन का साहस कर पा रहे हैं।
  - **डिजिटल सामग्री-** अधिकांश सूचना (निर्वाचन संबंधी) का प्रवाह राजनीतिक दलों के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के माध्यम से नहीं बल्कि तृतीय पक्ष अनुबंधों के माध्यम से होता है। यद्यपि, ECI ने प्रमुख अभिकर्ताओं हेतु एक स्व-विनियामक सोशल मीडिया संहिता विकसित की है तथापि टेलीग्राम और वीचैट (WeChat) जैसे अनेक मंच राजनीतिक लामबंदी हेतु तेजी से प्रासंगिक बनते जा रहे हैं।
  - **कुछ मुद्दों पर वाद-विवाद-** जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन आदि। कुछ राजनीतिक दलों ने यह आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल ने ऐसे मुद्दों का दुरुपयोग किया है। परन्तु निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ये मुद्दे MCC के दायरे में नहीं आते।

निर्वाचन संहिता के उल्लंघन के निहितार्थ

- **यह निर्वाचन आयोग की स्थिति को कमजोर करता है-** क्योंकि आयोग की विश्वसनीयता और प्राधिकार का ह्रास होता है।
- **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के सिद्धांत की अवहेलना-** क्योंकि धनबल अथवा बाहुबल के प्रयोग जैसे प्रकरण सभी भागीदारों के मध्य समान प्रतिस्पर्धा को बाधित करते हैं।
- **विमर्श का निष्पादन से पहचान की ओर स्थानांतरण-** क्योंकि राजनीतिक दल मत सुनिश्चित करने हेतु जाति और सामुदायिक भावनाओं का प्रयोग करते हुए MCC दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हैं।
- **भारतीय लोकतंत्र में जन विश्वास का ह्रास-** क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का वायदा कदाचित अप्रभावी हो गया है।

आगे की राह

- **MCC में लोगों को शामिल करने की आवश्यकता-** चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर सूचना प्रदान करने हेतु नागरिकों को सक्षम बनाने हेतु **'सी-विजिल' (cVIGIL)** जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ावा देना। यदि लोग MCC का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों और दलों को अस्वीकृत कर देते हैं तो यह MCC का पालन करने हेतु प्रत्याशियों पर अंतर्निहित दबाव का सृजन करेगा।
- **निर्वाचन विवादों के समाधान हेतु फ़ास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना-** ताकि जब कभी ECI कोई दंडात्मक कार्यवाही सम्पादित करे तब इस पर अंतिम निर्णय को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किया जा सके।
- **भारत के निर्वाचन आयोग को सुदृढ़ बनाना-** निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों एवं निष्कासन में व्यापक पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा अर्द्धसैनिक बलों एवं अन्य सुविधाओं हेतु केंद्र सरकार पर ECI की निर्भरता को भी कम किया जाना चाहिए।

VISION IAS

1.3. वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल

(Voter Verified Paper Audit Trail: VVPAT)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा **"निर्वाचन प्रक्रिया में अधिकतम सटीकता एवं संतुष्टि सुनिश्चित करने हेतु"** वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) सत्यापन को विस्तारित करते हुए प्रत्येक विधानसभा खंड/निर्वाचन क्षेत्र में **यादृच्छिक आधार पर चयनित पांच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs)** को सत्यापित करने (VVPAT द्वारा) का आदेश दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पूर्व, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों के तहत **प्रत्येक विधानसभा खंड/निर्वाचन क्षेत्र** में केवल एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से प्राप्त **VVPAT पर्चियों के भौतिक सत्यापन** का प्रावधान शामिल था।
- हाल ही में, विभिन्न विधानसभा निर्वाचनों में VVPAT मशीनों में परिलक्षित दोषों के कारण 21 विपक्षी दलों द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 50% या 125 मतदान केंद्रों हेतु VVPAT सत्यापन के लिए अपील की गई थी।
- हालांकि ECI ने 50% सत्यापन के क्रियान्वयन में विद्यमान विभिन्न समस्याओं को इंगित किया है, जैसे कि:
  - VVPAT की गणना एक हस्तचालित कार्य है। इस हेतु अत्यधिक हस्तचालित मानवीय श्रम की आवश्यकता होगी, जिससे **त्रुटि संबंधी जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है।**
  - VVPAT पर्ची की गणना संबंधी कार्य में वृद्धि होने पर निर्वाचन अधिकारियों के **व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण** की आवश्यकता होगी।
  - विपक्षी दलों की इस मांग को स्वीकार करने की स्थिति में निर्वाचन परिणामों में लगभग **छह दिनों का विलंब हो जाएगा।**
- भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक रिपोर्ट में यह वर्णित किया गया है कि कुल 10.35 लाख मशीनों में से 479 EVMs और VVPATs के नमूनों के सत्यापन से जन विश्वास में 99.9936% तक की वृद्धि होगी।
  - VVPAT सत्यापन को अब 5 EVMs तक विस्तारित करने से यह संख्या भारतीय सांख्यिकी संस्थान की रिपोर्ट में अनुशंसित **सैंपल साइज़ से 8.6 गुना हो जाएगी।**

वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)

- VVPT को बैलट यूनिट के साथ मतदान कक्ष में रखा जाएगा।
- VVPAT में एक पारदर्शी स्क्रीन लगी होती है जो मतदान के पश्चात् मुद्रित पर्ची प्रदर्शित करती है।
- मुद्रित पर्ची मतदाता के समक्ष 7 सेकंड के लिए उसके द्वारा चयनित प्रत्याशी का नाम, उसकी क्रमांक संख्या और उसका चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करेगी।
- 7 सेकंड के पश्चात् मुद्रित पर्ची स्वत: VVPAT से अलग होकर नीचे रखे एक सीलबंद बक्से में गिर जाएगी।
- VVPATs वर्तमान आम चुनावों में सभी मतदान केन्द्रों पर प्रयुक्त की जाएगी।
- VVPATs का प्रथम प्रयोग वर्ष 2013 में नागालैंड में नोक्सेन विधानसभा सीट के लिए आयोजित उप-चुनाव में किया गया था।
- निर्वाचनों के संचालन नियम के अनुसार यदि कोई मतदाता शिकायत करता है कि उसका मत उसके द्वारा चयनित दल से भिन्न किसी अन्य दल के पक्ष में दर्ज हो गया है तो उसे मतदान की जांच करने का एक अवसर प्रदान किया जा सकता है। हालांकि, यदि VVPAT कोई भी त्रुटि प्रदर्शित नहीं (no error) करता है तो मतदाता को छह माह के कारावास और अर्थदंड से दण्डित भी किया जा सकता है।
- VVPAT पर्चियों की गणना रिटर्निंग ऑफिसर की सतर्क निगरानी और पर्यवेक्षक के प्रत्यक्ष निरीक्षण में विशेष रूप से निर्मित VVPAT गणना कोष्ठों (booths) में सम्पादित की जाती है।
- उल्लेखनीय है कि VVPATs से निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।

VISION IAS

1.4. न्यायिक जवाबदेहिता

(Judicial Accountability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय की एक पूर्व कर्मचारी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। ज्ञातव्य है कि इस वाद ने **न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेहिता** के मध्य एक वाद-विवाद को पुनर्प्रारंभ किया है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय लोकतंत्र **'विधि के शासन'** के सिद्धांत के अनुसार संचालित होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि **'कोई भी क़ानून से ऊपर नहीं है'।** भारत का संविधान भारतीय न्यायपालिका को भारतीय लोकतंत्र के **अभिभावक और संरक्षक** की भूमिका प्रदान करता है।
- न्यायपालिका एक प्रहरी की भूमिका का निष्पादन करती है, जो किसी भी प्रकार के स्वैच्छिक/मनमाने उल्लंघनों के विरुद्ध मूल और विधायी अधिकारों का परिरक्षण एवं प्रवर्तन करती है।
- हालाँकि, अनेक क्षेत्र एवं दृष्टान्त रहे हैं जिनमें स्वयं **न्यायपालिका की कार्यवाहियां** ही इससे असंगत होने के कारण **संदेहास्पद हो गई हैं** और इस प्रकार न्यायपालिका की जवाबदेहिता का मुद्दा उत्पन्न हुआ है।
- **जवाबदेहिता** का आशय यह है कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कोई भी कार्यवाही **न्यायोचित स्पष्टीकरण** के अधीन होती है। सभी सार्वजनिक संस्थानों एवं पदाधिकारियों को, चाहे उनकी भूमिका और पदानुक्रम कुछ भी हो, अपने कृत्यों हेतु भारतीय जनता के प्रति **जवाबदेह होना आवश्यक है।**
- भारतीय संविधान **शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत** का पालन करता है जिसके तहत राज्य के प्रत्येक अंग के संचालन पर नियंत्रण एवं संतुलन लागू होता है। भारत में राज्य के दो अंग- विधायिका और कार्यपालिका समग्र रूप से न्यायपालिका एवं देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि **"न्यायपालिका किसके प्रति जवाबदेह है"** तथा **"न्यायाधीशों की न्यायोचितता का निर्धारण कौन करता है?"**

न्यायिक जवाबदेहिता की जांच हेतु संस्थानिक तंत्र

- वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय ने **"रीस्टेटमेंट ऑफ़ वैल्यूज ऑफ़ जुडिशियल लाइफ" (न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन)** नामक एक चार्टर अपनाया था।
- इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य संकल्प भी अपनाए गए हैं:
  - उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश द्वारा संपत्तियों की घोषणा।
  - न्यायाधीशों के विरुद्ध दुर्व्यवहार या कदाचार के किसी भी आरोप की जांच हेतु एक संस्थानिक प्रक्रिया का सूत्रीकरण जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसके कुछ वरिष्ठ सहयोगियों द्वारा जाँच हेतु उपयुक्त माना जाए।
- वर्ष 2002 में **न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांतों (Bangalore Principles of Judicial Conduct)** को अपनाया गया था।

न्यायिक जवाबदेहिता के अभाव से ग्रस्त क्षेत्र

- **न्यायिक नियुक्तियां:** भारत में कॉलेजियम प्रणाली एक विशिष्ट व्यवस्था प्रस्तुत करती है जिसमें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कार्यपालिका और संसद की न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं होती।
- **न्यायाधीशों को हटाना:** संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217(1) के तहत न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया जहाँ एक ओर राजनीतिक रूप से जटिल कार्य है वहीं दूसरी ओर यह एक लंबी एवं कठिन प्रक्रिया है।
- **न्यायाधीशों का आचरण:** न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार (न्यायमूर्ति रामास्वामी वाद और न्यायमूर्ति सौमित्र सेन वाद), दुर्विनियोजन, यौन उत्पीड़न, सेवानिवृत्त होने के पश्चात् कोई लाभ का पद ग्रहण करने आदि के अनेक आरोप लगाए जा चुके हैं।
- **न्यायपालिका के परिचालनों में अपारदर्शिता:** न्यायपालिका का यह दावा है कि "न्यायपालिका पर अनुशासनात्मक शक्तियों को धारण करने वाला कोई भी बाह्य निकाय उनकी स्वतंत्रता को कमज़ोर करेगा", अतः उन्होंने भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए **'आंतरिक तंत्र'** स्थापित किया है।
  - विगत वर्ष उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने वादों के आवंटन में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका के विरुद्ध एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की थी।

VISION IAS

- **न्यायपालिका के साथ सूचना असममिति:** वस्तुतः न्यायपालिका ने स्वयं को **सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI)** की परिधि से बाहर रखा है। उच्चतम न्यायालय के नियम चार मूल तरीकों से RTI को क्षीण करते हैं क्योंकि यहाँ निम्नलिखित की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है:
  - सूचना प्रस्तुत करने हेतु एक निर्धारित समय-सीमा की ।
  - एक अपील तंत्र की।
  - सूचना प्रदान करने में विलंब अथवा दोषपूर्ण अस्वीकरण हेतु दंड की।
  - "समुचित कारण दर्शाने" पर नागरिकों के समक्ष प्रासंगिक प्रकटीकरण की ।
- **न्यायालय की अवमानना:** न्यायालय अवमान अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के कारण न्यायपालिका पर यथोचित आलोचना के दमन के भी आरोप लगाए गए हैं।
- **न्यायिक अतिक्रमण:** नागरिकों की शिकायतों के समाधान के प्रति अपनी सक्रियता हेतु न्यायपालिका की प्रशंसा भी की गई है, हालाँकि इस प्रक्रिया में न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार-क्षेत्रों का अतिक्रमण भी किया है।

न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010

- यह राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति, शिकायत संवीक्षा पैनल तथा एक जांच समिति की स्थापना का प्रावधान करता है। कोई भी व्यक्ति 'दुर्व्यवहार' के आधार पर किसी न्यायाधीश के विरुद्ध निगरानी समिति में शिकायत दर्ज करवा सकता है।
- दुर्व्यवहार के आधार पर किसी न्यायाधीश की पदच्युति से संबंधित समावेदन को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा समावेदन अतिरिक्त जांच हेतु निगरानी समिति को प्रेषित किया जाएगा।
- निगरानी समिति न्यायाधीशों को परामर्श या चेतावनी जारी कर सकती है तथा उनकी पदच्युति हेतु राष्ट्रपति के समक्ष अनुशंसा भी प्रस्तुत कर सकती है।

निहितार्थ

- **न्यायाधीशों और न्यायिक प्रणाली में जन विश्वास में कमी:** न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा और जवाबदेहिता का मुद्दा उत्पन्न होने पर।
- **न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभाव:** जब स्वतंत्रता के अनुरूप जवाबदेही का अभाव हो।
- **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध:** उदहारण के लिए- जब मुख्य न्यायाधीश "मास्टर ऑफ द रोल्स" के संबंध में निर्णय ले और उसी वाद में स्वयं भी एक पक्षकार हो।

अब तक उठाए गए कदम

- न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2003 का पुरःस्थापन।
- न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 का पुरःस्थापन।
- संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम** का एकमत से पारित किया जाना (जिसे उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया)।
- **प्रक्रिया ज्ञापन, 2016 के प्रारूप** पर विचार-विमर्श।

प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of Procedure: MoP), 2016 के प्रारूप की महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु "प्रमुख मानदंड" के रूप में "योग्यता और सत्यनिष्ठा" का समावेश।
- **किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति हेतु प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन:** किसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के प्रदर्शन का मूल्यांकन विगत पांच वर्षों के दौरान उस न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों के मूल्यांकन और न्यायिक प्रशासन में सुधार हेतु उसके द्वारा निष्पादित पहलों के आधार पर किया जाएगा।
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रिकॉर्डों के रख-रखाव, कॉलेजियम की बैठकों की योजना तैयार करने, नियुक्तियों से संबंधित मामलों में अनुशंसाओं और साथ ही साथ शिकायतों की प्राप्ति हेतु उच्चतम न्यायालय में **एक स्थायी सचिवालय की स्थापना** करना।

उठाये जा सकने वाले कदम

- सर्वोच्च न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने हेतु विधिक रूप से प्रवर्तनीय मानकों के एक समुच्चय के सृजन के लिए एक नवीन न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक प्रस्तुत करना तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायतों की प्रक्रिया हेतु एक नवीन संरचना की स्थापना करना।
- न्यायाधीशों हेतु एक अधिक **औपचारिक एवं व्यापक आचार संहिता** निर्मित की जानी चाहिए जो **विधि द्वारा प्रवर्तनीय** हो।

VISION IAS

- न्यायालय अवमान विधेयक को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ संशोधित किया जा सकता है:
  - अवमानना के वादों की सुनवाई न्यायालयों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि संबंधित जिले के एक स्वतंत्र आयोग द्वारा की जानी चाहिए।
  - आपराधिक अवमानना की परिभाषा से 'न्यायालय की निंदा करना अथवा उसके प्राधिकार को अवनत करना' जैसे पदों को हटाकर अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए।
  - हालांकि, ईमानदार न्यायाधीशों पर लगाए गए मिथ्या एवं दुर्भावनापूर्ण आरोपों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के दुरुपयोग के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- **एक द्विस्तरीय न्यायिक अनुशासन मॉडल** की आवश्यकता है, जिसमें प्रथम स्तर एक अनुशासनात्मक प्रणाली हो जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों को प्रतिरक्षा हेतु कुछ सीमित उपाय प्रदान करते हुए उनके दुराचरण हेतु उनकी भर्त्सना की जा सके, उन पर अर्थदंड आरोपित किये जा सके या उन्हें निलम्बित किया जा सके। द्वितीय स्तर पर प्रमाणित भ्रष्टाचार सहित गंभीर कदाचार हेतु न्यायाधीशों की पदच्युति की व्यवस्था होनी चाहिए।
- **न्यायालयों में लोक सुनवाई में पारदर्शिता में वृद्धि करना**: विगत वर्ष, उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक महत्त्व के वादों की अदालती प्रक्रिया के सीधे प्रसारण की अनुमति प्रदान की थी। इस प्रावधान को अन्य वादों और उच्च न्यायालयों तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए।
- न्यायपालिका में जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों को ग्रहण करने और कार्यवाही आरम्भ करने की शक्तियों के साथ एक **स्वतंत्र न्यायिक लोकपाल** की स्थापना करना आवश्यक है। यह न्यायपालिका एवं सरकार दोनों से स्वतंत्र होना चाहिए।

1.5. पार्श्व प्रवेश

(Lateral Entry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा भारत सरकार के अधीन **संयुक्त सचिव** के रूप में कार्य करने हेतु **नौ पेशेवरों** का चयन किया गया है।

पृष्ठभूमि

- इससे पूर्व, **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT)** द्वारा **10 संयुक्त सचिव स्तर के पदों** हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इनकी नियुक्ति प्रदर्शन के आधार पर **3 से 5 वर्ष के अल्पकालिक अनुबंध पर** की जानी थी।
- UPSC द्वारा इन पेशेवरों की अनुशंसा के पश्चात्, अब इनकी नियुक्ति को **भारत निर्वाचन आयोग** और आगामी सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी अनिवार्य है।
- **पार्श्व प्रवेश** वस्तुतः प्रशासनिक पदानुक्रम के मध्य या वरिष्ठ स्तरों पर केवल पदोन्नति के माध्यम से नियमित नियुक्ति के बजाय **संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (डोमेन एक्सपर्ट्स)** की प्रत्यक्ष नियुक्ति किए जाने को संदर्भित करता है।
  - प्रशासनिक सुधारों की चर्चा में **सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ** विषय पर बहस प्रारंभिक समय से ही होती रही है।
  - विभिन्न पेशेवरों, आयोगों और राजनीतिक टिप्पणीकारों द्वारा **पार्श्व प्रवेश** का समर्थन किया गया है।
  - इससे पूर्व भी भारत में **मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, नीति आयोग आदि के विशिष्ट पदों पर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है**। लेकिन अब तक यह **भर्ती प्रक्रिया की संस्थागत विशिष्टता** नहीं बन सकी है।

पार्श्व प्रवेश की आवश्यकता

- **नीति निर्माण में नए आयामों और नई प्रतिभाओं का समावेशन:** नीति निर्माण प्रक्रिया की प्रकृति निरंतर जटिल होती जा रही है जिसके कारण महत्वपूर्ण पदों पर विशिष्ट कौशल और संबंधित क्षेत्र विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना आवश्यक है।
  - IAS अधिकारियों द्वारा सरकार की कार्य प्रणाली का केवल आंतरिक रूप से ही अवलोकन किया जाता है जबकि पार्श्व प्रवेश सरकार को विभिन्न हितधारकों, जैसे- निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र और जनसामान्य पर अपनी नीतियों के प्रभाव के आंकलन हेतु सक्षम बनाएगा।
  - प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा 1965 में विशेषज्ञता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसके अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ समिति और होता समिति द्वारा क्रमशः 2003 और 2004 में तथा इसके पश्चात् द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इसकी पुनः पुष्टि की गई।

- **दक्षता और शासन में वृद्धि**:
    - अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति संबंधी प्रगति (Career progression) लगभग स्वचालित होती है जो अधिकारियों में उदासीनता की भावना का समावेश कर सकती है। इस स्थिति में पार्श्व प्रवेश के द्वारा नियुक्ति विद्यमान प्रणाली में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर सकती है।
    - नीति आयोग द्वारा 2017-2020 के लिए अपने तीन वर्षीय कार्य एजेंडे में वर्णित किया गया है कि शासन तंत्र में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को पार्श्व प्रवेश के माध्यम से शामिल किया जाए, क्योंकि यह "स्थापित करियर ब्यूरोक्रेसी" के मध्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा"।
- **शासन की जटिलता में वृद्धि:** वैश्वीकरण, शासन के डिजिटलीकरण, वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर अपराध, संगठित अपराध, आतंकवाद व जलवायु-परिवर्तन जैसे नए मुद्दों के उद्भव के कारण दक्षता और क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञता की आवश्यकता है।
- **अधिकारियों के रिक्तता अंतराल की पूर्ति:** कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में देश में लगभग 1,500 IAS अधिकारियों के पद रिक्त हैं। बासवान समिति (2016) ने भी अधिकारियों की कमी को देखते हुए पार्श्व प्रविष्टि का समर्थन किया था।
- **नियुक्ति के लिए प्रतिभा पूल को विस्तारित करने में सहायक:** कम आयु में IAS अधिकारियों की भर्ती संभावित प्रशासनिक और निर्णयन क्षमताओं की जांच को कठिन बनाता है। प्रशासनिक रूप से कुछ दक्ष अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में असफल हो जाते हैं, जबकि सफल होने वाले कुछ अभ्यर्थियों के पास उपयुक्त दक्षता की कमी होती है।

पार्श्व प्रवेश के पश्चात् सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **उपयोगिता के प्रयोग की सीमा:** अर्थात् सरकार इन पेशेवरों की विशेषज्ञता का लाभ किस स्तर तक उठा सकती है। यह मुख्यतः इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि राजनीतिक कार्यपालिका इन बाह्य विशेषज्ञों की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने की कितनी इच्छुक है और क्या इनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए एक सक्षम परिवेश का निर्माण किया गया है।
- **उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन:** निजी क्षेत्र से शामिल इन सदस्यों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों के लिए (विशेष रूप से 3 से 5 वर्ष की एक छोटी अवधि के कार्यकाल के आलोक में) उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना अत्यधिक कठिन है।
- **दीर्घकालिक संबद्धता का अभाव:** वर्तमान सिविल सेवा का सकारात्मक पक्ष यह है कि दीर्घ कार्यावधि युक्त नियमित नीति निर्माताओं के सरकार में दीर्घकालिक हित निहित होते हैं।
- **फील्ड आधारित व्यवहारिक अनुभव की कमी:** पार्श्व प्रवेश के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों में विशिष्ट क्षेत्र संबंधी ज्ञान अधिक हो सकता है, किंतु उनमें "फील्ड" में कार्य का व्यवहारिक अनुभव तुलनात्मक रूप से कम होगा।
- **नियमित नौकरशाही द्वारा प्रतिरोध किया जा सकता है:**
    - **सहयोग में कमी:** मौजूदा अधिकारी **बाह्य सदस्यों** के साथ कार्य करने का विरोध कर सकते हैं और **सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञों** के मध्य अपरिहार्य तनाव सामने आ सकता है।
    - **नौकरशाही की कार्य संस्कृति को समायोजित करने में कठिनाई:** परस्पर संबोधित करने के शिष्टाचार, कार्य की गति, नियमों का ज्ञान, समयबद्धता आदि के संबंध में।
    - **यह नियमित नौकरशाही को उसकी पूर्ण क्षमता एवं निष्पक्षता से कार्य करने के प्रति हतोत्साहित कर सकता है:** इसके बाद से नियमित नौकरशाहों के पास शीर्ष स्तर के प्रबंधकीय पदों पर पहुंचने का पर्याप्त आश्वासन नहीं रह जाएगा। संयुक्त सचिव और इससे उच्च पदों के लिए एक अनुबंध-आधारित प्रणाली को अपनाने से यह संदेश जाएगा कि लगभग 15-18 वर्षों की सेवा अवधि के पश्चात् ये केवल 'मिड-करियर पोजीशन' ही प्राप्त करने में सक्षम होंगे और इसके ऊपर की पदोन्नति के संबंध में पर्याप्त अनिश्चितता की स्थिति व्याप्त रहेगी।
- **आरक्षण संबंधी मुद्दा:** यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पार्श्व प्रवेश के माध्यम से भर्ती में आरक्षण को लागू किया जाएगा अथवा नहीं।

आगे की राह

- **पूर्व के अनुभवों से सीखने की आवश्यकता:** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संचालन हेतु निजी क्षेत्र के प्रबंधकों को शामिल करने का पूर्ववर्ती अनुभव पर्याप्त संतोषजनक नहीं रहा है। उदाहरण स्वरूप- एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस आदि।
- **पार्श्व प्रवेशकों के दीर्घ कार्यकाल को सुनिश्चित करना:** उन्हें अपने दायित्वों को बेहतर रूप से समझने, सीखने और दृष्टिकोण व कार्य की रूपरेखा को कार्यान्वित करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- पार्श्व प्रवेश की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के अतिरिक्त भी विभिन्न सुधारों की आवश्यकता है, जैसे:
  - **आकांक्षी और सेवारत लोक सेवकों के लिए लोक प्रशासन विश्वविद्यालयों की स्थापना करना:** यह आकांक्षी लोक सेवकों के एक विशाल पूल का निर्माण करने के साथ-साथ लोक सेवकों को देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का गहन ज्ञान, क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञता और बेहतर प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है।
  - **निजी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति:** एक संसदीय पैनल द्वारा क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु IAS और IPS अधिकारियों की निजी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति की अनुशंसा की गई है।
  - **प्रत्येक विभाग के लिए लक्ष्य निर्धारण और उनकी समीक्षा व्यवस्था को संस्थागत बनाना:** प्रत्येक मंत्रालय और सरकारी एजेंसी द्वारा स्पष्ट समय सीमा के साथ परिणाम आधारित लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए।

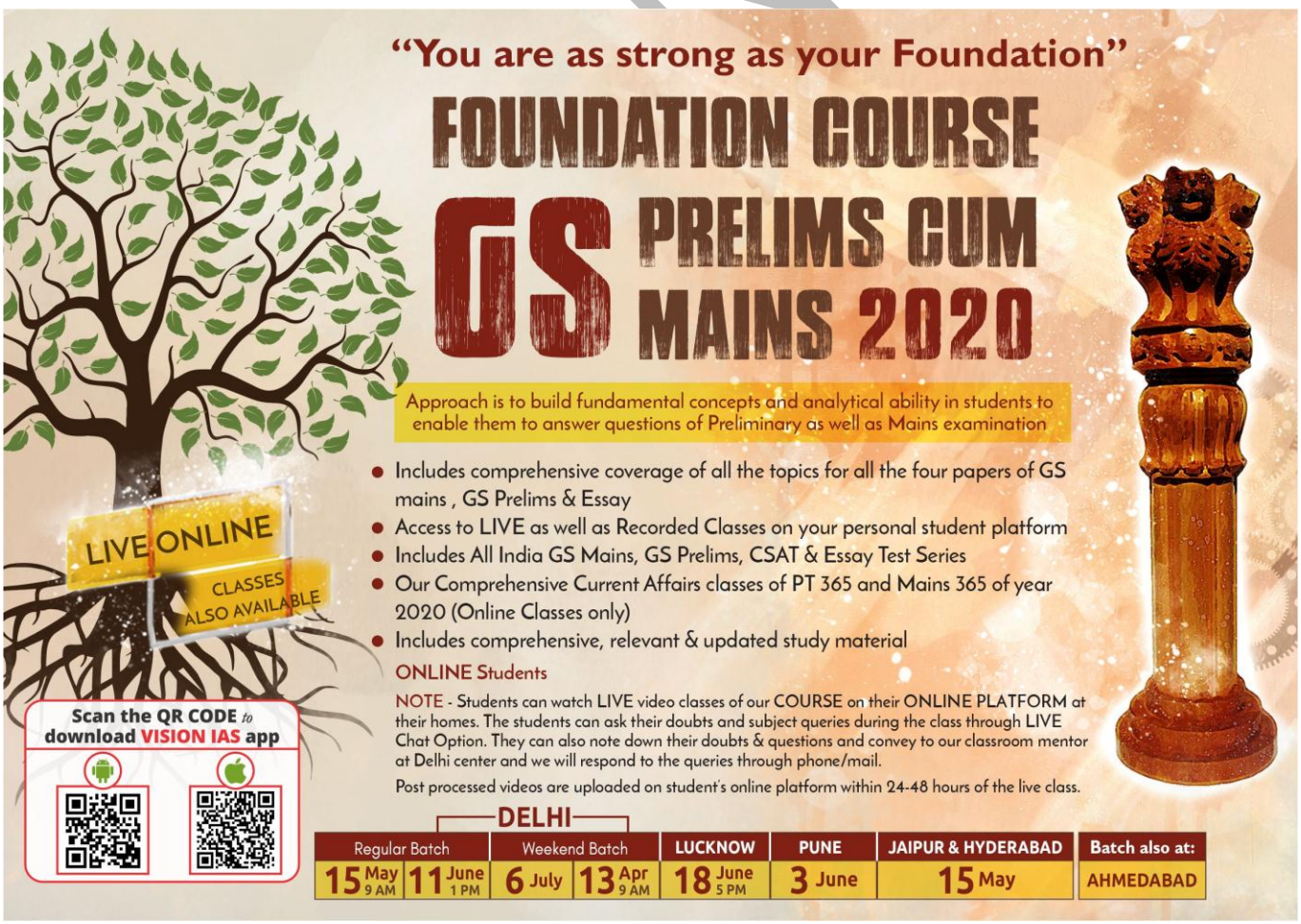

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. इंडो-पैसिफिक रीजनल कोऑपरेशन

(Indo-Pacific Regional Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विदेश मंत्रालय ने **इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत)** से संबंधित मामलों के लिए एक समर्पित **इंडो-पैसिफिक डिवीजन** की स्थापना की है।

पृष्ठभूमि

"इंडो-पैसिफिक" के विचार की कल्पना मूल रूप से 2006-07 में की गयी थी। 'इंडो-पैसिफिक' पद पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से संलग्न सागरों को शामिल करते हुए **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र** को एक **एकल क्षेत्रीय संरचना** के रूप में प्रस्तुत करता है।

इंडो-पैसिफिक के लिए भारत का दृष्टिकोण

शांगरी ला डायलॉग में, भारत ने इंडो-पैसिफिक की अवधारणा को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया है:

- यह एक स्वतंत्र, खुले एवं समावेशी क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो प्रगति और समृद्धि के साझे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सभी संबंधित पक्षों को सम्मिलित करता है। यह इस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सभी देशों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों के उन देशों को भी शामिल करता है जिनके हित इस क्षेत्र में निहित हैं।
- दक्षिण-पूर्व एशिया इसके केंद्र में स्थित है और साथ ही इसके भविष्य के निर्धारण में आसियान (ASEAN) की केंद्रीय भूमिका है।
- वार्ता के माध्यम से इस क्षेत्र के लिए एक सामान्य नियम-आधारित व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। ये नियम और मानदंड सभी की सहमति पर आधारित होने चाहिए, न कि केवल कुछ की शक्तियों पर।
- भारत इस क्षेत्र में संरक्षणवाद की वृद्धि के स्थान पर सभी के लिए समान प्रतिस्पर्द्धा को सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है। साथ ही भारत मुक्त और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के विकास हेतु प्रतिबद्ध है।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण कारक है और भारत इसके लिए दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, हिंद महासागर, अफ्रीका, पश्चिम एशिया एवं अन्य क्षेत्रों में स्वयं तथा अन्य देशों (जैसे- जापान) के साथ मिलकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

भारत के दृष्टिकोण को हिंदी में पाँच 'स' (अंग्रेजी में 'S') में संक्षेपित किया जा सकता है: **सम्मान** (रिस्पेक्ट); **संवाद** (डायलॉग); **सहयोग** (कोऑपरेशन), **शांति** (पीस) तथा **समृद्धि** (प्रॉस्पैरिटी)।

भारत के लिए इंडो-पैसिफिक का महत्व

- **इस क्षेत्र में व्यापक भूमिका:** यह अवधारणा वस्तुतः **एशिया-पैसिफिक** {जिसमें उत्तर-पूर्व एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और ओशिनिया (OCEANIA) शामिल हैं} से स्थानान्तरण (शिफ्ट) को इंगित करता है, जहाँ भारत के लिए एक बड़ी भूमिका के निर्वहन हेतु विशेष अवसर नहीं था। वर्ष 1989 में स्थापित एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) और वर्ष 1996 में स्थापित एशिया-यूरोप मीटिंग (ASEM) में भारत को शामिल नहीं किया गया था (हालांकि वर्ष 2006 में ASEM में भारत को शामिल किया गया)। अमेरिका APEC में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है, लेकिन इसके बावजूद यह APEC का सदस्य नहीं है, **जबकि, भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का एक प्रमुख अभिकर्ता है।**
- **एक सक्षम सुरक्षा प्रदाता की भूमिका का निर्वहन करता है-** भारत से अपेक्षित है कि वह इस क्षेत्र में **क्षमता निर्माण, सैन्य कूटनीति, सैन्य सहायता और प्रत्यक्ष तैनाती के माध्यम से स्थिरता स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा।**
- **आर्थिक क्षमता विकसित करने में सहायक-** भारत द्वारा 7.5-8% आर्थिक संवृद्धि दर बनाए रखने और 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंडो-पैसिफिक इस लक्ष्य की प्राप्ति में निम्न प्रकार से सहायक हो सकता है-
  - **प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति-** दक्षिण चीन सागर में तेल और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति, जो भारत को अपनी आयात बास्केट में विविधता लाने में सहायता प्रदान कर सकती है।

VISION IAS

- **उच्च बाजार संभावनाएँ-** भारतीय निर्यात जैसे अभियांत्रिकी सेवाओं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं आदि के लिए उच्च निर्यात क्षमता की उपस्थिति।
- **पूर्वोत्तर राज्यों का विकास-** जो इस क्षेत्र को एकीकृत करने हेतु भारत का प्रवेश द्वार बन सकते हैं।
- **ब्लू इकोनॉमी सम्बन्धी आकांक्षाओं का एकीकरण-** महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र पर्याप्त, न्यायसंगत और संधारणीय तरीके से आर्थिक एवं सामाजिक लाभ के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम हैं।

- **नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना:** इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार हेतु मलक्का जलडमरूमध्य सहित कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग और विश्व के महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स विद्यमान हैं। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार हिंद महासागर के माध्यम से होता है।
- **एक सुरक्षा संरचना विकसित करना:** इस क्षेत्र में देशों के मध्य क्षेत्रीय और जल संबंधी विवाद, समुद्री डकैती संबंधी चिंताएं, उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता तथा क्षेत्र के सैन्यीकरण में विस्तार जैसे मुद्दे विद्यमान हैं।
- **चीन का प्रतिउत्तर:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी सहित चीन की आक्रामक विस्तारवादी प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र चीन की प्रमुख रणनीतिक सुभेद्यता (अर्थात् इसकी एनर्जी लाइफलाइन हिंद महासागर से गुजरती है) का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही यह भारतीय नौसेना की क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करके चीन के व्यवहार को उदार बनाने और उसकी भविष्य की आक्रामकता में कमी करने में सहायता प्रदान करेगा।
- **सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है-**
  - **यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के विस्तार में सहायक है।**
  - परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जैसे **बहुपक्षीय समूहों में प्रवेश** और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने में सहायक।
  - **छोटी शक्तियों के साथ गठबंधन-** क्योंकि यह पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में तथा हिंद महासागर क्षेत्र में सुदृढ़ आर्थिक एवं सुरक्षा गठबंधन विकसित करते हुए चीन के साथ निरंतर संपर्क को बनाए रखेगा।
  - **बंदरगाहों की बढ़ती भूमिका-** विभिन्न देशों द्वारा इस क्षेत्र के विभिन्न बंदरगाहों पर अपने सैन्य अड्डों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे- भारत द्वारा सैन्य उपयोग के लिए मॉरीशस में अगालेगा द्वीप का विकास और ओमान में दुक्म बंदरगाह को विकसित किया गया है। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर में एक लॉजिस्टिक सुविधा प्राप्त की है जो इसे ईंधन भरने (refuel) और सैन्य सामग्री उपलब्ध (rearm) कराने का अवसर प्रदान करेगी तथा वियतनाम में भी इसी प्रकार की सुविधा का विकास किया गया है।

भारतीय पहलें

- मालाबार, RIMPAC जैसे संयुक्त रक्षा अभ्यास के माध्यम से **रक्षा सहयोग**; **अंतर-संचालनीयता (inter-operability)** जिसमें देश एक-दूसरे के सैन्य स्थलों का प्रयोग कर सकते हैं।
- **FIPIC-भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (फिपिक)।**
- **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर:** भारत, जापान और अनेक अफ्रीकी देशों की सरकारों के मध्य एक आर्थिक सहयोग समझौता।
- **SAGAR दृष्टिकोण:** क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास।
- **प्रोजेक्ट मौसम:** इसका उद्देश्य बहुआयामी हिंद महासागर क्षेत्र में सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और धार्मिक संबंधों की विविधता को ज्ञात करने के लिए पुरातात्विक और ऐतिहासिक शोध संचालित करना है।
- **इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग।**

संबंधित तथ्य

इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग (IPRD)

- हाल ही में **इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग (IPRD)** का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- भारतीय नौसेना ने क्षेत्र के लिए इंडो-पैसिफिक के महत्व को रेखांकित करते हुए वर्ष 2018 में इस शीर्ष स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ किया।
- इसे नौसेना के ज्ञान भागीदार (नॉलेज पार्टनर) के रूप में **नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन** द्वारा आयोजित किया जाता है।
- इस वार्षिक वार्ता का स्थायी विषय (थीम) इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत के अवसरों एवं चुनौतियों की समीक्षा है।
- 2018 संस्करण में भारत की समुद्री नीति के निर्धारकों, नीति-निर्माताओं और देश की समुद्री नीतियों का क्रियान्वयन करने वालों के समक्ष आने वाले अवसरों पर बल दिया गया है।

VISION IAS

- **2019 डायलॉग के विषय (थीम)**
  - समुद्री संपर्क के माध्यम से क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करने के लिए व्यावहारिक समाधान।
  - एक स्वतंत्र और खुले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के उपाय।
  - 'ब्राउन' से 'ब्लू' अर्थव्यवस्था में क्षेत्र के संक्रमण के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण।
  - 'इंडस्ट्री 4.0' के समुद्री प्रभाव से उत्पन्न होने वाले अवसर एवं चुनौतियाँ।
  - 'सागर' (SAGAR) और 'सागरमाला' (SAGARMALA) जैसी दोहरी अवधारणाएँ क्षेत्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से किस प्रकार मजबूत हो सकती हैं।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र हेतु अन्य देशों द्वारा किए गए प्रयास

- **क्वाड-प्लस (QUAD Plus):** इस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और आसियान (ASEAN) के देश एक साथ आगे आए हैं।
- **ऑस्ट्रेलिया:** वर्ष 2013 में ऑस्ट्रेलिया ने अपना रक्षा श्वेत पत्र जारी किया था, जिसके माध्यम से प्रथम बार इंडो-पैसिफिक शब्दावली की औपचारिक अभिव्यक्ति की गई थी तथा इसमें इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की केंद्रीय भूमिका का समर्थन किया गया था।
- **संयुक्त राज्य अमेरीका:**
  - हाल ही में अमेरिका ने अपने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैसिफिक कमांड (PACOM) का **US इंडो-पैसिफिक कमांड** के रूप में नाम परिवर्तित कर यह संकेत दिया गया है कि अमेरिकी सरकार के लिए पूर्वी एशिया और हिंद महासागर का क्षेत्र उत्तरोत्तर एकल प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के रूप में उभर रहा है तथा भारत इस रणनीतिक योजना में एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है।
  - अमेरिका की वर्ष 2018 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति भी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को स्वीकार करती है तथा इंडो-पैसिफिक के प्रति अमेरिका के संकल्प और स्थायी प्रतिबद्धता का संकेत देती है।
- **जापान** की मुक्त और खुली इंडो-पैसिफिक रणनीति "दो महासागरों" (हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर) तथा "दो महाद्वीपों" (अफ्रीका व एशिया) पर आधारित है।
- **इंडोनेशिया** ने एक खुले, पारदर्शी और समावेशी संवाद में सहयोग पर बल दिया है।

एक पृथक इंडो-पैसिफिक विंग के लाभ

- **एकीकृत दृष्टिकोण का निर्माण:** पूर्व में इस क्षेत्र के साझे दृष्टिकोण को विभाजित करते हुए आसियान क्षेत्र और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए पृथक कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया था। अतः नियमों को अधिक स्पष्ट करने और इंडो-पैसिफिक के विचार को मूर्त स्वरूप प्रदान करने के पश्चात् इस एकीकृत डिवीजन द्वारा अधिक सामंजस्य एवं फोकस हेतु सभी संबंधित मुद्दों को एक ही मंच पर लाया जाएगा।
- **बेहतर नीति निर्माण:** नीति निर्माण के लिए विदेश मंत्रालय (MEA) के क्षेत्रीय विभाग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से संबंधित भारत की तैयारियों और प्रारूपों को तीव्र करने में सहायक होगा।
- **सुगम समन्वय स्थापित करने में सहायक:** अन्य देशों द्वारा इंडो-पैसिफिक के प्रति अपने दृष्टिकोण के पुनः अभिमुखीकरण के आलोक में, विदेश मंत्रालय के ये क्षेत्रीय विभाग अन्य देशों के एक **समर्पित विभाग** के साथ सुगम समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे।
- **इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करना:** प्रत्येक क्षेत्रीय विभाग की अध्यक्षता एक पृथक संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है, जिससे नीति को एक सुसंगत स्वरूप प्रदान करना महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
- **इस क्षेत्र में भारतीय डायस्पोरा का लाभ पहुँचाना:** ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैलेडोनिया, फिजी और न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या निवास करती है, जो दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत (पड़ोसी) देशों व भारत के मध्य सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक मुक्त मार्ग प्रदान करते हैं।

VISION IAS

चुनौतियां

- **क्षमता निर्माण की आवश्यकता:** भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को चीन के प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तित होने से रोकने हेतु प्रयासरत है, किंतु इसके पास इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए **पर्याप्त संसाधनों का अभाव है।** न तो भारत के पास चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए विश्वसनीय विकल्प प्रदान करने हेतु पर्याप्त आर्थिक संसाधन हैं और न ही सभी संबंधित पक्षों जैसे अमेरिका एवं रूस के साथ एक ही समय में सार्थक संबद्धता बनाए रखने हेतु पर्याप्त राजनयिक क्षमता है। चीन की आक्रामकता और ऋण जाल कूटनीति (जो राष्ट्रों की संप्रभुता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है) भारतीय कूटनीति के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।
- **निर्बाध संपर्क:** इस क्षेत्र के देशों के मध्य निर्बाध संपर्क एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।
- **पूर्वोत्तर राज्यों की भूमिका:** जब तक ये राज्य पर्याप्त स्तर तक विकसित नहीं होंगे, तब तक भारत द्वारा अपनी क्षमता का अधिकतम संभावित सीमा तक उपयोग नहीं किया जा सकता।
- **क्षेत्र में व्याप्त विषमता:** आकार, नृजातीयता तथा आकांक्षाओं के संदर्भ में विद्यमान विषमता के कारण विभिन्न देशों के साथ एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना अत्यधिक कठिन है।
- **डी-ग्लोबलाइजेशन:** पश्चिमी विश्व द्वारा अपनाई गई संरक्षणवाद की नीति एक साझे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए आयात शुल्क, तेल आयात आदि जैसे मुद्दों पर इस प्रकार के सहयोग में अवरोध उत्पन्न करती है।

आगे की राह

- **APEC में भारत के प्रवेश** की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान की जानी चाहिए।
- **अवसंरचनात्मक निवेश पहलों का विकास:** अन्य देशों के मध्य आर्थिक व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रों के बीच संपर्क और अंतर-संचालनशीलता का विकास करना।
- **कूटनीतिक समन्वय क्षेत्र** को वर्तमान क्वाड देशों (अर्थात् भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) की व्यवस्था से **अधिक विस्तृत क्षेत्र तक विस्तारित किया जाना चाहिए,** ताकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की साझी चिंताओं पर व्यापक सहमति निर्मित की जा सके।
- **भू-रणनीतिक अवधारणा** के रूप में इंडो-पैसिफिक का उद्भव एक सकारात्मक विकास है। हालाँकि, इसे और अधिक राजनयिक गतिशीलता तथा आर्थिक मुद्दों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने की आवश्यकता है।

2.2. भारत की विकास भागीदारी

(India's Development Partnership)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रियायती ऋणों के माध्यम से विभिन्न देशों को प्रदान की जाने वाली भारत की विकास भागीदारी सहायता विगत पाँच वर्षों में दोगुनी से भी अधिक हो गई है।

पृष्ठभूमि

- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की विदेश नीति **पंचशील** एवं **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** जैसे सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हुई है। सीमित संसाधनों वाला एक निर्धन देश होने के बावजूद भारत द्वारा अपने अल्प संसाधनों एवं क्षमताओं को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का निर्वहन किया गया है।
- ऐसा विश्वास किया गया कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव को साझा करने के साथ-साथ अन्य विकासशील देशों के अनुभवों से भी लाभ प्राप्त कर सकता है। यद्यपि भारत द्वारा स्वयं प्रमुख बहुपक्षीय संगठनों से बाह्य विकास सहायता प्राप्त की जाती रही है, लेकिन भारत ने सहायता प्राप्त करने और अपनी क्षमता के अनुसार अन्य देशों के साथ सहायता साझा करने में कभी भी विरोधाभास का सामना नहीं किया।
- इस प्रकार भारत ने विश्व के विभिन्न भागों में विकास, मानवीय एवं तकनीकी सहायता विस्तारित करते हुए अन्य देशों के साथ अपनी **विकास भागीदारी** को प्रारंभ किया।
- अग्रणी मंत्रालय के रूप में विदेश मंत्रालय (MEA) की भूमिका के साथ इसे विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारत की विकास भागीदारी का क्रमिक विकास	
वर्ष	**कार्यक्रम**
1949	सांस्कृतिक फ़ेलोशिप का गठन
1954	इंडियन ऐड मिशन (IAM)
1964	विकास परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा हेतु प्रथम समझौता
1961	विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक एवं समन्वय विभाग (ECD) की स्थापना
1964	भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम
1994	स्पेशल वॉलंटियर प्रोग्राम (SPV)
2003	इंडिया डेवलपमेंट इनीशिएटिव (IDI)
2004	इंडिया डेवलपमेंट एंड इकॉनोमिक असिस्टेंस स्कीम (IDEAS)
2005	विकास भागीदारी प्रभाग
2007	इंडिया इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी (IIDCA)
2012	विकास भागीदारी प्रशासन

भारत की विकास सहायता की विशिष्टताएं

- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** 2017-18 के दौरान, **भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC)** कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, खाद्य, उर्वरक, बैंकिंग, वित्त, शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में 161 भागीदार देशों को 10,918 नागरिक (असैन्य) प्रशिक्षण स्लॉट्स उपलब्ध करवाए गए, उदाहरणार्थ: इथियोपिया के 150 नौकरशाहों को भारत द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- **लाइन ऑफ़ क्रेडिट:** 2005-06 से जनवरी 2019 तक, 63 देशों को विभिन्न क्षेत्रों में **26.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की 274 लाइन ऑफ़ क्रेडिट (LOCs) प्रदान की गई हैं।
- **अवसंरचनात्मक विकास:** इससे संबंधित कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:
  - **अफगानिस्तान:** अफगानी संसद, सलमा बांध, ज़रांज-डेलाराम हाईवे परियोजना;
  - **श्रीलंका:** कोलोंबो-मटारा रेल लिंक और दक्षिणी रेलवे का नवीनीकरण;
  - **भूटान:** जलविद्युत परियोजनाएं जैसे- पुनतसांगछु-I, खोलोंगछु का विकास; और
  - **म्यांमार:** इंडिया-म्यांमार फ्रेंडशिप रोड का निर्माण, सित्तवे पत्तन का उन्नयन।
- **भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति:** नवंबर 2017 तक, विभिन्न क्षेत्रों {जैसे- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (I&CT) का क्षेत्र, नारियल कृषि संबंधी विशेषज्ञ, अंग्रेजी शिक्षक एवं आयुर्वेद का क्षेत्र} में 49 विशेषज्ञों को भागीदार देशों में प्रतिनियुक्त किया गया था।
- **स्टडी टूर:** ITEC भागीदार देशों के विशेष अनुरोध पर संचालित किए जाते हैं।
- **उपकरण प्रदान करना:** जैसे सेशेल्स को डॉर्नियर विमान एवं मालदीव को हेलिकॉप्टर प्रदान करना।
- **मानवीय सहायता:** जैसे- लेसोथो एवं नामीबिया को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति; जाम्बिया एवं सीरिया को चिकित्सा आपूर्ति; नेपाल एवं श्रीलंका में आवास निर्माण; तंजानिया में NCERT पुस्तकों की आपूर्ति करना इत्यादि।

VISION IAS

- **आपदा राहत हेतु सहायता:** 2015 में आए भूकंप के पश्चात् नेपाल एवं वर्ष 2010 में आई बाढ़ के पश्चात् पाकिस्तान को सहायता प्रदान की गई।
- **लघु विकास परियोजनाएं:** ये निम्न बजट वाली मांग-आधारित परियोजनाएं होती हैं जिनमें संबंधित देश की स्थानीय जनसंख्या द्वारा भी भागीदारी की जाती है। भारत सरकार अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, सूरीनाम, पापुआ न्यू गिनी आदि देशों में विभिन्न परियोजनाओं के परिचालन हेतु प्रतिबद्ध है।

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (Indian Technical and Economic Cooperation: ITEC) कार्यक्रम

- इसे भारतीय मंत्रिमंडल के एक निर्णय द्वारा 15 सितंबर 1964 को भारत सरकार के सहायता संबंधी द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह एक मांग-आधारित, प्रतिक्रिया-उन्मुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत एवं भागीदार राष्ट्र के मध्य नवीन तकनीकी सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
- ITEC एवं इसके साथी कार्यक्रम SCAAP (विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम) के अंतर्गत छह दशकों तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत द्वारा प्राप्त किए गए विकास संबंधी अनुभव को साझा करने के उद्देश्य से 161 देशों को आमंत्रित किया गया है।

विकास भागीदारी प्रशासन (Development Partnership Administration: DPA)

- इसकी स्थापना विदेश मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी और यह भारत की विकास साझेदारियों के समग्र प्रबंधन, समन्वय तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
- इसके अंतर्गत तीन विभाग (DPA-I, DPA-II और DPA-III) शामिल हैं।
- DPA-I अफ्रीका में अनुदान परियोजनाओं और EXIM बैंक द्वारा समर्थित लाइन ऑफ़ क्रेडिट्स (LOCs) की निगरानी करता है।
- DPA-II क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ एशिया एवं लैटिन अमेरिका में अनुदान सहायता तथा मानवीय एवं आपदा राहत कार्यक्रमों को प्रबंधित करता है।
- DPA-III अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका में अनुदान सहायता परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबद्ध है।

भारत की विकास भागीदारी की सफलताएँ

- **विदेशी सहायता प्रदाता राष्ट्र के रूप में रूपांतरण:** वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत द्वारा 7719.65 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई, जबकि इसे अन्य देशों एवं वैश्विक बैंकों से 2,144.77 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के 28 सहायता प्रदाताओं में भारत की रैंक 11 प्रदाताओं से ऊपर है और कुछ क्षेत्रों में यह सबसे बड़े विकास भागीदारों में से एक है।
- **नेबरहुड फर्स्ट हेतु प्रतिबद्धता:** विगत एक दशक में भारत द्वारा अधिकांश विदेशी सहायता, अपने पड़ोसियों को प्रदान की गई है। एक विश्लेषण के अनुसार 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय विदेशी सहायता का 84% भाग दक्षिण एशियाई देशों को दिया गया है, जिसका सर्वाधिक भाग, जो कि 63% (981 मिलियन डॉलर) है, भूटान को आबंटित किया गया है। यह एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है।
- **अफ्रीका में विस्तारित सहायता:** अफ्रीकी महाद्वीप में भारत द्वारा प्रदत्त सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क प्रोजेक्ट:** वर्ष 2004 में भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप में डिजिटल डिवाइड को कम करने तथा विकास की गति को तीव्र करने हेतु इस पहल की घोषणा की थी।
  - **TEAM-9 इनिशिएटिव:** टेक्नो-इकॉनमिक एप्रोच फॉर अफ्रीका-इंडिया मूवमेंट (TEAM-9), एक ऋण सुविधा है जिसे वर्ष 2004 में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ आठ अफ्रीकी देशों के लिए प्रारंभ किया गया था।
  - अल्प विकसित देशों हेतु **शुल्क मुक्त प्रशुल्क वरीयता (DFTP) योजना।**
  - भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा **अफ्रीकी देशों को वित्तीय सहायता हेतु बजट** निर्धारित किया जाता है।
- **भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि:** ऐडडाटा (AidData) की **लिसनिंग टू लीडर्स 2018 रिपोर्ट** में सबसे प्रभावशाली विकास भागीदारों की रैंकिंग में भारत को 24वां स्थान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 की हेल्पफुलनेस रैंकिंग में भी भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया था।

VISION IAS

चुनौतियां

- **विदेश मंत्रालय के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव:** संसदीय पैनल समेत विभिन्न स्रोतों द्वारा विदेश मंत्रालय (MEA) को हुए बजटीय आबंटन की आलोचना की गयी है। मंत्रालय की कुल निधि सिंगापुर के समकक्ष मंत्रालय की कुल निधि से भी कम है।
- **साझेदार देश से सम्बंधित समस्याएं:** वैधानिक अनुमोदन एवं भूमि अधिग्रहण में विलंब, स्थानीय लोगों द्वारा विरोध-प्रदर्शन करना (पर्यावरणविदों द्वारा अथवा निहित स्वार्थों या अन्य कारणों से), आवश्यक अवसंरचना का अभाव और कार्य संबंधी दायरे में परिवर्तन इत्यादि।
- **चीन से प्रतिस्पर्धा:** चीन ने **क्षमता, वित्त** एवं सैन्य सहायता के संदर्भ में भारत की तुलना में महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त कर ली है (उदाहरणार्थ- अफ्रीका में तेल क्षेत्रों का अधिग्रहण)। इसके अतिरिक्त, भारत **परियोजना की पूर्ति एवं निर्धारित समयसीमा के अनुपालन** के संबंध में भी चीन से काफी पीछे है। इस तथ्य को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रतिभागी देशों द्वारा रेखांकित किया गया है।
- **वैश्विक संबद्धता का अभाव:** जैसे कि चीन एवं अफ्रीकी महाद्वीप के अन्य भागीदार देशों के साथ।

महत्व

- **भारत ऐसी सहायता को "विकास सहयोग" के रूप में बताता है, न कि विदेशी सहायता के रूप में:** आधिकारिक विकास सहायता (ODA) के विपरीत, भारत एक दाता-प्राप्तकर्ता संबंध प्रस्तुत नहीं करता है; यह प्रदत्त सहायता को परस्पर लाभकारी साझेदारी के रूप में प्रतिबिंबित करता है। यह उल्लेखनीय है कि हालिया वर्षों के दौरान इस प्रकार के विकास सहयोग के स्तर में वृद्धि हुई है जबकि ODA का स्तर या तो स्थिर रहा है अथवा इसमें गिरावट दर्ज की गई है।
- भारत का विकास सहयोग **भागीदार देश द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर आधारित होता है**, जिसमें परियोजनाओं को मैत्रीपूर्ण परामर्शों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- **दायित्व को स्वीकार करना:** अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, अन्य विकासशील देशों में विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत को स्वेच्छा से वृहत्तर दायित्व को स्वीकार करना चाहिए।
- **चीन से प्रतिस्पर्धा:** चीन द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी शक्ति एवं वर्चस्व की स्थापना के लिए निरंतर किए जाने वाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रयासों को भारत द्वारा प्रति संतुलित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत द्वारा अपने सामरिक हितों की पूर्ति और सतत वैश्विक विकास एजेंडे में अपने योगदान के अनुरूप, अपनी नई भूमिका के निर्वहन और अपनी विकास सहायता एवं वैश्विक संस्थानों में अपनी भूमिका के निर्देशन व निर्वहन हेतु आवश्यक सशक्त संस्थानों तथा नेटवर्क का विकास करना अभी शेष है।
- **जर्मन डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम** से भी एक सीख प्राप्त की जा सकती है, जिसने अपनी **कोएलिशन ट्रीटी - 'शेपिंग जर्मनी फ्यूचर'** के अंतर्गत उद्देश्यों की एक व्यापक सूची तैयार की थी।
- भारत इस नए वैश्विक विकास परिदृश्य में एक प्रमुख अभिकर्ता है, न केवल उस वित्तीय सहायता के कारण जो यह प्रदान करेगा, बल्कि इसके उस प्रभाव के कारण भी जो भविष्य की वैश्विक विकास वार्ताओं को आकार प्रदान कर सकता है और दक्षिणी विश्व के नए गठबंधनों का निर्माण कर सकता है।

2.3. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव

(Belt and Road Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मई 2017 में प्रथम फोरम के आयोजन के दो वर्ष पश्चात् हाल ही में द्वितीय बेल्ट एंड रोड फोरम (BRF) का बीजिंग में आयोजन किया गया।

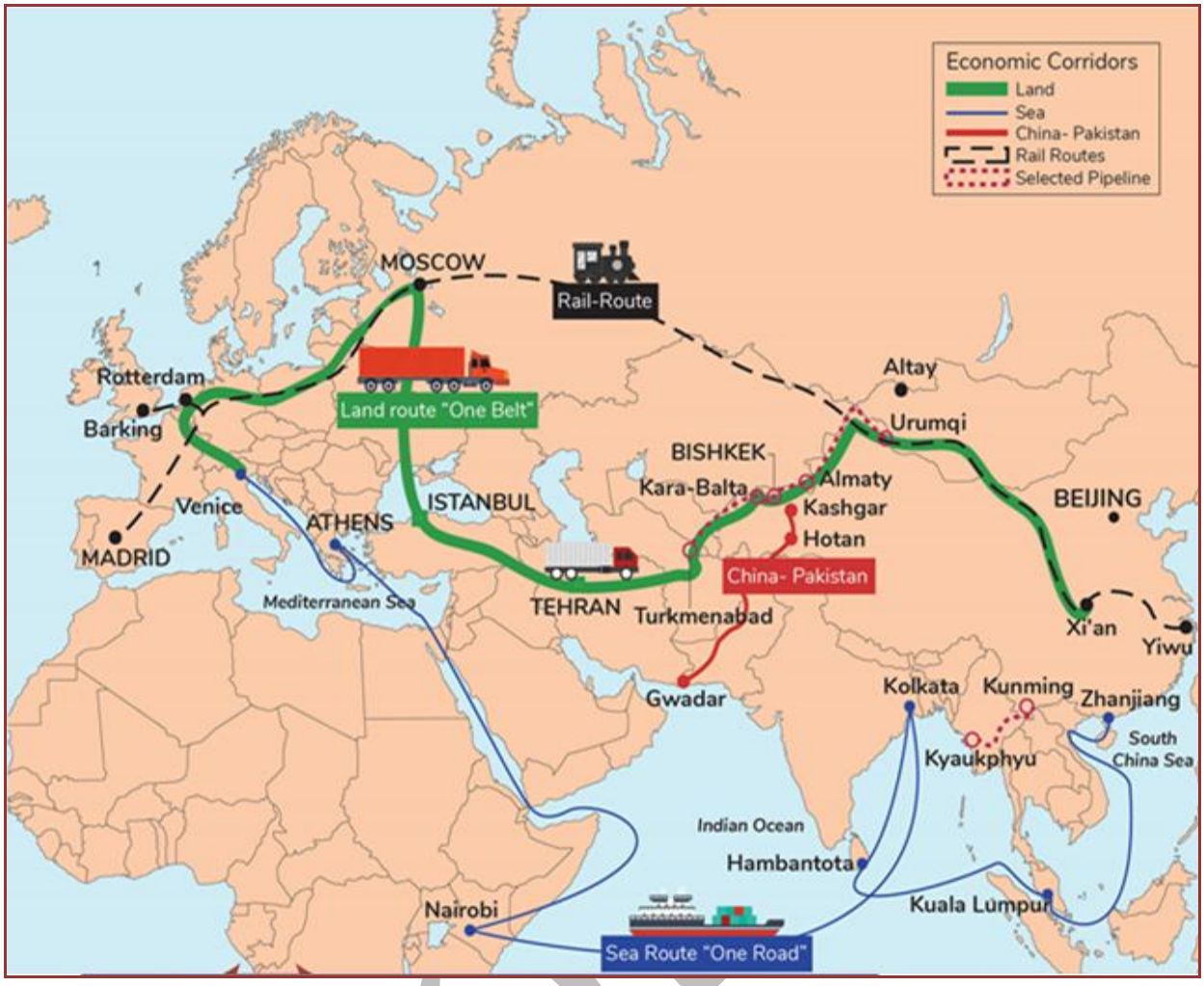

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से संबंधित तथ्य

- वर्ष 2013 में घोषित BRI वस्तुतः **"बेल्ट"** (स्थल मार्गों के लिए) और **"रोड"** (समुद्री मार्गों के लिए) से मिलकर बना है, जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ना है।
- **'बेल्ट'** शब्द **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट** को संदर्भित करता है जिसमें स्थल मार्गों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य चीन, मध्य एशिया, रूस और यूरोप को परस्पर जोड़ना है।
- **'रोड'** शब्द **21 वीं सदी के समुद्री रेशम मार्ग** को संदर्भित करता है। इसे दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के माध्यम से चीन से यूरोप तक व्यापार करने के लिए तथा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से चीन से दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में व्यापार को सुगमता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

BRI का महत्व

- वैश्विक आर्थिक मंदी के आलोक में, BRI चीन को अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने हेतु विकास का एक नया मॉडल प्रदान करता है। वन बेल्ट वन रोड (OBOR) चीनी अर्थव्यवस्था में सहायता प्रदान करने वाले क्षेत्रों, जैसे- **सड़क, रेलवे, समुद्री बंदरगाहों, विद्युत ग्रिड, तेल और गैस पाइपलाइनों एवं संबद्ध अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के नेटवर्क के निर्माण से सम्बंधित है।**
- **BRI के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आयाम हैं:** इसमें पश्चिम के विकसित बाजारों से एशिया, अफ्रीका की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ओर विस्थापन तथा साथ ही चीन की विकास रणनीति (जो विकसित पूर्वी तट क्षेत्र के बजाय मध्य और पश्चिमी चीन के प्रांतों पर केंद्रित हो रही है) में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है।
- **BRI रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण** है, क्योंकि चीन सॉफ्ट पावर के रूप में स्वयं को स्थापित करने हेतु अपनी आर्थिक शक्ति का प्रयोग करता है।

आलोचना और BRI से संबंधित मुद्दे

- BRI परियोजनाओं द्वारा कौशल या प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित नहीं किया जाता, साथ ही ये प्राप्तकर्ता देशों को ऋणग्रस्तता की ओर अग्रसरित करते हुए चीन की **ऋण-जाल कूटनीति** को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, **हंबनटोटा बंदरगाह के**

विकास संबंधी परियोजना, जिसके तहत श्रीलंका को 99 वर्षों के लिए बंदरगाह, चीन को पट्टे पर देने हेतु बाध्य किया गया था। इसके अतिरिक्त, मलेशिया, मालदीव, इथियोपिया और यहां तक कि पाकिस्तान में संचालित परियोजनाओं पर पुनर्विचार किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु द्वितीय बेल्ट एंड रोड फोरम (BRF) का महत्व

- यह चीन द्वारा **BRI के धीमी प्रगति संबंधी मुद्दों एवं चुनौतियों के समाधान** के संदर्भ में किए जाने वाले पुनः समीक्षा संबंधी प्रयासों को प्रदर्शित करता है।
- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा न केवल इस पहल के तहत की गई प्रगति का उल्लेख किया गया, बल्कि BRI से संबंधित कुछ चिंताओं को भी संबोधित किया गया, जिसमें **विशिष्टता, स्थिरता और मानक** शामिल हैं।
- यह नई पहलों (चीनी वित्त मंत्रालय के **नए डेब्ट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क**) के प्रारंभ के साथ संबंधित चिंताओं का समाधान करने हेतु चीन के प्रयासों को दर्शाता है।
- हालांकि, भारत ने क्षेत्रीय संप्रभुता और अन्य कारणों के आलोक में दोनों BRFs का बहिष्कार किया है।

- **BRI चीन की राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।** हालांकि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा अपने आर्थिक एवं राजनीतिक हितों पर चीन के कार्यों के प्रतिकूल प्रभावों के विषय में असंतोष व्यक्त किया गया है।
- **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)**, BRI का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत द्वारा BRI पर अपने असंतोष को प्रकट करने और दोनों BRFs में भाग नहीं लेने का मुख्य कारण है।
- अन्य चिंताओं में शामिल हैं:
  - परिचालन संबंधी समस्या।
  - सूचना के संदर्भ में पारदर्शिता का अभाव।
  - क्षेत्रीय सामाजिक संस्कृति के प्रभाव पर इसके मूल्यांकन का अभाव।
  - BRI परियोजनाओं के विभिन्न प्रकारों के दायरे का अतिविस्तार।
  - चीन के अवसंरचनात्मक निर्माण से उत्पन्न पर्यावरण संबंधी चिंताएँ।

भारत को BRI में क्यों शामिल होना चाहिए?

- **एशियाई युग में मुख्य भागीदार के रूप में भारत: 21वीं शताब्दी की परियोजना के रूप में परिकल्पित** BRI वस्तुतः उस पुरानी व्यवस्था के राजनीतिक अंत को इंगित करता है जिसमें G-7 राष्ट्रों ने अपने आर्थिक एजेंडे को आकार प्रदान किया था। BRI में विश्व की आधी जनसंख्या को कवर करने वाले 126 देश और 29 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं तथा इसमें शामिल न होने के कारण **भारत इस नई आर्थिक व्यवस्था में लाभ प्राप्त करने से वंचित हो सकता है।**
- **वैश्विक आर्थिक नियमों को निर्धारित करना:** BRI द्वारा संयुक्त राष्ट्र के SDGs के अनुरूप बहुपक्षवाद के मानकों को विकसित किया जा रहा है। IMF ने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए **"अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता"** के रूप में वर्णित किया है। साथ ही यह वित्तीय स्थिरता और क्षमता निर्माण से संबंधित सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को साझा करने के लिए चीनी अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। इसमें शामिल होकर भारत नए आर्थिक वैश्विक नियमों के निर्माण में सहभागिता कर सकता है।
- **भारतीय चिंताओं की अभिव्यक्ति हेतु एक मंच:** G-7 का एक सदस्य **इटली** भी BRI में शामिल है और जापान द्वारा परियोजना पर मतभेद के बावजूद विशेष प्रतिनिधियों को भेजा गया है। **BRF में शामिल होकर भारत भी संबंधित चुनौतियों की अभिव्यक्ति हेतु एक मंच के रूप में इसका प्रयोग कर सकता है।**
- भारत को परियोजना की आलोचना करने के बजाय **समस्याओं के विकल्प और समाधान उपलब्ध कराने चाहिए।** भारत को अपने कार्यान्वयन संबंधी प्रदर्शन में सुधार करना चाहिए ताकि अन्य देशों को एक व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।

भारत द्वारा BRI का बहिष्कार किए जाने के क्या कारण हैं?

- **CPEC भारत की संप्रभुता का अतिक्रमण करता है,** क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है जो भारत का क्षेत्र है। कोई भी देश एक ऐसी परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता, जो उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से संबद्ध प्रमुख चिंताओं की उपेक्षा करती है।
- भारत द्वारा **दीर्घकालिक ऋण जाल**, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और परियोजना लागतों के मूल्यांकन में पारदर्शिता एवं स्थानीय समुदायों द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक संचालन तथा रखरखाव में सहायता प्रदान करने के लिए कौशल व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी चिंताओं को भी व्यक्त किया गया है।

VISION IAS

- **भारत एक विशाल** देश है, अतः इसे इस नवनिर्मित व्यवस्था से पृथक नहीं किया जा सकता साथ ही भारत का निरंतर विरोध चीन को इन प्रमुख चिंताओं पर विचार करने के लिए विवश करेगा।

आगे की राह

- भारत द्वारा चीन को अपनी क्षेत्रीय चिंताओं के संदर्भ में सुदृढ़ता के साथ अवगत कराया जाना चाहिए और **भारत की संप्रभुता को मान्यता देते हुए उचित प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।**
- भारत द्वारा इसके पश्चिमी और पूर्वी भागों में संचालित दो BRI गलियारों को आसियान और सार्क क्षेत्र में कनेक्टिविटी संबंधी योजनाओं के साथ संबद्ध करके इन्हें **दक्षिण एशियाई स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए।**
- भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे **समान विचारधारा वाले देशों** के साथ सहयोग के द्वारा BRI का विकल्प प्रदान कर सकता है, उदाहरण- एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर आदि।

2.4. अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध

(US Sanctions on Iran)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिका द्वारा **सिग्निफिकेंट रिडक्शन एक्सेप्शंस** (तेहरान से तेल आयात करने वाले देशों पर लागू) के रूप में जानी जाने वाली प्रतिबंध संबंधी छूटों को समाप्त करके भारत को ईरान से तेल आयात न करने हेतु विवश किया जा रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आधिकारिक रूप से एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है।
- यह प्रथम अवसर है जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा औपचारिक तौर पर किसी अन्य देश की सेना को आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया गया।

पृष्ठभूमि

- US ने **वर्ष 2015 की जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन (JCPOA)** से वापसी की घोषणा करते हुए ईरान पर प्रतिबंधों को पुनःआरोपित करने का निर्णय लिया था, क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि ईरान **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)** के निरीक्षकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है।
  - इसके प्रतिक्रियास्वरूप ईरान ने कहा कि वह JCPOA का अनुपालन नहीं करेगा। इसने तेल एवं बैंकिंग संबंधी मार्गों की पुनर्बहाली करने के लिए EU-3 तथा नाभिकीय समझौते के अन्य पक्षकारों को 60 दिनों का समय दिया था।
  - इस योजना के भाग के रूप में ईरान को अपने संवर्द्धित यूरेनियम के अधिशेष को देश के भीतर भंडारित करने के बजाय विदेशों को विक्रय करना आवश्यक था।
- अमेरिका द्वारा **सिग्निफिकेंट रिडक्शन एक्सेप्शंस (SREs)** छूटें प्रदान की गईं थी, जिसके तहत **भारत एवं अन्य सात देशों** को 1 मई 2019 को समाप्त होने वाली छह माह की अवधि तक ईरान से अल्प मात्रा में तेल का आयात जारी रखने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का आयात अमेरिका के द्वितीयक प्रतिबंधों को प्रेरित करेगा।
- परिणामस्वरूप प्रतिबंधों के लागू किए जाने के पश्चात् भारतीय रिफाइनरियों ने नवंबर माह तक **ईरान से की जाने वाली तेल की खरीद को लगभग आधा कर दिया था।** ध्यातव्य है कि विगत वर्ष की तुलना में अप्रैल, 2019 तक भारत द्वारा ईरान से किए गए तेल आयात में **57 प्रतिशत की गिरावट** दर्ज की गई।

भारत के लिए निहितार्थ

- **ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव:** भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 10 प्रतिशत ईरान से आयात करता है, जिसके प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना है।
- **अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव:**
  - **मुद्रास्फीति में वृद्धि:** तेल निर्यातक देशों के संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries: OPEC) में ईरान तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान द्वारा की जाने वाली आपूर्तियों में 2,00,000 बैरल/प्रति दिन (BPD) से 1 मिलियन BPD के मध्य की कमी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2019 में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर की सीमा को पार कर गयी।

- **चालू खाता घाटा (CAD) में वृद्धि:** कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ आयात के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण CAD में वृद्धि हो जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय रुपये के मूल्य पर पड़ता है, अर्थात् रुपये के मूल्य में गिरावट आ सकती है।
- **पूंजी बाज़ार पर प्रभाव:** भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों (BSE, NSE इत्यादि) में लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि निवेशकों ने तेज़ी से अपने शेयरों को बेच दिया क्योंकि उन्हें भय था कि तेल की कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी, जो पहले से प्रभावित उपभोग दर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

- **सामरिक स्वायत्तता:** भारत, सामरिक स्वायत्तता का दावा करने तथा अमेरिका एवं ईरान दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने की परिकल्पना करता है। हालाँकि, यह प्रतीत होता है कि इससे भारत अमेरिका के पक्ष में अधिक झुक जाएगा।
- **अनुकूल तेल आयात की हानि:** कच्चे तेल के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता देश, जैसे- सऊदी अरब, कुवैत, इराक, नाइजीरिया एवं अमेरिका ईरान की भांति 60-दिवसीय क्रेडिट, निःशुल्क बीमा और महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भण्डार को व्यय करने के स्थान पर भारतीय रुपये का उपयोग करके तेल की खरीद करना इत्यादि जैसे आकर्षक विकल्प प्रदान नहीं करते हैं।
- ईरान के साथ भारत की **अन्य सामरिक पहलों** जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), चाबहार बंदरगाह के विकास आदि **पर भी संभावित प्रभाव पड़ेगा।**

भारत द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **भारत लंबे समय से "नियम-आधारित व्यवस्था" का प्रस्तावक रहा है।** यह व्यवस्था **बहुपक्षीय सर्वसम्मति** तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करती है तथा कुछ देशों के प्रतिकूल व्यवहार के बावजूद भी इसका अनुपालन करते रहना चाहिए। पिछले वर्ष, विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया था कि **भारत द्वारा केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मान्यता प्रदान की जाएगी, न कि "एकपक्षीय" प्रतिबंधों को**। अतः यह निर्णय भारत की पूर्व की स्थिति के अनुरूप नहीं है।
- **अमेरिका-विरोधी रूप धारण नहीं कर सकता है:**
  - **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG):** अमेरिका, भारत की NSG सदस्यता हेतु सुदृढ़ता से समर्थन करता रहा है। JCPOA के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इस मामले को जटिल बना सकती है क्योंकि अमेरिका द्वारा भारत पर समर्थन हेतु दबाव डाला जा सकता है।
  - **शंघाई सहयोग संगठन:** हाल ही में चीन ने ईरान को 8-सदस्यीय यूरेशियाई सुरक्षा संगठन में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। यदि चीन एवं रूस द्वारा निर्देशित SCO द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है तो इस समूह एक सदस्य होने के नाते भारत को अमेरिका-विरोधी नजरिये से देखा जाएगा।
  - **हिंद-प्रशांत (इंडो-पसिफिक) क्षेत्र:** इस नए विकसित होते संबद्ध क्षेत्र में भारत एवं अमेरिका के व्यापक हित एवं संभावित सहयोग विद्यमान हैं।
- **ईरान द्वारा प्रत्युत्तर:** ईरान ने वैश्विक तेल शिपमेंट के एक प्रमुख मार्ग 'होर्मुज जलसंधि (Strait of Hormuz)' को बंद करने की धमकी दी है।
- **तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति:** अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी प्रतिबन्ध आरोपित किए हैं और OPEC एवं रूस सहित अन्य सहयोगी उत्पादकों ने स्वेच्छा से आउटपुट में कटौती की है। इस कारण से वर्ष 2019 में तेल की कीमतों में 35% से अधिक वृद्धि हुई है।

भारत द्वारा किए गए उपाय

- **ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज पर ध्यान केन्द्रित करना:** इससे भारतीय बाज़ार पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
- **तेल आयातों का विविधिकरण:** जैसे- कच्चे तेल, LNG एवं ईथेन कंडेंसेट का आयात अमेरिका से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय तेल कंपनियों ने फरवरी 2018 तक ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील आदि 27 देशों में तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है। हाल ही में

एक भारतीय कंसोर्टियम द्वारा संयुक्त अरब अमीरात स्थित लोअर जाकुम अपतटीय तेल क्षेत्र में 10% तथा IOCL द्वारा ओमान के मुखाइज़ना तेल क्षेत्र में 17% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया।

आगे की राह

- **एक वैकल्पिक वित्तीय संरचना का निर्माण:** भारत, चीन, यूरोपीय संघ तथा अन्य प्रभावित निकायों को इस पर विचार करना चाहिए। यह अमेरिका की एकपक्षीय गतिविधियों के प्रति प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करेगा।
- **अमेरिका के साथ वार्ता करना:** अनुकूल शर्तों पर तेल की आपूर्ति करने के लिए अमेरिका से वार्ता की जानी चाहिए ताकि भारत के तात्कालिक आयात घाटे को कवर करने में सहायता प्राप्त हो सके।
- ईरान पर ऊर्जा निर्भरता के दीर्घकालिक विकल्पों पर वार्ता करने हेतु सऊदी अरब एवं UAE जैसे **अन्य देशों के साथ साझेदारी का लाभ उठाना**।

2.5. शस्त्र व्यापार संधि

(Arms Trade Treaty: ATT)

सुर्खियों में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा की गयी कि वह अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि से बाहर निकाल लेंगे।

पृष्ठभूमि

- **शस्त्र व्यापार संधि** को वर्ष 2020 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
    - अमेरिका **बंदूक नियंत्रण उपायों** जैसे कुछ प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे शस्त्र धारण के अधिकार से संबद्ध (अमेरिका के) द्वितीय संशोधन के प्रति खतरे के रूप में देखा जा रहा है।
- अमेरिका के अनुसार यह संधि, रूस और चीन सहित अन्य शीर्ष हथियार निर्यातक देशों द्वारा अभी तक हस्ताक्षरित न किए जाने के कारण **"हथियारों के गैर-ज़िम्मेदार हस्तांतरण" की समस्या का प्रभावी समाधान करने में विफल रही है"।**
- इसके अतिरिक्त **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)** के अनुसार, वर्ष 2017 में संपन्न शीर्ष 100 हथियारों की बिक्री की कुल राशि में अमेरिकी हथियार उद्योग की कुल हिस्सेदारी 57 प्रतिशत थी।

शस्त्र व्यापार संधि (ATT) के बारे में

- यह सदस्य देशों के लिए साझा अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना करके पारंपरिक हथियारों में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 102 पक्षकार देश (लेबनान नवीनतम हस्ताक्षर कर्ता) हैं और इनके अतिरिक्त 34 अन्य हस्ताक्षरकर्ता भी हैं, **जिन्होंने हस्ताक्षर तो किए हैं किन्तु औपचारिक रूप से संधि की अभिपुष्टि नहीं की है।** जिन देशों ने न तो हस्ताक्षर किए और न ही **अभिपुष्टि** की है, उनमें रूस, चीन, **भारत,** ईरान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब और सीरिया शामिल हैं।
- यह संधि अप्रैल 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तुत की गई और 23 दिसंबर 2014 को लागू हुई।
- यह संधि, इसके तहत कवर किए गए पारंपरिक हथियारों द्वारा दागे गए, लॉन्च किये गए या वितरित किए गए गोला-बारूद या युद्ध सामग्री को नियंत्रित करती है।
- इसके अंतर्गत राज्यों को उनके हथियारों के निर्यात की निगरानी करना तथा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके हथियारों की बिक्री से मौजूदा हथियारों पर अधिरोपित आधिकारिक प्रतिबंध का उल्लंघन न हो।
- राष्ट्रों को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा निर्यात किए जाने वाले हथियारों का उपयोग नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध या आतंकवादी कृत्यों के लिए नहीं किया जाए। यदि उन्हें ज्ञात हो जाता है कि हथियारों का उपयोग इनमें से किसी भी कार्य के लिए किया जाएगा, तो उन्हें इस अंतरण को रोकना होगा।

पारंपरिक हथियार जो ATT के अंतर्गत शामिल हैं:

- युद्धक टैंक;
- बख्तरबंद लड़ाकू वाहन;
- लार्ज-कैलिबर आर्टिलरी सिस्टम;
- लड़ाकू विमान;
- अटैक हेलिकॉप्टर;

VISION IAS

- युद्धपोत;
- मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर; तथा
- छोटे आयुध एवं हल्के हथियार।

2.6. मसूद अज़हर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित

(UN Designates Masood Azhar as Global Terrorist)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पाकिस्तान के आतंकवादी नेता मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की **"ISIL (Da'esh) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति" (1267 कमिटी)** की प्रतिबंधित सूची में शामिल कर लिया गया है।

विवरण

- वर्ष 1999 में **रिजोल्यूशन 1267** के तहत UNSC की प्रतिबंध समिति की स्थापना की गई थी, जिसके तहत तालिबान पर सीमित प्रतिबंध लगाए गए थे।
- समिति में सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य शामिल हैं और सर्वसम्मति से अपना निर्णय लेते हैं।
- **वैश्विक आतंकवादी घोषित होने का अर्थ:** एक बार किसी व्यक्ति या संस्था को सुरक्षा परिषद द्वारा आतंकवादी घोषित करने के बाद, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को घरेलू तंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला स्थापित करनी होती है, जैसे- राष्ट्रीय स्तर पर इस सूची को अपनाना, या सूची में शामिल व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के राष्ट्रीय-आधारित पदनामों का उपयोग।
  - घोषित व्यक्ति या संस्था पर वित्त, यात्रा और हथियारों पर प्रतिबंध सहित प्रतिबंधों की एक श्रृंखला लागू की जाती है।
- **प्रतिबंधों की निगरानी:** प्रतिबंध समिति इन उपायों एवं प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी और प्रतिवर्ष सुरक्षा परिषद को इससे संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

महत्व

- **व्यापक वैश्विक समुदाय द्वारा भारत का समर्थन:** 15 सदस्यीय UNSC में 13 सह-प्रायोजकों द्वारा प्रस्ताव को सूचीबद्ध किया गया जिससे भारत को मिला समर्थन स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। इसने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरब एवं तुर्की के अतिरिक्त अन्य कोई भी देश इस मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन नहीं करता है।
- यह भारत एवं चीन के मध्य **वुहान स्पिरिट की अभिपुष्टि** करता है, जो दोनों देशों के मध्य विद्यमान विभिन्न अड़चनों के समाधान हेतु **रणनीतिक संभावनाएँ उत्पन्न** करता है।
- **सामरिक गठबंधन: क्वाड के सदस्यों** (अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) द्वारा इस प्रस्ताव को सह-प्रायोजित करना, आतंकवाद का सामना करने हेतु वैश्विक एकजुटता को परिलक्षित करता है।
- **आतंक के वित्तपोषण पर नियंत्रण:** पाकिस्तान को UNSC के रिजोल्यूशन 1267 के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। यदि पाकिस्तान द्वारा उपयुक्त कार्यवाही नहीं की जाती है, तब इसकी प्रतिक्रियास्वरूप फाइनेंसियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) द्वारा इसे **ब्लैकलिस्ट** किया जा सकता है। यह कदम भारत को अब एक **विधिक आधार** प्रदान करता है, जिसके तहत भारत मसूद अजहर के विरुद्ध उपयुक्त एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है।
- **सांकेतिक सफलता:** जब तक इस संदर्भ में पाकिस्तान सहयोग नहीं करता है, तब तक **इस कदम का कोई ठोस प्रभाव होने की संभावना नहीं है**। चूँकि संभवतः अजहर पाकिस्तान में उसी प्रकार से सक्रिय रहेगा, जैसे कि एक दशक पूर्व इस सूची में नामित होने के बावजूद लश्कर-ए-तैयबा का हाफिज सईद सक्रिय था।

2.7 लीबिया संकट

(Libya Crisis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने लीबिया में 'अचानक स्थिति' खराब होने पर त्रिपोली में शांति रक्षक दल के रूप में तैनात CRPF के सभी जवानों को वापस बुला लिया है।

विवरण

- लीबिया में संकट **'अरब स्प्रिंग'** के दौरान ट्यूनीशिया और मिस्र सहित इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ लीबिया में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के पश्चात् वर्ष 2011 में प्रारंभ हुआ था।
- **लंबे समय तक शासन करने वाले तानाशाह शासक मुअम्मार गद्दाफी** को हिंसक संघर्ष के माध्यम से अपदस्थ करते हुए अंततः अक्टूबर 2011 में इसके क्रूर शासन का अंत (मुअम्मार गद्दाफी की हत्या द्वारा) हो गया।
- हालांकि, क्रांति और सफल चुनाव के वर्षों बाद, उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया वर्तमान में भी शासन हेतु उचित समाधान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।
- वर्तमान में लीबिया मुख्यतः प्रधानमंत्री फैज़ अल-सर्राज के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र समर्थित गवर्नमेंट ऑफ़ नेशनल एकॉर्ड (GNA) और हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव के **दोहरे प्रशासनों में विभाजित है।** GNA राजधानी त्रिपोली से कार्य करती है जबकि हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव पूर्वी शहर टोब्रुक में स्थित है।

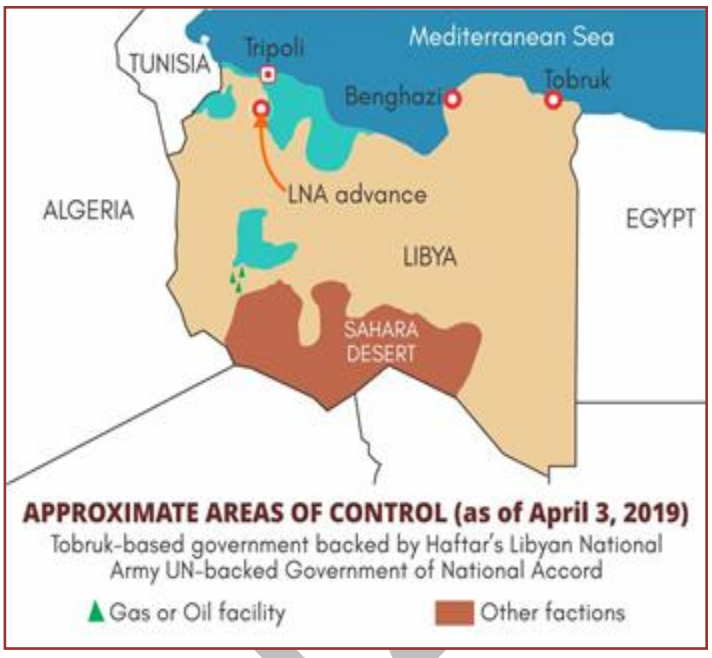

- हाल ही में पूर्वी लीबिया के सैन्य कमांडर खलीफा हफ्तार द्वारा अपनी सेनाओं (लीबियाई राष्ट्रीय सेना: LNA) को त्रिपोली (संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार 'GNA' की राजधानी) को अधिग्रहित करने का आदेश दिया गया। इसके कारण देश के राजनीतिक तनाव में वृद्धि हो गयी।

अरब क्रांति अथवा अरब स्प्रिंग (Arab Spring)

- अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया, मोरक्को, सीरिया, लीबिया, मिस्र और बहरीन सहित कई प्रमुख मुस्लिम देशों में विस्तारित लोकतंत्र समर्थक विद्रोह की एक श्रृंखला थी।
- अरब स्प्रिंग दिसंबर 2010 में ट्यूनीशियाई स्ट्रीट वेंडर मोहम्मद बौआजीजी (Mohammed Bouazizi) के परमिट प्राप्त करने में विफलता पर पुलिस द्वारा उसे सब्जी स्टैंड से स्वेच्छाचरितापूर्ण तरीके हटाए जाने के विरोध में किए गए आत्मदाह की घटना से प्रारंभ हुई थी।
- इसने ट्यूनीशिया में जैस्मीन क्रांति के लिए उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वहन किया।
- इस क्षेत्र के अन्य देशों के कार्यकर्ताओं ने ट्यूनीशिया में क्रांति के पश्चात् हुए शासन परिवर्तन से प्रेरित होकर अपने देश की सत्तावादी सरकारों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ट्यूनीशिया में प्रथम लोकतांत्रिक संसदीय निर्वाचन अक्टूबर 2011 में आयोजित किए गए थे।
- इन जमीनी स्तरीय आंदोलनों के भागीदारों ने सामाजिक स्वतंत्रता और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी की वृद्धि की मांग की। इन आन्दोलनों में मिस्र के काहिरा में तहरीर स्क्वायर विद्रोह और बहरीन में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से संबंधित तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना **सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ** संघर्षरत देशों को संघर्ष से उत्पन्न प्रारंभिक संक्रमण काल की कठिन परिस्थितियों में **राजनीतिक स्थायित्व और शांति स्थापना में सहायता प्रदान करती है।**
- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (जिन्हें सामान्यतः **ब्लू बेरेट्स या ब्लू हेलमेट के रूप में वर्णित किया जाता है) में सैनिक, पुलिस अधिकारी और असैन्य कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।**
- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना निम्नलिखित तीन बुनियादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है:
  - संबंधित पक्षों की सहमति;
  - निष्पक्षता; तथा
  - प्रदत्त अधिदेश की सुरक्षा और आत्मरक्षा के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु बल का उपयोग नहीं करना।
- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को उसकी सेवाओं के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा **शांति सेना के प्रथम मिशन को 1948 में फिलिस्तीन में** तैनात किया गया था।

- संयुक्त राष्ट्र के पास स्वयं का कोई सैन्य बल उपलब्ध नहीं होने के कारण **सदस्य देशों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर सैनिक प्रदान किए जाते हैं।**
    - संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत **चौथा सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता (फरवरी 2019 तक) और पूर्णतः महिला सैन्य बल तैनात करने वाला प्रथम देश** है। इस महिला सैन्य बल द्वारा लाइबेरिया में क्रूर गृह-युद्ध के पश्चात् शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया।
- शांति सैनिकों का भुगतान **संबंधित देश (सैनिक भेजने वाले देश) द्वारा** अपनी स्वयं की राष्ट्रीय रैंक और वेतनमान के अनुसार किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराना संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। शांति अभियानों की तैनाती, उन्हें वहां बनाए रखने या विस्तार करने से संबंधित निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लिये जाते हैं।

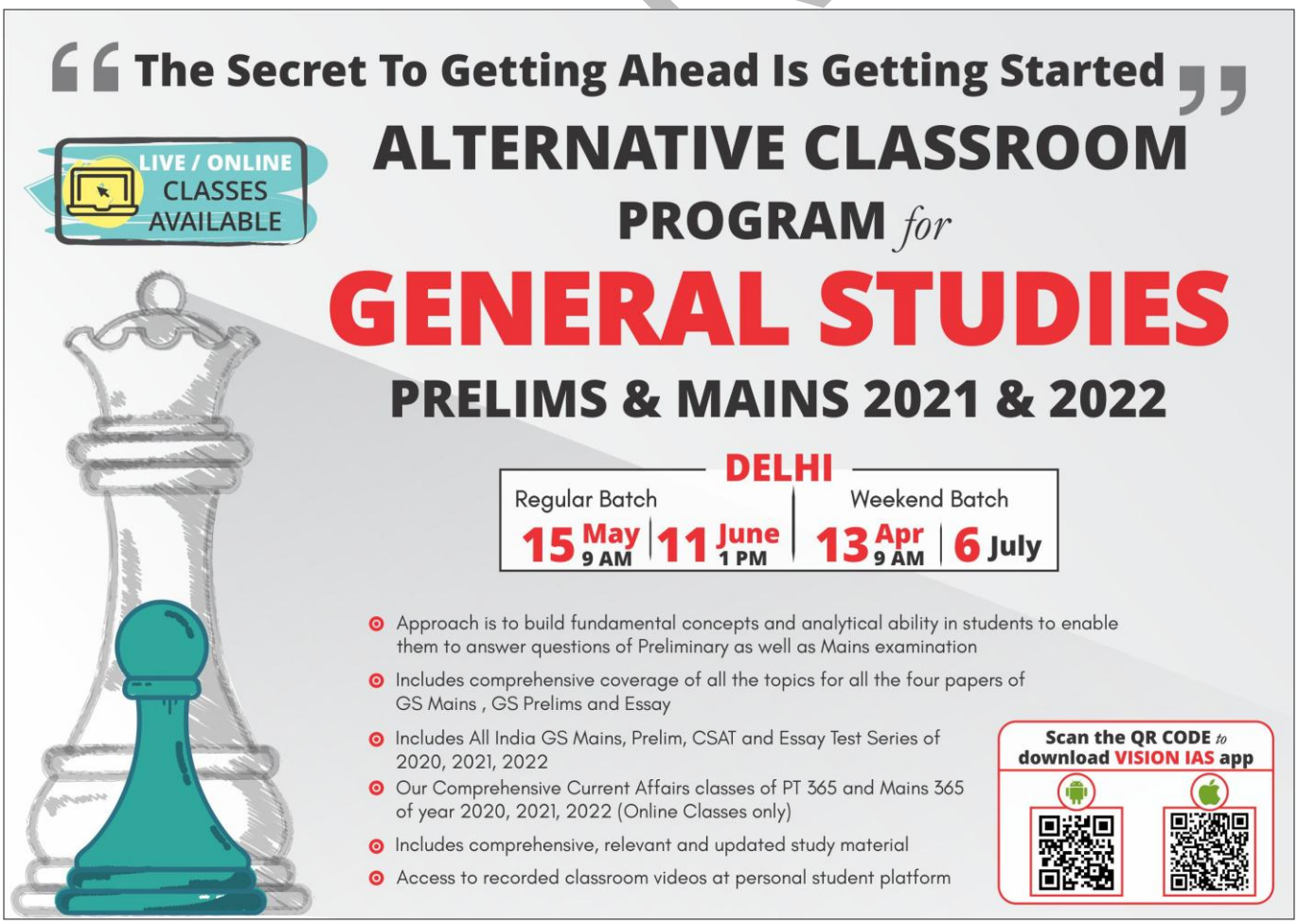

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. भारतीय सांख्यिकी प्रणाली

(Indian Statistical System)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकारी निकायों, स्वतंत्र विशेषज्ञ समूहों और निजी अभिकर्ताओं सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले **आँकड़ों की विश्वसनीयता एवं सांख्यिकी** को लेकर विरोधाभास एवं वाद-विवाद दृष्टिगत हुए हैं।

भारत में सांख्यिकीय संस्थाओं की स्थापना के बारे में

- स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत की आधुनिक सांख्यिकीय प्रणाली ने **प्रो. पी. सी. महालनोबिस** के नेतृत्व में अपना स्थान बना लिया था। महालनोबिस को **'भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली के जनक' के रूप में जाना जाता** है।
- 1999 में **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** का सृजन किया गया तथा आधिकारिक सांख्यिकी की समग्र श्रृंखला का निरीक्षण करने हेतु **2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (NSC)** की स्थापना की गई।
    - इस मंत्रालय के **दो विंग** हैं, एक **सांख्यिकी** से संबंधित तथा दूसरा **कार्यक्रम कार्यान्वयन** से संबंधित। सांख्यिकी विंग को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) के नाम से जाना जाता है, जो **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)** और **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)** से मिलकर बना है।
- यद्यपि भारत वर्षों से विश्वसनीय आर्थिक सांख्यिकी प्रकाशित करता रहा है, किन्तु हाल ही में **108 अर्थशास्त्रियों और सामाजिक विशेषज्ञों** के एक समूह ने महत्वपूर्ण आँकड़ों के प्रकाशन को '**राजनीतिक हस्तक्षेप**' से स्वतंत्र करते हुए भारत में सांख्यिकीय संगठनों की **"संस्थागत स्वतंत्रता"** एवं अखंडता की पुनर्बहाली की मांग की है।

भारत में प्रमुख सांख्यिकी संस्थान	
एजेंसी	**सांख्यिकी**
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)	GDP, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ऊर्जा सांख्यिकी, अवसंरचना सांख्यिकी, राष्ट्रीय आय लेखांकन, उद्योगों के वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण का संचालन, शहरी नॉन-मैनुअल कर्मचारियों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मानव विकास सांख्यिकी, लिंग आधारित सांख्यिकी, आधिकारिक सांख्यिकी में प्रशिक्षण देना।
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)	मुख्यतया विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर देशव्यापी स्तर पर किए जाने वाले घरेलू सर्वेक्षणों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) से आंकड़ों को संग्रहित करता है। इसके अतिरिक्त यह ग्रामीण और शहरी कीमतों, फसल सांख्यिकी पर भी आंकड़े संग्रहित करता है।

भारतीय सांख्यिकी से संबन्धित सामान्य मुद्दे

- **आँकड़ों के स्रोत का सरलता से उपलब्ध न होना-** उदाहरण के लिए, कृषि उत्पादों के मूल्य मंडियों या खुदरा संपर्क केंद्रों (रिटेल टच पॉइंट्स) पर आधारित होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार के आँकड़े अंतिम नहीं भी हो सकते हैं तथा आँकड़ों के जारी किए जाने के पश्चात् भी उनमें परिवर्तन होते हैं।
- **भुगतान एवं भत्तों से संबंधित आँकड़ों जैसे महत्वपूर्ण राजकोषीय आँकड़ों की अनुपलब्धता।**
- **क्षमता निर्माण-** सांख्यिकीय एजेंसियों के मानव और संगठनात्मक संसाधनों में 1980 के दशक से कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुए हैं। बदलती आँकड़ा आवश्यकताओं और आँकड़ा रख-रखाव प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाने हेतु आंतरिक संरचना के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

भारतीय सांख्यिकी की सफलता की कहानी- RBI

- भारतीय रिजर्व बैंक के **मौद्रिक एवं बैंकिंग आँकड़े** संभवत: देश भर में बेहतर एवं विश्वसनीय माने जाते हैं।
- यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि ये आँकड़े RBI द्वारा निर्मित संरचनाओं का अनुपालन करने वाली संस्थाओं के विनियमित समूह से प्राप्त होते हैं।

VISION IAS

- बैंकों द्वारा खातों की प्रस्तुति को यह सुनिश्चित करने के लिए एकरूप बनाया गया है कि परिभाषाओं में कोई अस्पष्टता न हो, इस प्रकार आंकड़ों में कोई दोहराव नहीं होता है।

- विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न संकेतकों की **परिभाषाओं और मानदंडों में असंगतता** के कारण आंकड़ों के मध्य अंतराल में और अधिक वृद्धि होती है।
- **बृहत् असंगठित क्षेत्र-** यह सभी तीन खंडों- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विस्तृत है। इससे संबंधित सटीक आँकड़े प्राप्त करना सदैव समस्या का विषय बना रहता है और आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में प्रॉक्सी डेटा का उपयोग करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब नई सूचना प्राप्त करनी हो तो आंकड़ों को पुनः संशोधित करना पड़ता है, जो इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है।
- **नकदी आधारित लेखांकन के कारण राजकोषीय आँकड़ों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता का अभाव।**
- **राजकोषीय आंकड़ों की सतत दीर्घकालिक श्रृंखला का अभाव-** उदाहरण के लिए, व्यापार आँकड़े इस तथ्य पर आधारित होते हैं कि रिपोर्टिंग किस प्रकार की जाती है। जहाँ भुगतान संतुलन (BOP) के संबंध में RBI के आँकड़े स्पष्ट होते हैं (क्योंकि ये किसी विशेष समयावधि के दौरान प्रणाली में विदेशी मुद्रा के प्रवेश एवं निकास की जानकारी प्रदान करते हैं), वहीं वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के आँकड़े परिवर्तित होते रहते हैं और कई बार प्राप्त निकाले गए निष्कर्ष भी भिन्न होते हैं।
- **समयान्तराल मुद्दा-** उदाहरण के लिए, CMIE और NSSO दोनों को आँकड़े संकलित करने में महीनों लग जाते हैं, इसका अर्थ है कि ये किसी विशेष समयबिंदु पर आँकड़े एकत्रित नहीं करते हैं।
- **सरकार के विभिन्न स्तरों पर गैर-मानक नमूने (टेम्पलेट)।**
- **आँकड़ों के राजनीतिकरण** ने किसी दल विशिष्ट के प्रदर्शन को अनुकूल बनाने हेतु सांख्यिकीय गणना में वृद्धि या कमी को बढ़ावा दिया है, ऐसे आंकड़े अन्य महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में उच्च संवृद्धि और निम्न रोजगार के बीच विचलन।
- **संस्थानों की स्वायत्तता का क्षरण-** राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में नौकरी संबंधी आँकड़ों को गुप्त बनाये रखने के मुद्दे पर त्यागपत्र दे दिया है।

निहितार्थ

- **देश के आधिकारिक आंकड़ों पर विश्वास की कमी का व्यापक होना-** विशेष रूप से GDP संवृद्धि और रोजगार/बेरोजगारी के संबंध में।
- **वैश्विक छवि-** भारत की आँकड़ों की गिरती हुई विश्वसनीयता अब स्थानीय प्रेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस विषय पर विश्व का भी ध्यान आकर्षित हुआ है। राजकोषीय घाटे, ऋण, चालू खाता घाटे जैसे आंकड़ों का उपयोग सभी वैश्विक तुलनाओं के लिए किया जाता है।
- **निवेशक और उद्योग-** देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित पूर्वानुमानों की कमी के कारण ये प्रभावित होते हैं।
- **अप्रभावी नीतिगत प्रतिक्रिया-** उदाहरण के लिए, RBI के पूर्व गवर्नर सुब्बाराव के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के निर्णय, सरकार द्वारा प्रदत्त गलत आँकड़ों के कारण प्राय: विचलित हो जाते हैं।
- **विकास का अभाव-** उदाहरण के लिए, किसी विशेष जिले, ब्लॉक या गाँव की पोषण संबंधी स्थिति और पोषण से संबंधित योजनाओं की प्रभावशीलता को समझने हेतु सार्वजनिक डोमेन में पर्याप्त सूचना एवं आँकड़े उपलब्ध नहीं है। इससे सरकार के विकासात्मक प्रयास प्रभावित होते हैं।
- **सार्वजनिक जवाबदेहिता का अभाव-** क्योंकि इच्छुक हितधारकों के लिए आँकड़ों तक पहुँच का अभाव है। यह नीति क्रियान्वयन में बाधा भी उत्पन्न करता है।
- **सार्वजनिक संवाद पर प्रभाव-** आँकड़ों के सृजन हेतु सांख्यिकीय अखंडता महत्वपूर्ण है। इन आंकड़ों का प्रयोग आर्थिक नीति-निर्माण में होता है तथा ये ईमानदार और लोकतांत्रिक सार्वजनिक संवाद को जन्म देने के लिए आवश्यक हैं।

आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति का प्रारूप

- **कोर सांख्यिकी:** प्रारूप नीति राष्ट्रीय महत्व के कुछ आँकड़ों पर कोर सांख्यिकी के रूप में ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।
- **राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (NSC)** को कोर सांख्यिकी का विनियमन और लेखांकन करने तथा अन्य आधिकारिक आँकड़ों में सुधार करने हेतु केंद्र सरकार को परामर्श देने के लिए पुनर्गठित किया जाएगा।
- सांख्यिकीय लेखांकन करने के लिए NSC के अधीन **राष्ट्रीय सांख्यिकीय मूल्यांकन तथा आकलन संगठन** स्थापित किया जाएगा।
- नीतिगत मामलों पर NSC को दिशा-निर्देश देने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय सांख्यिकीय विकास परिषद** की स्थापना की जाएगी।

VISION IAS

- **अखिल भारतीय 'भारतीय सांख्यिकी सेवा':** वर्तमान में कई सांख्यिकीय संवर्ग हैं जैसे कि भारतीय सांख्यिकी सेवा, राज्य सांख्यिकी सेवाएँ और अन्य ग्रुप-A के सांख्यिकी पद या संवर्ग।

आगे की राह

- सरकार को **आधिकारिक सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय नीति** के प्रारूप पर कार्य करने के साथ ही, इन समितियों द्वारा की गई अनुशंसाओं के प्रारूप पर आम सहमति बनाने के लिए तीव्रता से कार्य करना चाहिए।
- **आधिकारिक सांख्यिकी का गैर-राजनीतिकरण-** नीति आयोग से स्वतंत्र रहते हुए CSO को बैक-सीरीज़ नंबर पर पुनः कार्य करने की आवश्यकता है। नीति आयोग को आँकड़ा संकलन के कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हितों का टकराव हो सकता है।
- **जब भी राष्ट्रीय लेखांकनों के आधार को अपडेट किया जाए** {जैसा कि **अवधारणात्मक परिवर्तन, सांख्यिकीय परिवर्तन** (जैसे पद्धति को उन्नयन करना) या आधार वर्ष के सन्निकट किए गए नए सर्वेक्षणों के परिणामों को समाविष्ट करने के लिए किया जाता है} तब तुलनीय आँकड़े प्रदान करने के लिए पुरानी श्रृंखला को नियमित रूप से नई श्रृंखला से लिंक किया जाना चाहिए।
- NSC को अतिशीघ्र पुनर्गठित किया जाना चाहिए और पर्याप्त संसाधनों के साथ इसे स्वतंत्र निगरानीकर्ता के रूप में सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। NSC को आधिकारिक सांख्यिकी के लिए उत्तरदायी एकमात्र एजेंसी होना चाहिए तथा इसे केवल संसद को रिपोर्ट करना चाहिए। दीर्घावधि में NSC को एक सांविधिक निकाय होना चाहिए।
- रियल टाइम के आधार पर आँकड़ों को प्रसारित करने में जल्दीबाजी करने की अपेक्षा रुकना और अंतिम संख्या प्रदान करना बेहतर होगा भले ही इसके अंतर्गत कुछ अंतराल सम्मिलित हो जाए। इससे नए आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते समय सन्दर्भ या समीक्षा में परिवर्तन की शर्मिंदगी से बचाव होगा।
- भारत की राजकोषीय आँकड़ा प्रणाली को '**सूचना'-संघवाद** के ढांचे में विकसित किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत संघीय शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सहयोग, समन्वय और प्रतिस्पर्धा, अत्याधुनिक राजकोषीय आँकड़ा प्रणाली का निर्माण कर सकें। इसके लिए संसाधनों के पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी।

3.2. पूँजी खाता उदारीकरण

(Capital Account Liberalisation)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, RBI के डिप्टी-गवर्नर ने पूँजी खाता उदारीकरण के संबंध में भारत की नीतियों की समीक्षा करने के पक्ष में तर्क दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान पूँजी नियंत्रण

- पूँजी नियंत्रण घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी पूँजी के अंतःप्रवाह और बहिर्प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु सरकार, केंद्रीय बैंक या अन्य नियामकीय निकायों द्वारा अपनाए गए किसी भी उपाय को संदर्भित करता है।
- वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले कुछ नियंत्रण इस प्रकार हैं-
  - घरेलू प्रतिभूतियों के लिए FPI की अधिकतम सीमा का निर्धारण (विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा में भिन्नता विद्यमान है)।
  - बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ECB) और मसाला बॉण्ड के लिए एक साथ अधिकतम सीमा का निर्धारण।
  - निवेशकों पर बीमा फ़र्म, एन्डाउमेन्ट और पेंशन फ़ंड आदि में उनकी निवेश सीमा द्वारा आरोपित प्रतिबंध।
  - अंतर्निहित निवेश की परिपक्वता पर प्रतिबंध।
  - यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध कि केवल अपेक्षाकृत उच्च क्रेडिट गुणवत्ता वाले उधारकर्ता ही ECBs तक पहुँच प्राप्त करें।

पूँजी खाता उदारीकरण के बारे में

- **विदेशी मुद्रा लेन-देनों** को व्यापक रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: चालू खाता लेन-देन और पूँजी खाता लेन-देन।
  - **चालू खाता** निर्यात, आयात, ब्याज भुगतान, निजी विप्रेषण और हस्तान्तरण सहित देश के चालू लेन-देनों को संदर्भित करता है।
  - **पूँजी खाता** परिसंपत्तियों और देनदारियों के निवल परिवर्तन को अभिलेखित करता है जिसमें विदेशी ऋण और उधारी, बैंकों की विदेशी मुद्रा जमा, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बाह्य बॉण्ड्स, भारत में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) आदि सम्मिलित होते हैं।

- 1990 के दशक के प्रारंभ में उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल **कुछ सप्ताह के आयात के भुगतान हेतु ही शेष रह गया** था। अतः भारत द्वारा अपनी विदेश व्यापार नीति में सुधार किए गए और 1994 में **चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता** की अनुमति प्रदान कर दी गई। हालांकि, उस समय **पूँजी खाते** को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं बनाया गया।
- **मुद्रा परिवर्तनीयता** वस्तुतः वैश्विक एक्सचेंज में किसी देश की मुद्रा का स्वर्ण अथवा किसी अन्य मुद्रा में परिवर्तन (की सुगमता) को संदर्भित करता है। यह देश में पूँजी के अंतर्वाह और पूंजी के बहिर्वाह हेतु निर्धारित सीमा को इंगित करती है। इस संदर्भ में-
  - **चालू खाता** के अंतर्गत भारतीय रुपये को व्यापारिक उद्देश्यों से प्रचलित बाजार दरों पर किसी भी विदेशी मुद्रा में एवं किसी भी मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है।
  - **पूँजी खाता**- इसका तात्पर्य उस सुगमता से है जिससे विदेशी निवेशक भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियां, जैसे- बॉण्ड्स, इक्विटी आदि खरीद सकेंगे और भारतीय नागरिक विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियां खरीद सकेंगे।
- विगत दशक से सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा उन विधियों और मानदंडों के निर्धारण का प्रयास किया जा रहा है जिनके माध्यम से पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया जा सके।

पूँजी खाता परिवर्तनीयता हेतु गठित समितियाँ (1997, 2006)

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्रमशः 1997 और 2006 में एस. एस. तारापोर की अध्यक्षता में पूँजी खाता परिवर्तनीयता पर समितियों का गठन किया गया था।
- इस समिति द्वारा पूँजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता का समर्थन किया गया। इसने चरणबद्ध ढंग से और कुछ पूर्वापेक्षाओं के अधीन इसे लागू करने की अनुशंसा की थी।
- **कुछ पूर्वापेक्षाएँ इस प्रकार हैं-**
  - राजकोषीय स्थिरता- निम्न राजकोषीय घाटा
  - मूल्य स्थिरता- निम्न मुद्रास्फीति
  - वित्तीय संस्थानों और बाज़ारों की स्थिरता
  - गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों में कमी

पूँजी खाता उदारीकरण के पक्ष में तर्क

- **वित्तीय दक्षता प्रदान करना-** एक पूर्ण परिवर्तनीय पूँजी खाता वित्तीय क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल देता है जिससे इस क्षेत्र में अधिक विशेषज्ञता और नवोन्मेषी पहलों को आकर्षित किया जा सकता है।
- **अपेक्षाकृत अधिक विदेशी पूँजी को आकर्षित कर सकता है-** विदेशी पूँजी कल्याण और अवसंरचना निर्माण के लिए संसाधन जुटाने के प्रयास में घरेलू बचत की पूरक के रूप में सहायता कर सकती है।
- **निवेश हेतु उपलब्ध विकल्पों में वृद्धि-** निवासियों को अपने निवेश और उपभोग संबंधी निर्णयों को वैश्विक ब्याज दरों और व्यापार योग्य वस्तुओं की वैश्विक कीमतों पर आधारित करने का अवसर प्राप्त होता है, जो उनके हितों और कल्याण में वृद्धि कर सकता है।
- **प्रतिस्पर्धी अनुशासन में सुधार-** पूर्ण परिवर्तनीय पूँजी खाता पोर्टफोलियो के विविधीकरण हेतु विश्व बाजार का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। यह जोखिम न्यूनीकरण के माध्यम से बचतकर्ताओं और निवेशकों, दोनों को उनकी परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य के संरक्षण में सहायता प्रदान करता है।
- **चालू खाते के अनुपूरण में सहायता-** पूँजी नियंत्रण, विशेषतः चालू खाते के परिवर्तनीय होने की स्थिति में, अधिक प्रभावी नहीं होते हैं क्योंकि चालू खाता लेन-देन प्रच्छन्न पूँजी प्रवाह के विभिन्न मार्गों का निर्माण करते हैं।
- **परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य-** पूँजीगत नियंत्रण घरेलू वित्तीय स्थितियों को बाह्य वित्तीय घटनाक्रमों से संरक्षित करने हेतु अपनाया जाता है। इसके बावजूद भी, विगत समय में बाह्य वित्तीय घटनाक्रमों का प्रभाव व्यापक पूँजी नियंत्रण अपनाने वाले देशों में भी निरंतर बढ़ रहा है। साथ ही नियंत्रणों से बच निकलने की लागत में कमी आई है और बाह्य बाजारों में परिसंपत्ति धारण करने के प्रति आकर्षण में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पूँजी नियंत्रण निरंतर निष्प्रभावी होते जा रहे हैं।

पूँजी खाता उदारीकरण के विपक्ष में तर्क

- **घरेलू बचतों का बहिर्प्रवाह-** पूँजी खाता उदारीकरण के कारण घरेलू बचतों का बहिर्प्रवाह होता है परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अनिवार्यताओं का वित्तपोषण करने की राज्य की क्षमता अधिक क्षीण हो सकती है।
- **कर अपवंचन को प्रोत्साहन-** नतीज़तन अधिकारियों की घरेलू वित्तीय गतिविधियों, आय और धन-संपत्ति पर कर आरोपित करने की क्षमता का ह्रास होगा।

VISION IAS

- **अर्थव्यवस्था को समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता के प्रति अधिक सुभेद्य बनाना-** पूँजी खाता उदारीकरण से पूंजी की अल्पकालिक गतिशीलता की अस्थिर प्रवृत्ति, पूंजी के व्यापक बहिर्वाह के जोखिम और संबद्ध नकारात्मक बाह्यताओं के कारण अर्थव्यवस्था में समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
- **समयपूर्व उदारीकरण-** यह प्रारंभ में पूँजी अंतर्वाह को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे वास्तविक विनिमय दर में वृद्धि होगी और इस प्रकार संक्रमण और संरचनात्मक सुधार की प्रक्रिया से गुजर रही अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होगी। स्थिरता संबंधी कार्यक्रम की विश्वसनीयता में कमी की स्थिति में मुद्रा प्रतिस्थापन और पूँजी पलायन में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप भुगतान संकट, मूल्यह्रास और सर्पिल मुद्रास्फीति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है।
- **मौद्रिक नीति के प्रभाव में कमी-** ब्याज दरों में प्रत्याशित अल्पकालिक परिवर्तन के फलस्वरूप मौद्रिक नीति की प्रभाविता में कमी होगी, जिससे अन्य परस्पर संबंधित प्रतिकूल प्रभावों में वृद्धि हो सकती है।
- पूँजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के परिणामस्वरूप उच्च पूँजी अंतर्वाह उत्पन्न होगा, जिसके कारण, वृद्धिमान वास्तविक विनिमय दर संसाधनों को **व्यापार योग्य से गैर-व्यापार योग्य क्षेत्रकों (जैसे निर्माण, आवास, होटल और पर्यटन आदि) की ओर प्रतिस्थापित करेगी** और यह सब तब होगा जब बाह्य देनदारियों में भी वृद्धि हो रही होगी (**"डच रोग प्रभाव"**)।
- **फाइनेंसियल बबल्स (financial bubbles) की उत्पत्ति-** विशेष रूप से अनियंत्रित विदेशी उधारी द्वारा वित्तपोषित अचल संपत्ति और इक्विटी बाजार में अत्यधिक तर्कहीन निवेश के माध्यम से।

पूँजी खाता परिवर्तनीयता के लाभ

- **विदेशी परिसंपत्तियों के निर्माण** को वर्तमान में लाभांश अर्जन का एक उपाय माना जाता है, पूँजी खाता परिवर्तनीयता के परिणामस्वरूप इसे मूल्य संवर्धन के रूप में देखा जा सकता है।
- **परिसंपत्तियों का अधिग्रहण**- इसके माध्यम से कोयला व तेल क्षेत्र जैसी रणनीतिक और आर्थिक महत्व की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सकता है, जो दीर्घकालिक लाभांश प्रदान कर सकती हैं।
- **स्टार्ट-अप्स का स्थानांतरण**- स्टार्ट-अप्स विदेशी अधिकार क्षेत्र में पूँजी जुटाने में सुगमता के कारण भारत में निवेश करने के लिए होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर का उपयोग कर रहे हैं। इसमें सुधार लाया जा सकता है और स्टार्ट-अप भारत में स्थानांतरित हो सकते हैं।
- रक्षा कंपनियों, अनुसंधान कंपनियों आदि द्वारा **भारत में तकनीकी और रणनीतिक निवेश को प्रोत्साहन।**

आगे की राह

- पूँजी प्रवाह से संबद्ध **संवृद्धि/दक्षता और स्थिरता** संबंधी दुविधा के आलोक में, भारत की प्राथमिकता **अस्थिरता से बचने के पक्ष** में रही है। इस प्रकार के दृष्टिकोण द्वारा न केवल वित्तीय प्रणाली बल्कि समग्र विकास प्रक्रिया को भी स्थिरता प्रदान की गई है।
- समसामयिक घटनाक्रमों के आलोक में दक्षता और स्थिरता के सापेक्ष महत्व की **निरंतर समीक्षा** करने की आवश्यकता है।
- इस बात का अनुभव करते हुए कि संवृद्धि के आवेगों को विदेशी पूँजी से अनुपूरित किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पूँजी खाते का उदारीकरण उचित, क्रमिक और सतर्क रीति से तथा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप हो।

3.3. लघु वित्त बैंक

(Small Finance Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि लघु वित्त बैंक क्षेत्रक के **ऋण संवितरण और जमाओं में उल्लेखनीय वृद्धि** हुई है।

लघु वित्त बैंकों (SFBs) से सम्बंधित तथ्य

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के विपरीत, ये बैंक परिचालन के क्षेत्र के संबंध में बिना किसी प्रतिबंध के वित्तीय समावेशन के उद्देश्य हेतु कार्य करने वाले **निजी वित्तीय संस्थान** हैं।
- ये **लघु किसानों, सूक्ष्म व्यापार उद्यमों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों एवं असंगठित क्षेत्र** जैसे बैंकिंग सेवाओं से वंचित वर्गों/खंडों की **जमा स्वीकार करने तथा उन्हें उधार देने** जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
- भारत में **संचालित** कुछ **लघु वित्त बैंक हैं**: उज्जीवन, जनलक्ष्मी , इक्विटास, ए.यू. और कैपिटल।

- इन्हें ऋण तक पहुँच (क्रेडिट आउटरीच) के लिए **विभेदित बैंकिंग प्रणाली** के एक प्रकार के रूप में **RBI की नचिकेत मोर समिति** द्वारा प्रस्तावित किया गया था और **2014 के वार्षिक बजट** में इनकी घोषणा की गई थी।
- वर्तमान में SFBs सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की **कुल जमा के 0.2%** हिस्से का सृजन करते हैं और भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए **कुल ऋण में 0.6%** की भागीदारी रखते हैं।

	भुगतान बैंक	**लघु वित्त बैंक**
प्रवर्तक	प्रीपेड कार्ड जारीकर्ता, दूरसंचार कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, व्यावसायिक प्रतिनिधि, सुपरमार्केट चेन, कॉर्पोरेट्स, रियलटी सेक्टर सहकारिताएँ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि।	वित्त में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति/पेशेवर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, लोकल एरिया बैंक आदि।
अनिवार्यताएं/पात्रता	• 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम पेड-अप-कैपिटल होनी चाहिए। • जमा राशि का 75% भाग सरकारी बॉण्ड के रूप में बनाए रखना अनिवार्य है। • अन्य बैंकों में जमा राशि का 25% बनाए रखना अनिवार्य है। • भारतीयों द्वारा कम से कम 26% निवेश किया गया हो। • यदि नेट वर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक है, तो इसे सूचीबद्ध होना पड़ता है। • बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में 25% शाखाएँ होनी चाहिए। • पूर्णत: नेटवर्क व प्रौद्योगिकी साधित होने चाहिए। • एक खाता में जमा के लिए 1 लाख रुपये की अधिकतम सीमा।	• 100 करोड़ की न्यूनतम पेड-अप-कैपिटल होना आवश्यक है। • प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए 75% ऋण का विस्तार। • बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में 25% शाखाएँ होनी चाहिए। • आरक्षित संबंधी अनिवार्यताओं को बनाए रखना। • व्यक्तियों और समूहों के लिए कुल कारोबार (नेट वर्थ) का 10% और 15% तक की ऋण सीमा। • बिज़नस कॉरेस्पोंडेंट्स नेटवर्क होना चाहिए।
सेवाएं	• इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना। • म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन आदि का विक्रय/संबंधी सेवाएं। • ग्राहकों को बिल भुगतान सेवा प्रदान करना। • एटीएम और बिज़नस कॉरेस्पोंडेंट्स। • किसी अन्य बैंक के बिज़नस कॉरेस्पोंडेंट्स के रूप में कार्य करना।	• ग्राहकों को विदेशी मुद्रा का विक्रय। • म्यूच्यूअल फंड, बीमा, पेंशन आदि का विक्रय/संबंधी सेवाएं। • पूर्ण बैंक में परिवर्तित हो सकते हैं। • देश भर में विस्तारित हैं। • RBI की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही पूर्ण बैंक में रूपांतरित हो सकते हैं।
प्रतिबंधित सेवाएं	• क्रेडिट कार्ड जारी करना। • ऋण प्रदान करना। • सीमा पार प्रेषण का लेन-देन। • NRIs की जमा स्वीकार।	• बृहत् ऋण प्रदान करना। • अनुषंगी कंपनी आरंभ करना। • परिष्कृत वित्तीय उत्पादों का क्रय-विक्रय नहीं।

लघु वित्त बैंकों की आवश्यकता

- **विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभेदित बैंकिंग:** भारत में बैंकिंग सेवाओं से वंचित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या विद्यमान है, जहां 200 मिलियन से अधिक लोगों के पास बैंक खाता नहीं है और अनेक व्यक्ति नकद या अनौपचारिक वित्तपोषण पर निर्भर हैं। अत:, लघु वित्त बैंक (SBFs) बैंकिंग सेवाओं से वंचित विशाल जनसंख्या हेतु वित्त की पहुंच प्रदान करते हैं।

VISION IAS

- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण:** SFBs **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तक ऋण का प्रसार करने में** महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये मुख्यतया **असेवित एवं अल्पसेवित** खंड/भाग पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।
- **महिलाओं का वित्तीय समावेशन:** अधिकांश लघु वित्त बैंक पूर्व में महिलाओं को ऋण प्रदान करने वाली **सूक्ष्म वित्त कंपनियां** थीं। वर्तमान में इनका बैंकों में रूपांतरण हो जाने के कारण महिला ग्राहक **पूर्ण बैंकिंग समाधान** प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)** पहलों के माध्यम से, लघु वित्त बैंक महिला ग्राहकों तक पहुँच स्थापित करते हैं तथा उन्हें **वित्तीय योजना एवं बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता को समझाते हैं।**
- **सामाजिक प्रभाव:** SFBs वर्तमान में आय सुधार के सरल मापक के परे सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के अन्य संकेतकों, **जैसे- ग्राहक रोजगार विशेषताएं, शहरी एवं ग्रामीण बाजारों के मध्य ग्राहक वितरण तथा महिलाओं की संलग्नता आदि की प्राप्ति हेतु प्रयास कर रहे हैं।** SFBs न केवल बैंकिंग समाधान प्रदान करते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को भी **सशक्त** बनाते हैं। RBI द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि लघु बैंक जनसंख्या के इन खंडों के लिए **बचत वाहक** के रूप में कार्य करेंगे।

SFBs के लिए विनियम

- ये **गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु सहायक संस्थाओं की स्थापना नहीं कर सकते हैं।**
- इनके पास **100 करोड़ रुपये** की न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी (paid-up equity capital) होनी आवश्यक है।
- इस प्रकार के बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में प्रमोटर का **न्यूनतम प्रारंभिक योगदान** कम से कम 40% होगा जिसे परिचालन आरंभ होने की तिथि से 12 वर्ष के भीतर धीरे-धीरे 26% तक लाया जा सकता है।
- इसके समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) का **75% RBI द्वारा वर्गीकृत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किया जाना चाहिए।**
- **इसकी 25% शाखाएँ बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में** स्थापित होनी चाहिए।
- किसी एक व्यक्ति के लिए अधिकतम ऋण का आकार **कुल पूंजीगत कोष के 10% से अधिक नहीं हो सकता है; समूह के मामले में यह 15% से अधिक नहीं हो सकता।**
- **RBI की पूर्व अनुमति के साथ** ये बैंक म्युचुअल फंड यूनिट्स, बीमा उत्पादों, पेंशन प्रोडक्ट आदि के डिस्ट्रीब्यूशन जैसी **वित्तीय सेवाएं** प्रदान कर सकते हैं।
- वे वर्तमान वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने वाले RBI के सभी विवेकपूर्ण मानदंडों और नियमों के अधीन होते हैं। उदाहरणस्वरूप: **नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखना।**
- ये RBI की अनुमति के पश्चात् **पूर्ण बैंक** में परिवर्तित हो सकते हैं।

विभेदीकृत बैंक

- ये विशिष्ट बैंकिंग सेवाएँ एवं उत्पाद प्रदान करने हेतु **RBI द्वारा लाइसेंस** प्राप्त बैंकिंग संस्थान हैं।
- इन बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य **वित्तीय समावेशन और भुगतान को बढ़ावा देना है।**
- विभेदीकृत बैंकों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया **वर्ष 2015 में आरम्भ हुई थी।**
- ये बैंक दो प्रकार के होते हैं- **भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक।**

3.4. अर्थोपाय अग्रिम

(Ways & Means Advances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही (अप्रैल 2019 से सितंबर 2019) हेतु अर्थोपाय अग्रिम (WMA) की सीमा 75,000 करोड़ रुपये होगी।

WMA के बारे में

- **केंद्र एवं राज्य सरकार** की प्राप्तियों और भुगतान में विद्यमान अस्थायी असंतुलन को समाप्त करने के लिए वर्ष 1997 में अर्थोपाय अग्रिम व्यवस्था की शुरुआत की गयी थी।

- WMA प्रणाली के तहत, रिज़र्व बैंक पूर्व घोषित अर्ध-वार्षिक सीमा तक **अल्पकालिक अग्रिमों** का विस्तार करता है, जो **तीन माह की अवधि में पूर्णतः देय होते हैं।**
- वर्तमान में WMA के लिए ब्याज दर **रेपो दर के बराबर होती है।**
- WMA की सीमाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित की जाती हैं।
- यदि WMA की सीमाओं का उल्लंघन होता है तो **अस्थायी अग्रिम (ओवरड्राफ्ट) को रेपो दर से 2% अधिक ब्याज दर पर प्रदान करने की अनुमति होती है।** इन ओवरड्राफ्ट्स को निरंतर 10 कार्य दिवसों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- जब WMA की सीमा का 75% सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, तो RBI बाजार ऋणों के नए प्रवर्तन को आरंभ कर सकता है।
- **राज्य सरकारों के लिए WMA योजना के तहत** WMA के दो प्रकार हैं - विशेष और सामान्य।
    - विशेष WMA राज्य सरकार द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध प्रदान किया जाता है।
    - विशेष WMA की सीमा के पूरी हो जाने के पश्चात्, राज्य सरकार को एक सामान्य WMA प्रदान किया जाता है जो बैंक दर (सीमांत स्थायी सुविधा) पर प्रदान किया जाने वाला एक गैर-जमानती अग्रिम होता है। सामान्य WMA की सीमा राज्य के वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय के तीन वर्ष के औसत पर आधारित होती है।
- जब भी सरकार WMA को अपनाती है तो यह प्रभावी रूप से व्यवस्था में तरलता को बढ़ाता है।

सरकारी प्रतिभूतियां

- एक सरकारी प्रतिभूति (G-SEC) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली एक व्यापार-योग्य लिखत होती है। यह सरकार के ऋण दायित्व को दर्शाती है।
- ऐसी प्रतिभूतियां हो सकती हैं:
    - **अल्पावधिक** (इन्हें सामान्यतः **ट्रेजरी बिल** कहा जाता है, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम होती है); तथा
    - **दीर्घकालिक** (इन्हें सामान्यतः **सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां** कहा जाता है, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष या अधिक होती है)
- भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां, दोनों जारी करती है; जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (State Development Loans: SDLs) कहा जाता है।
- G-SEC में व्यावहारिक रूप से **डिफ़ॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता** है और इसलिए ये '**जोखिम मुक्त, श्रेष्ठ श्रेणी की लिखत**' कहलाती हैं।

3.5. सर्कुलर ट्रेडिंग

(Circular Trading)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सर्कुलर ट्रेडिंग और GST के अपवंचन के आरोप में गिरफ्तार लोगों को जमानत दे दी है।

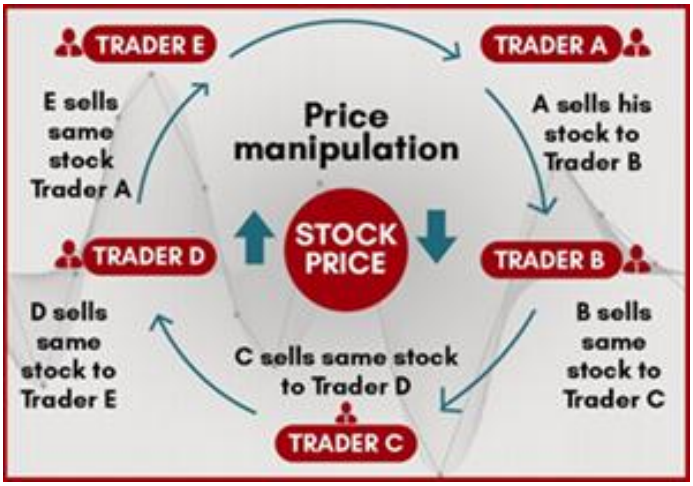

सर्कुलर ट्रेडिंग क्या है?

- सर्कुलर ट्रेडिंग कृत्रिम रूप से कारोबार को बढ़ाने के लिए शेल कंपनियों के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री और खरीद को संदर्भित करती है। इस पूरी प्रक्रिया में वस्तुओं की आवाजाही या स्वामित्व में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता है।
- **उदाहरण के लिए,** एक कंपनी "A" ने दूसरी कंपनी "B" को माल का विक्रय किया, जो उसी माल को तीसरी कंपनी "C" को विक्रय करती है। अब तीसरी कंपनी "C" ने पहली कंपनी "A" को माल का विक्रय किया। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान माल पहली कंपनी के एक गोदाम में ही रखा था।
- यहां लेन-देन के प्रत्येक स्तर पर GST क्रेडिट का भुगतान हुआ। बिक्री की **इस श्रृंखला ने कंपनियों को कारोबार बढ़ाने और अपेक्षाकृत अधिक वैल्यूएशन और ऋण प्राप्त करने में सहायता की। इससे कर अपवंचन का मार्ग प्रशस्त हुआ।**

- यह SEBI द्वारा जारी किए गए **कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध विनियमों (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Regulations) के तहत अवैध** है। वर्ष 1999 का केतन पारेख स्टॉक मार्केट घोटाला सर्कुलर ट्रेडिंग से ही संबंधित था।

3.6. ई-वे बिल प्रणाली में परिवर्तन

(Changes In E-Way Bill System)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने GST वंचकों पर कड़ी कार्रवाई करने हेतु ई-वे (E-Way) बिल प्रणाली में परिवर्तन किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- ई-वे बिल सृजन में कदाचारों के विभिन्न उदाहरणों का पता लगने के साथ, सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स और व्यवसायों द्वारा **ई-वे बिल सृजन के लिए प्रणाली की पुनर्रचना करने** का निर्णय लिया है। ज्ञातव्य है कि **अप्रैल-दिसंबर 2018** के दौरान 15,278 करोड़ रुपये की GST वंचनाओं के 3,626 प्रकरण दर्ज किए गए थे।
- **प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तन:**
  - पिन (PIN) कोड के आधार पर **स्रोत और गंतव्य के मध्य की दूरी की स्वत: गणना।**
  - **एक इनवॉइस के आधार पर कई बिलों का सृजन ब्लॉक किया जाना।** इससे वस्तुओं के पारगमन/आवागमन के दौरान **ई-वे बिल की वैधता का विस्तार किया जाना** संभव हो जाएगा।

ई-वे बिल के बारे में

- **ई-वे बिल या इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल** GST व्यवस्था के अंतर्गत समाविष्ट किया गया एक दस्तावेज है जिसे राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की ढुलाई या लदान से पूर्व तैयार करने की आवश्यकता होती है।
- इसे एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं के प्रेषण हेतु 1 अप्रैल 2018 को आरम्भ किया गया था। हालांकि, राज्य के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया गया था।
- ट्रांसपोर्टर या वाहन के प्रभारी व्यक्ति के पास **ई-वे बिल की भौतिक प्रति** होनी चाहिए और इसमें माल, प्राप्तकर्ता, प्रेषक तथा ट्रांसपोर्टर संबंधी सूचना समाविष्ट होनी चाहिए।
- सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल तैयार होने के उपरांत आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर को **'EBN' नामक एक विशिष्ट ई-वे बिल संख्या** उपलब्ध करवाई जाती है।
- यह पोर्टल **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** द्वारा विकसित किया गया है।

3.7. म्युनिसिपल बॉण्ड्स

(Municipal Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को म्युनिसिपल बॉण्ड्स में निवेश करने की अनुमति प्रदान की है।

म्युनिसिपल बॉण्ड्स क्या होते हैं?

- ये **सरकार या अर्द्ध-सरकारी संस्थानों** द्वारा जारी की गयीं **ऋण प्रतिभूतियां** होती हैं जिन्हें नागरिक परियोजना हेतु निधियन की आवश्यकता होती है।
- साधारणतया इन्हें सममूल्य पर **जारी** किया जाता है तथा **भुनाया** जाता है तथा ये एक निश्चित ब्याज को वहन करते हैं।
- **म्युनिसिपल बॉण्ड्स दो प्रकार के होते हैं:**
  - **जनरल ऑब्लिगेशन बॉण्ड्स** जल, स्वच्छता, कूड़ा-करकट, निपटान आदि जैसी नागरिक सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु जारी किए जाते हैं। ये साधारणतया एक विशिष्ट परियोजना से राजस्व द्वारा समर्थित नहीं होते।
  - **राजस्व बॉण्ड्स** (Revenue bonds) एक विशिष्ट उद्देश्य हेतु जारी किए जाते हैं, जैसे- टोल रोड या टोल ब्रिज के निर्माण हेतु।
- **वर्ष 1997** में भारत में म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने वाला **पहला शहरी स्थानीय निकाय (ULB)** बैंगलौर नगर निगम था।

म्युनिसिपल बॉण्ड पर सेबी के दिशा-निर्देश:

सेबी विनियम, 2015 के अनुसार, म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने वाले नगरपालिका या कॉर्पोरेट नगर इकाई (CME) को कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

- उक्त ULBs की विगत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में भी **नकारात्मक नेट वर्थ नहीं होनी चाहिए**।
- **नॉन-डिफ़ॉल्ट:** नगरपालिका को विगत 365 दिनों के दौरान ऋण प्रतिभूतियों या बैंकों या वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए।
- नगरपालिकाओं द्वारा परियोजना की कुल लागत का कम से कम 20% योगदान करना आवश्यक है।
- **विल्फुल डिफॉल्टर नहीं:** कॉर्पोरेट नगरपालिका इकाई, इसके प्रवर्तक, समूह कंपनी या निदेशक का नाम RBI द्वारा प्रकाशित विल्फुल डिफॉल्टर्स की सूची में शामिल नहीं होना चाहिए अथवा यदि इसके द्वारा लोगों को कोई भी ऋण प्रपत्र जारी किया गया है तो उसके संदर्भ में इसे ब्याज के भुगतान या मूल धन के भुगतान पर डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए।
- सार्वजनिक निर्गम के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड की रेटिंग अनिवार्य रूप से निवेश ग्रेड से ऊपर होनी चाहिए। इन बांडों की परिपक्वता अवधि तीन वर्ष की होनी चाहिए तथा बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों को मौद्रिक एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
- म्युनिसिपल बॉण्ड्स की सरकारी निर्गम हेतु **निवेश ग्रेड से ऊपर अनिवार्य रेटिंग्स** होनी चाहिए।

म्युनिसिपल बॉण्ड की आवश्यकता

- **शहरी अवसंरचना में सुधार:** शहरी अवसंरचना पर एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (HPEC) ने वर्ष 2012-31 की अवधि में शहरी अवसंरचना के लिए राष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुरूप शहरी सेवाएं प्रदान करने हेतु 3.92 मिलियन करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया था।
- **वित्त का वैकल्पिक स्रोत:** ये राज्य अनुदान या विश्व बैंक जैसी संस्थाओं पर निर्भर हुए बिना धन जुटाने में निगमों की सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिका (लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर) और चीन (187 बिलियन डॉलर) में म्युनिसिपल बॉण्ड मार्केट का पर्यवेक्षण करते हुए रेटिंग एजेंसी केयर (CARE) द्वारा अनुमान लगाया गया है कि भारत में बड़ी नगरपालिकाएं प्रत्येक वर्ष 1000 से 1,500 करोड़ डॉलर तक धनराशि जुटा सकती हैं।
- **संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करना:** ये निवेश के कम जोखिमपूर्ण स्रोत प्रदान करके बड़े संस्थागत निवेशकों, जैसे- पेंशन फंड और बीमा कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

भारत में म्युनिसिपल बॉण्ड मार्केट के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- **म्युनिसिपल बॉण्ड संबंधी मुद्दे:** इनके लिए द्वितीयक बाजार की अनुपस्थिति के कारण ये अपेक्षाकृत अल्प तरल साधन होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को परिपक्वता अवधि के पूर्ण होने तक म्युनिसिपल बॉण्ड धारण करना पड़ता है।
- **ऋण पात्रता:** पूर्व में 94 शहरों {जो स्मार्ट सिटी मिशन तथा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) का हिस्सा थे) का क्रिसिल (CRISIL) जैसी एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया गया था। इसमें 94 में से, 55 शहरों को BBB- और उससे ऊपर की जबकि अन्य 39 को BBB- से नीचे की निवेश ग्रेड रेटिंग प्रदान की गई थी। **ऋण पात्रता को प्रभावित करने वाले कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - तेरहवें वित्त आयोग के आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है कि **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुपात में केंद्रीय कर (12%)** की तुलना में **GDP अनुपात में म्युनिसिपल कर (0.5%) अत्यल्प** है।
  - सरकार द्वारा वित्तीयन पर नगर निकायों की निर्भरता और **राज्य सरकारों से शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को वित्त के अंतरण संबंधी अनिश्चितता** से ULBs की वित्तीय स्थिति के प्रति संदेह व्युत्पन्न होता है।
- कुछ बड़े शहरी स्थानीय निकायों को छोड़कर **इनकी बजटिंग और लेखांकन प्रणालियों में पारदर्शिता का अभाव है,** जो इन निकायों की परिसंपत्तियों के दुर्विनियोजन तथा आय एवं व्यय के भ्रामक प्रकटीकरण की संभावनाओं को प्रस्तुत करता है।

VISION IAS

- वर्तमान में चीन में घटित हो रही घटना के समान यदि नगरपालिकाओं पर ऋण भार अत्यधिक बढ़ जाता है तो **डिफ़ॉल्ट के मामलों में वृद्धि** हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट सेक्टर के विपरीत नगरपालिकाओं पर किसी भी प्रकार के **ऋण-शोधन अक्षमता और दिवालियापन कानून** तथा **सुरक्षा प्रवर्तन** कानून लागू नहीं हैं।

सुझाव

- EEE श्रेणी (जिसमें आरंभिक निवेश, अर्जित ब्याज और परिपक्व राशि सभी कराधान से मुक्त होते हैं) के तहत बॉण्ड्स की **बाजार क्षमता में वृद्धि करना** ताकि खुदरा निवेशकों को इनके क्रय हेतु आकर्षित किया जा सके।
- **बॉण्ड बाजारों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता:** बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए दीर्घकालिक बचत को उपयोग करने हेतु एक माध्यमिक बाजार का निर्माण करना तथा पारिवारिक इकाइयों या संस्थानों को परिपक्वता से पूर्व ही अपने दीर्घकालिक बॉण्ड को विक्रय की अनुमति प्रदान करना।
- म्युनिसिपल बॉण्ड को **'सार्वजनिक प्रतिभूतियों'** का दर्जा दिया जा सकता है ताकि वे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) निवेश के लिए स्वीकार्य बन सकें।
- इसके अतिरिक्त, संस्थागत निवेशकों द्वारा म्युनिसिपल बॉण्ड की मांग को बढ़ाने के लिए शहरी अवसंरचना **को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु ऋण** का हिस्सा बनाया जा सकता है।
- शहरी संस्थाओं हेतु एक ऋण वसूली और दिवालियापन कानून को लागू किया जाना चाहिए।
- नगरपालिकाओं को तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञता से सुसज्जित करने के लिए शासन स्तर पर संरचनात्मक सुधार भी किए जाने चाहिए ताकि पर्याप्त ऋण योग्य नगरपालिका संबंधी वित्तीय अवसर उत्पन्न किए जा सकें।

3.8. राष्ट्रीय शहरी नीति फ्रेमवर्क का प्रारूप

(Draft National Urban Policy Framework)

सुर्खियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी नीति फ्रेमवर्क (NUFP), 2018 के प्रथम प्रारूप को जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- विगत दो दशकों में भारत में तीव्र गति से शहरीकरण हुआ है, परन्तु अनेक प्रयासों के बावजूद, भारत के शहर अपनी वर्तमान आबादी के लिए व्यवस्था करने हेतु संघर्ष कर रहे हैं।
    - **यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स, 2018** रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में **भारत की लगभग 34 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही है।**
    - यह देश की शहरी रणनीति का तत्काल पुनरावलोकन करने की आवश्यकता को दर्शाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय मिशनों के आधार पर निर्मित **NUPF** भारत में शहरी नियोजन के भविष्य हेतु एकीकृत और सुसंगत दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
- NUPF को **दो पद्धतियों के साथ संरचित** किया गया है, ये हैं: (i) शहरी नियोजन के 10 **मुख्य दार्शनिक सिद्धांत**, और (ii) तत्पश्चात इन सिद्धांतों को शहरी स्थान और प्रबंधन के **10 कार्यात्मक क्षेत्रों** में लागू किया जाना।
- यह फ्रेमवर्क इन कार्यात्मक क्षेत्रों पर अनुशंसाएँ प्रदान करता है।

NUFP के 10 शहरी सूत्र (सिद्धांत)

- शहर मानव पूँजी के संकुल हैं।
- शहरों में एक 'स्थान की भावना (sense of place)' की आवश्यकता होती है।
- स्थिर मास्टर प्लान नहीं बल्कि विकासशील पारितंत्र।
- घनत्व हेतु निर्माण।
- सामाजिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहित करने वाले सार्वजनिक स्थल।
- मल्टीमॉडल सार्वजनिक परिवहन आधार।
- पर्यावरणीय संधारणीयता।

VISION IAS

- आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता।
- शहरों के लिए स्पष्ट एकीकृत नेतृत्व की आवश्यकता।
- शहर क्षेत्रीय विकास के वाहक होते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ और अनुशंसाएँ

कार्यात्मक क्षेत्र	चुनौतियाँ	अनुशंसाएँ
शहर नियोजन	• मास्टर प्लानिंग ने एक स्थायी निर्माण परिवेश का सृजन किया है। यह शहरी क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तित होती सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से व्यापक रूप से असंबद्ध है। • स्थानिक और कार्यात्मक पहलुओं के मध्य अनुपस्थित सम्पर्क के कारण मास्टर प्लान वास्तविक अर्थों में समग्र होने में विफल रहे हैं। • शहरी नियोजन पुरुषवादी दृष्टिकोण के साथ सम्पादित किया गया है।	• नियोजन क्षेत्र की परिधि में **शहरी और परिनगरीय दोनों क्षेत्र** सम्मिलित होने चाहिए। • मास्टर प्लान **गत्यात्मक** होना चाहिए और उपलब्ध बजट के साथ स्पष्ट रूप से संबंधित होना चाहिए। • स्थानिक नियोजन अभ्यास सहभागितापूर्ण होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें समाज के सभी वर्गों के विविधतापूर्ण दृष्टिकोण सम्मिलित हों। • GIS, GPS, सुदूर संवेदन जैसी तकनीकों का उपयोग करके मास्टर प्लानिंग को अधिक कुशल बनाया जा सकता है।
शहरी अर्थव्यवस्था	• संकुलन प्रभाव शहरीकरण की पूर्ण आर्थिक क्षमताओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। • भारत में शहरी विकास योजनाबद्ध राष्ट्रीय विकास से भिन्न बना हुआ है।	• शहरों को भीतरी प्रदेशों से दुर्बल संपर्क वाला आर्थिक गतिविधियों का अलग-थलग केंद्र बने रहने के बजाए जीवंत केंद्र बनना चाहिए तथा क्षेत्र में प्राकृतिक और मानव संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। • राज्यों को न केवल स्थान बल्कि आगत और निर्गत संपर्कों के सदर्भ में भी अनौपचारिक क्षेत्र को आर्थिक प्रणाली में एकीकृत करने के तरीकों पर रणनीतियों का विकास करना चाहिए। • हरित प्रौद्योगिकियों, नवीन और पर्यावरण अनुकूल निर्माण विधियों में रोजगार सृजन के नए मार्गों का अन्वेषण किया जाना चाहिए। • बड़े शहरों में नगर आर्थिक परिषदें विशिष्ट परियोजनाओं की प्रगति को तीव्र करने हेतु व्यवसाय और सरकारों के मध्य समाशोधन गृह के रूप में कार्य कर सकती हैं। • शहर स्तरीय निवेश, GDP और रोजगार संवृद्धि को समाहित करने वाला एक त्रैमासिक सिटी डैशबोर्ड होना चाहिए।
भौतिक अवसंरचना	• **पेयजल** • जल स्रोत दूर अवस्थित हैं। • उप-सतही जल पर अत्यधिक निर्भरता। • सरकार उपभोक्ताओं पर वास्तविक लागत अधिरोपित करने की इच्छुक नहीं है। • **स्वच्छता और सीवरेज** • मानकों के उन्नयन अथवा उन्हें बनाए रखने हेतु भी निवेश का अभाव। • शहरों के एक विस्तृत भाग में मलजल निपटान प्रणालियाँ विद्यमान नहीं हैं; अतः अपशिष्ट नदियों में प्रवाहित हो जाते हैं।	• **वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क** (जैसे कर वृद्धि वित्तपोषण)। • शहरी अवसंरचना शासन के प्रत्येक क्षेत्र हेतु पेशेवर संस्थान। • राज्यों को नागपुर का अनुकरण करते हुए प्रदर्शन-आधारित अनुबंधों की ओर स्थानांतरित होकर एक निर्धारित समयावधि में दक्षता और सेवा वितरण में सुधार लाना चाहिए। • एकीकृत डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाए। • **स्थानिक योजनाओं को अवसंरचना योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाए।**

VISION IAS

सामाजिक अवसंरचना	• तकनीकी, व्यावसायिक, चिकित्सीय और शैक्षणिक सेवाएँ (धार्मिक सेवाओं को छोड़कर) अपर्याप्त रूप से विकसित की गई हैं। • लिंग आधारित शैक्षिक असमानता। • सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में गिरावट, स्वास्थ्य पर अत्यधिक व्यय। • सांस्कृतिक धरोहर का ध्यान नहीं रखा जाता है।	• सरकार की सभी योजनाओं हेतु उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की ओर अग्रसर होना। • शहरी निर्धनों और शहरी समाज के अन्य सीमांत वर्गों के लिए आवश्यकता आधारित शिक्षा सेवाओं का विकास किया जाए। • शहरों में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और संवर्धन के लिए GIS आधारित धरोहर मानचित्रण किया जाना चाहिए।
आवास और वहनीयता	• शहरी क्षेत्रों में भूमि दुर्लभ है। • लगभग 95% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के परिवार आवासों के अभाव से ग्रस्त हैं। • किराए पर आवास को प्रोत्साहित करने पर नीति निर्माताओं का ध्यान नहीं गया है।	• जैसा कि PMAY (U) दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिकल्पित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से NUP की रूपरेखा के अंतर्गत **राष्ट्रीय आवासीय स्टॉक** निर्मित किया जाना चाहिए। • स्व-निर्मित आवासों की भौतिक और कानूनी सुभेद्यता कम करने वाला स्व-स्थाने उन्नयन किया जाना चाहिए। • **समावेशी जोनिंग में** सम्पूर्ण, गतिशील मिश्रित-उपयोग वाले स्थान निर्मित करने हेतु आजीविका को भी समाविष्ट किया जा सकता है। • अधिकृत सार्वजनिक भूमि को सामाजिक किराये के स्थान (social rentals) में परिवर्तित करना किराए पर आवास का विस्तार करने का एक उपाय हो सकता है।
परिवहन और गतिशीलता	• यातायात की भीड़भाड़ में वृद्धि। • सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न रूप परस्पर असम्बद्ध रूप में कार्य करते हैं। • सड़क आधारित सावर्जनिक परिवहन के लिए निर्दिष्ट स्थान का अभाव इसके प्रति उन यात्रियों के आकर्षण को कम करता है जो परिवहन के अन्य साधनों को वहन कर सकते हैं। • व्यापक पार्किंग नीति का अभाव।	• सड़क सुधार 'परियोजनाएं' फुटपाथ या साइकिल ट्रैक की लागत पर नहीं होनी चाहिए। • व्यापक **स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी।** • भविष्य के सभी विमानपत्तनों, बसों, ट्रेनों और मेट्रो स्टेशनों को परिवहन के कई माध्यमों का उपयोग करने वाले नियमित यात्रियों का निर्बाध पारगमन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। • सार्वजनिक बस ऑपरेटरों को **इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS)** का प्रयोग आरम्भ करना चाहिए
शहरी वित्त	• जनोपयोगी सेवाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं हेतु उचित दरों का आकलन करने के लिए स्थानीय स्तर पर (विशेष रूप से लघु नगरपालिकाओं के मामले में) आर्थिक और वित्तीय विशेषज्ञता अनुपलब्ध है। • आबादी के एक वर्ग की निम्न भुगतान क्षमता का उपयोग उन वर्गों से भी शुल्क न लेने के एक बहाने के रूप में किया जाता है, जो भुगतान कर सकते हैं और जिन्हें करना चाहिए।	• संघ सूची और राज्य सूची की तर्ज पर **'स्थानीय निकाय वित्त सूची' (LBFL)** प्रविष्ट की जानी चाहिए। • संपत्ति कर, व्यावसायिक कर, उपयोगकर्ता प्रभार, और शुल्क को सम्मिलित करने वाली राजस्व संग्रहण की योजना। • जिन नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) की क्रेडिट रेटिंग की गई है, उनके द्वारा **राजस्व संवर्धन योजनाएँ** लागू की जानीं चाहिए। • दोहरी प्रविष्टि और प्रोद्भवन प्रणाली पर आधारित उन्नत लेखांकन प्रणाली होनी चाहिए जिससे श्रेष्ठतर वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त हो।
शहरी शासन	• कार्यों का विखंडित होना। • राज्य के स्वामित्वाधीन निकायों की उपस्थिति (विशिष्ट कार्यों के लिए) ने शहरी स्तर पर	• सभी पदाधिकारियों की भूमिकाओं को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। • जवाबदेही की समकालीन विधियों का पता लगाया जाना

VISION IAS

	अभिकरणों की बहुलता का प्रसार किया है। • अधिकांश ULBs में कर्मचारियों की कमी है।	चाहिए, जैसे कि वापस बुलाना और जनमत संग्रह। • **डिजिटल रूप से सक्षम सामाजिक लेखा परीक्षा** प्रचलित की जानी चाहिए। • कार्यों और पदाधिकारियों की आउटसोर्सिंग से क्षमता अंतराल की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।
शहरीकरण और सूचना प्रणाली	• शहर/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर अनुभवजन्य आँकड़ों की कमी, अद्यतित सटीकता आधारित मानचित्रों का अभाव, भूमिगत अवसंरचना के मानचित्र आँकड़ों की कमी, भूमि सर्वेक्षण की अप्रचलित तकनीक, नागरिक एप्लीकेशन्स का अत्यल्प उपयोग।	• शहरों को **एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC)** बनाने की आवश्यकता है। • विद्युत्, जल एवं गैस के लिए स्मार्ट विद्युत् ग्रिड और स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से सुधार। • सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों जैसे इंटेलिजेंट एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग और सर्विलांस तथा रक्षा और सुरक्षा प्रणालियों (CCTV, पुलिस, यातायात, आदि) की नेटवर्किंग। • **खुली डेटा नीतियों** का कार्यान्वयन।
पर्यावरणीय संधारणीयता	• भारत के शहर वायु प्रदूषण के संदर्भ में अत्यधिक गंभीर रूप से प्रभावित हैं। • सुरक्षित और उपयोग करने योग्य सतही एवं भूजल स्रोतों तक पहुँच का अभाव।	• राष्ट्रीय और राज्य स्तर की आपदा योजनाओं का नियोजन और कार्यान्वयन किया जाए। • 5 से 10 वर्ष की समयावधि के साथ शहरी जल प्रबंधन योजनाओं का विकास किया जाए। • अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility: EPR)** सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जाए।

3.9. एशियाई चाय गठबंधन

(Asian Tea Alliance)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, चाय उगाने वाले और खपत करने वाले पांच देशों के संघ **'एशियाई चाय गठबंधन (ATA)'** को चीन के गुइझोऊ में गठित किया गया।

विवरण

- **भारतीय चाय संघ और चीन चाय विपणन संघ** ने दिसंबर 2018 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे जिसके परिणामस्वरूप यह गठबंधन स्थापित हुआ।
- **शामिल देश:** भारत, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका और जापान।
  - यह चाय के व्यापार को बढ़ाने, वैश्विक स्तर पर चाय को प्रोत्साहित करने और एशियाई चाय के भविष्य के लिए संधारणीयता संबंधी एजेंडे के निर्माण की दिशा में कार्य करेगा।

चाय के लिए उपयुक्त जलवायविक दशाएं

- **तापमान:** चाय के लिए **21⁰C से 29⁰C तापमान** उपयुक्त है। चाय की वृद्धि के लिए न्यूनतम तापमान **16⁰C** है।
- **वर्षा:** चाय की कृषि के लिए 150-250 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है।
- **मृदा:** चाय की झाड़ियों को चूने और लोहे से युक्त उपजाऊ पर्वतीय मृदा की आवश्यकता होती है। मृदा ह्यूमस से समृद्ध होनी चाहिए।
- **भूमि:** चाय की कृषि के लिए अच्छी जल निकासी युक्त भूमि की आवश्यकता होती है। चाय के पौधों के लिए जल भराव उपयुक्त नहीं होता है।

भारतीय चाय उद्योग: एक दृष्टि

VISION IAS

- 2018 के आंकड़ों के अनुसार चीन के बाद भारत विश्व में **चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश** था।
- भारत क्रमशः **केन्या, चीन और श्रीलंका के बाद चाय निर्यातक देशों में चौथे स्थान पर है।**
- भारत चाय के **विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में से एक** है, यहां देश की कुल उपज के लगभग तीन-चौथाई की खपत स्थानीय रूप से होती है।
- भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में **पूर्वोत्तर भारत (जिसमें असम शामिल है) और उत्तर बंगाल (दार्जिलिंग जिला और दुआर क्षेत्र) के साथ ही दक्षिण भारत का नीलगिरी क्षेत्र शामिल हैं।**

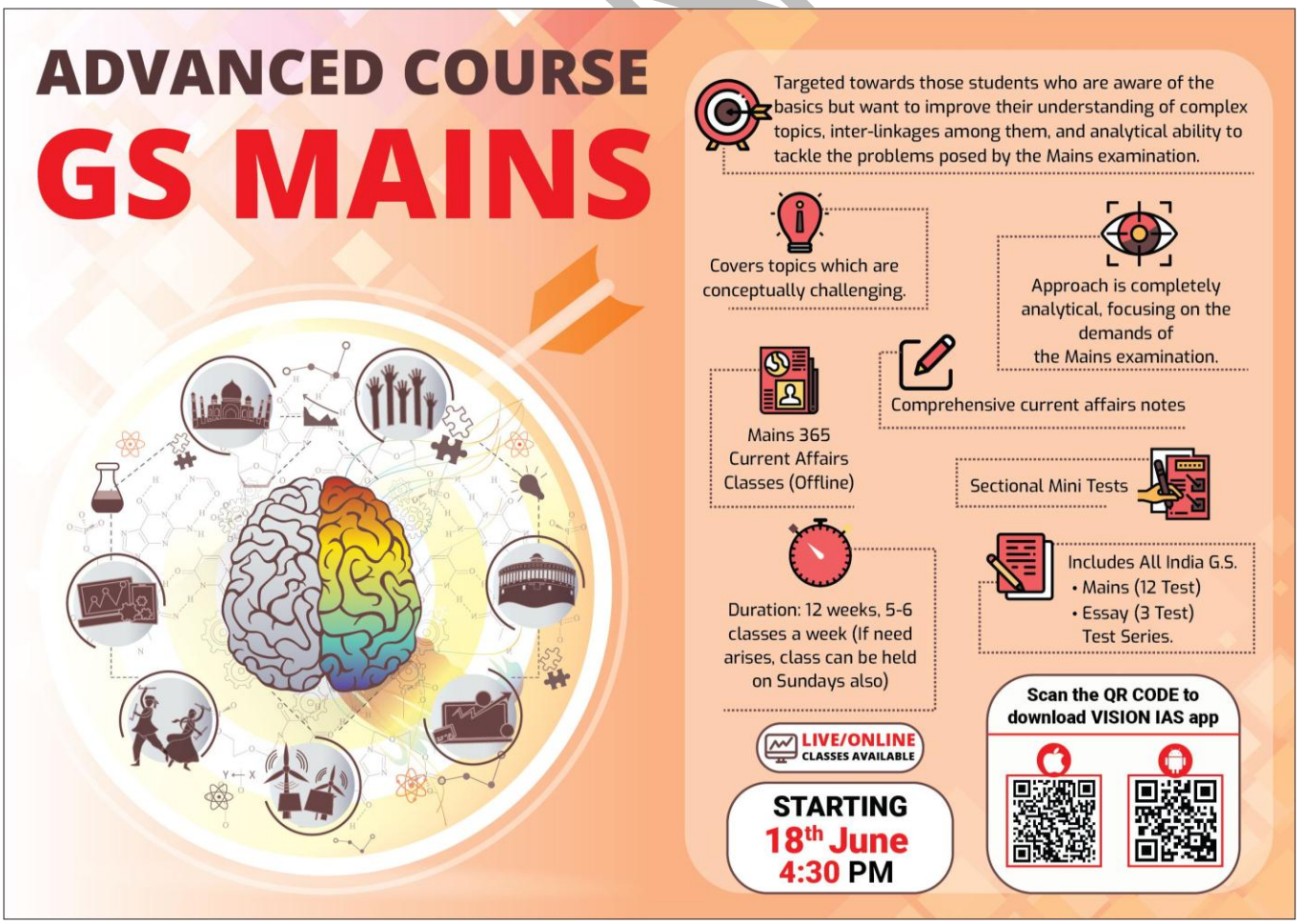

4. सुरक्षा (Security)

4.1. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम

(Armed Forces Special Powers Act: AFSPA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

32 वर्षों तक प्रभावी रहने के पश्चात् सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों से आंशिक रूप से हटा दिया गया है। इससे पूर्व, AFSPA राज्य के कुल नौ जिलों में लागू था।

AFSPA के बारे में

- वर्ष 1958 में अधिनियमित सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम "अशांत क्षेत्रों" में लोक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने हेतु **सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियां एवं उन्मुक्ति प्रदान करता है।**
- "विभिन्न धार्मिक, नृजातीय, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों अथवा जातियों या समुदायों के सदस्यों के मध्य विद्यमान मतभेद या विवाद के कारण" किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र माना जाता है।
- AFSPA **राज्य/संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल** को संपूर्ण राज्य या आंशिक क्षेत्र को "अशांत क्षेत्र" के रूप में घोषित करने हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इस अधिसूचना के पश्चात् केंद्र सरकार यह निर्धारित करती है कि उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सशस्त्र बलों को तैनात किया जाए अथवा नहीं।
- सशस्त्र बलों को प्रदान की गई कुछ असाधारण शक्तियों में शामिल हैं:
  - यदि किसी व्यक्ति द्वारा अशांत क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था के विरुद्ध कोई कृत्य किया जा रहा हो, बिना चेतावनी दिए उस पर गोली चलाना।
  - बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना।
  - किसी भी वाहन या पोत को रोककर उसकी छानबीन करना।
  - सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके कार्यवाहियों के लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई है।
- वर्तमान में AFSPA **पूर्वोत्तर के पांच राज्यों** (अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों, असम, मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैंड) तथा **जम्मू एवं कश्मीर** में प्रभावी है।
- ध्यातव्य है कि AFSPA को त्रिपुरा से 2015 में और मेघालय से 2018 में समाप्त कर दिया गया था।

AFSPA को लागू किए जाने के पक्ष में तर्क

- **प्रभावी कार्यप्रणाली:** यह विप्लव (insurgency) एवं आतंकवाद (militancy) से प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों का प्रभावी कार्यसंचालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है।
- **राष्ट्र की सुरक्षा:** इस अधिनियम के प्रावधानों ने अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इस प्रकार **राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के संरक्षण** हेतु यह अधिनियम अत्यावश्यक है।
- **सशस्त्र बलों के सदस्यों का संरक्षण:** यह सशस्त्र बलों के सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जिनके जीवन के समक्ष विद्रोहियों और आतंकवादियों के हमले का खतरा निरंतर बना रहता है। इसके निरसन के परिणामस्वरूप सशस्त्र बलों के सदस्यों के **मनोबल का ह्वास** हो सकता है।
  - सशस्त्र बलों के लिए असाधारण शक्तियों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके द्वारा छापा मारना, घात लगाना, बारूदी सुरंगें और विस्फोटक उपकरण, विध्वंसक गतिविधियाँ आदि सहित **युद्ध की असामान्य विधियों का सामना** किया जाता है।

AFSPA के विपक्ष में तर्क

- यह आरोप लगाया जाता है कि अधिनियम द्वारा प्रदत्त **उन्मुक्तियों ने** सशस्त्र बलों को **शक्तियों का दुरुपयोग करने** तथा बलपूर्वक किसी व्यक्ति को लापता करने, फर्जी मुठभेड़ों एवं यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों को करने हेतु प्रोत्साहन दिया है।
- यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रत्याभूत **मूल अधिकारों** और स्वतंत्रता के **उल्लंघन** का कारण बनता है। इस प्रकार, यह लोकतंत्र को कमजोर करता है।
- **अलगाववादियों** और आतंक के प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था न रखने वाले **व्यक्तियों का उपयोग** किया जाता है, जो एक दुष्चक्र का सृजन करते हुए हिंसा एवं प्रति हिंसा को प्रोत्साहित करता है।
- आलोचकों का तर्क है कि यह अधिनियम लगभग 50 वर्षों से अशांत क्षेत्रों में प्रभावी रहने के बावजूद वहां सामान्य स्थिति को पुनर्बहाल करने के अपने **उद्देश्य में विफल** रहा है।

VISION IAS

- AFSPA प्रभावी क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की **जाँच एवं पर्याप्त कार्रवाई नहीं** की जाती है। अतः, यह **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी विरुद्ध है।**
- **न्यायमूर्ति वर्मा समिति** द्वारा (संघर्ष ग्रस्त क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संदर्भ में) कहा गया है कि AFSPA यौन हिंसा के लिए दंडाभाव को वैधता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, कुनन-पोशपोरा की घटना; मणिपुर में थंगजाम मनोरमा मामला आदि।
- मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ों की जांच के लिए गठित **न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े समिति** ने इसे "उत्पीड़न के प्रतीक" के रूप में संबोधित किया है।
- **न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति** ने AFSPA के तहत प्रदत्त पूर्ण उन्मुक्ति को हटाए जाने की अनुशंसा की है।

आगे की राह

- इस तथ्य पर बल दिए जाने की आवश्यकता है कि **मानवाधिकार अनुपालन और परिचालनात्मक प्रभावशीलता परस्पर विरोधी पहलू नहीं हैं।** वास्तव में, मानवाधिकार मानदंड और सिद्धांतों का अनुपालन एक सैन्य बल की विप्लव विरोधी क्षमता को सुदृढ़ता प्रदान करता है।
- सशस्त्र बलों का संरक्षण उन प्रावधानों के साथ किया जाना चाहिए जो विधि के मापदंडों के अंतर्गत उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। इसका कारण यह है कि मौजूदा या किसी नवीन कानून में सुदृढ़ रक्षोपायों को समाविष्ट करना अत्यावश्यक है।
- अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने हेतु "अशांत", "खतरनाक" और "स्थल सैन्य-बालों" जैसी पदावलियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- सेना और सरकार की वेबसाइटों पर प्रदर्शित करने हेतु मौजूदा मामलों की स्थिति के संचारण में अत्यधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- विगत मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर याचिकाकर्ताओं की अग्रसक्रिय प्रतिक्रिया ली जानी चाहिए।

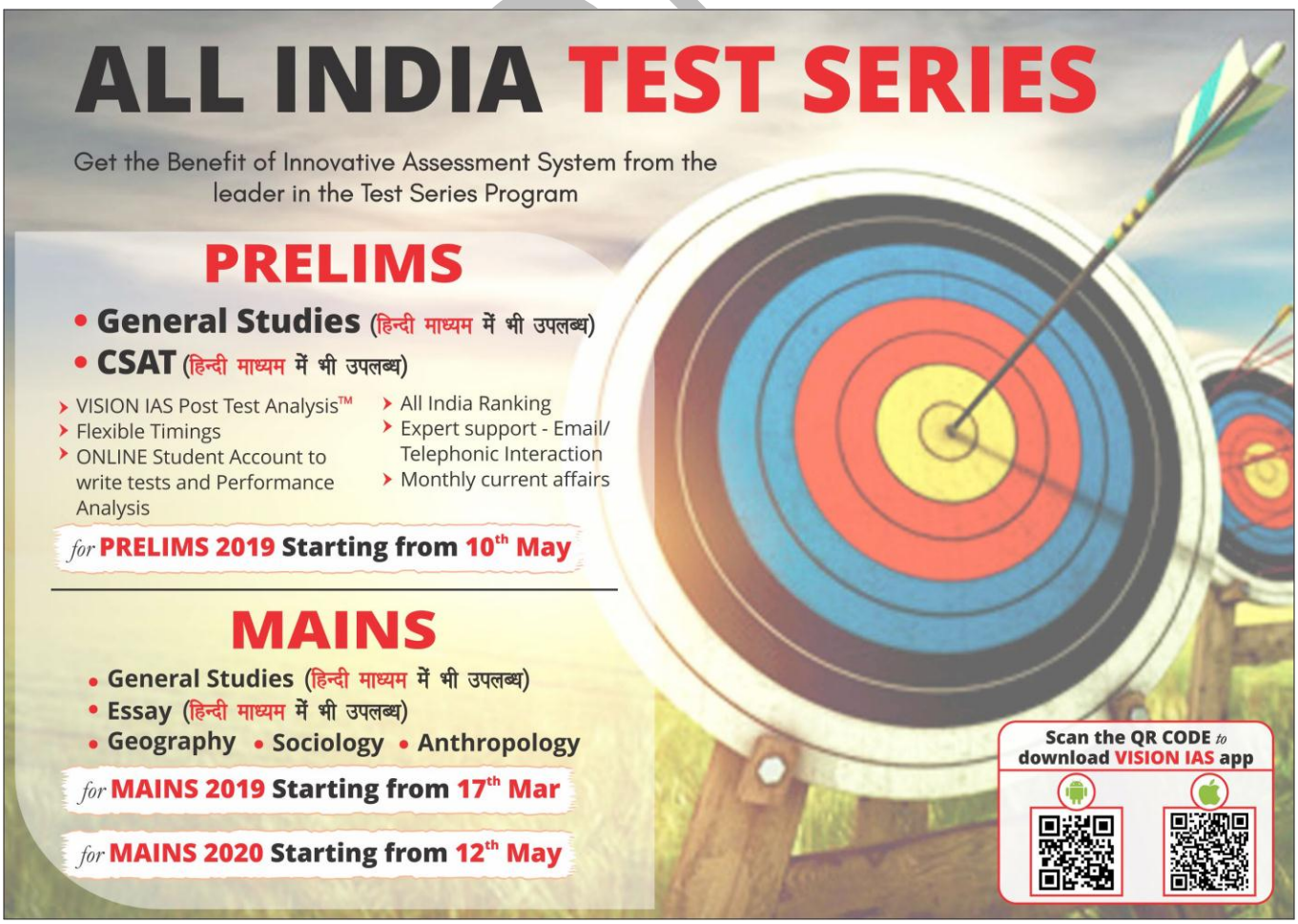

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

(International Solar Alliance)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, बोलीविया **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 74वां देश बन गया है।

ISA के बारे में

- प्रारंभ में इसकी शुरुआत की घोषणा **भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से** वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) से संबंधित कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज़-21 (COP-21) के दौरान की गई थी।
- हालांकि इसकी आधिकारिक स्थापना 6 दिसंबर 2017 को फ्रेमवर्क समझौते के प्रभावी होने के पश्चात् हुई थी।
- इसकी सदस्यता उन सौर संसाधन संपन्न देशों के लिए खुली है, **जो पूर्णतः या अंशतः कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं** और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं।
    - दिल्ली में आयोजित इसकी प्रथम बैठक में भारत द्वारा इसकी सदस्यता को सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। हालांकि यह अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है।
- इस पहल के माध्यम से, सदस्य देशों द्वारा निम्नलिखित सामूहिक महत्वाकांक्षा साझा की गई है:
    - सौर ऊर्जा के तीव्र और व्यापक पैमाने पर उत्पादन के समक्ष विद्यमान बाधाओं को समाप्त करना;
    - प्रतिस्पर्द्धी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के तत्काल विकास हेतु आवश्यक वित्त और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी लागत को कम करने के लिए अभिनव और ठोस प्रयास करना;
    - 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना; तथा
    - सदस्य देशों में 1,000 गीगावॉट से अधिक की सौर ऊर्जा क्षमता के विकास और उत्पादन में तीव्रता लाना।
- ISA द्वारा **पांच प्रमुख कार्यक्रम** निर्धारित किए गए हैं:
    - कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना;
    - वहनीय वित्तीय सहायता;
    - सोलर मिनी ग्रिड में वृद्धि करना;
    - छत पर लगायी गई सौर इकाइयों में वृद्धि करना; तथा
    - सोलर ई-मोबिलिटी और स्टोरेज में वृद्धि करना।
- ISA के संचालन से संबंधित लागत को सदस्य देशों, साझेदार देशों, साझेदार संगठनों और रणनीतिक साझेदारों के स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।
    - ISA के अंतर्गत प्राप्त अनुदान को FCRA के अंतर्गत वर्णित भारतीय गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं को विदेशी स्रोत से किए गए वित्त पोषण के रूप में माने जाने से छूट प्रदान की गई है।
- **यह प्रथम संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है** जिसका मुख्यालय भारत में है।
- ISA सचिवालय द्वारा लॉन्च किया गया है-
    - ISA सदस्य देशों में क्षमता निर्माण के प्रयासों का समर्थन करने हेतु एक सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और संसाधन केंद्र (iSTAR-C)।
    - ISA सदस्य देशों में असाधारण कार्य करने वाले सौर वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु 'ISA सौर पुरस्कार' (कल्पना चावला सौर पुरस्कार)।
- ISA सदस्य देशों में सौर परियोजनाओं की वित्तीय लागत को जोखिम-मुक्त बनाने और कम करने के लिए ISA द्वारा एक सामान्य जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया (CRMM) भी विकसित की जा रही है।

VISION IAS

सम्बंधित तथ्य

- भारत द्वारा दक्षिण अमेरिका में **'लिथियम त्रिकोण'** तक पहुँच स्थापित की गई है। लिथियम त्रिकोण में चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया शामिल हैं।
- खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) द्वारा हाल ही में इन देशों का दौरा किया। KABIL के तहत तीन PSU कंपनियां यथा: नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (NALCO), हिंदुस्तान कॉपर (HCL) और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MECL) शामिल हैं।

ISA का महत्व

- **यह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।**
- **ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का एकीकरण।**
- **यह 'वैश्विक ऊर्जा निर्धनता' का समाधान करेगा।** अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ (IEA) के अनुसार उप-सहारा अफ्रीका में "600 मिलियन से अधिक लोग विद्युत तक पहुँच से वंचित" हैं।
- सौर ऊर्जा के दोहन में वित्तीय बाधाओं को समाप्त करने के लिए विभिन्न देशों के मध्य सौर ऊर्जा पर आधारित एक **वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा ग्रिड का निर्माण।**

5.2. अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र

(Renewable Energy Certificates)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अक्षय ऊर्जा (RE) कंपनियों ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत **अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (RECs)** हेतु छूट प्राप्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दर्ज की है।

भारत में कार्बन बाज़ार के बारे में

- भारत में अक्षय ऊर्जा बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने **विद्युत अधिनियम, 2003** तथा **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के तहत विभिन्न नीतियों का निर्माण किया है।
- इसके परिणामस्वरूप वर्तमान में भारत में दो कार्बन बाजार आधारित व्यापार योजनाएं विद्यमान हैं-
  - **परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT)**, जिसे बृहत् ऊर्जा-गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में लागत प्रभावी उपायों के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - **अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC)** को देश के भीतर अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

PARAMETER	PAT	REC
NODAL BODY	Bureau of Energy Efficiency (BEE), under the aegis of the Ministry of Power (MOP)	Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)
TIMEFRAME	Launched in 2012; Currently in its 3rd Cycle, with each cycle being for 3 year	Launched in 2010; no definite cycle designed, but implementation is designed for annual cycles based on notification of RPOs.
METRIC	Energy Saving Certificates (ESCert) are measured in ton of oil equivalent (TOE) value; 1 ESCent- 1 TOE sav	REC Certificates are measured in Mwh value; 1 REC - 1 MWh
COVERAGE	Till date, 11 energy-intensive sectors have been notified for PAT- Aluminum, Cement, Chlor- Alkali, Fertilizer, Iron & Steel, Paper & Pulp, Thermal Power Plants, Textile, Railways, Refineries & Electricity Distribution Companies	2 categories of RECs; solar RECs and non-solar RECs. The following categories are included: Electricity distributors /suppliers such as Distribution Licensees, Captive Consumers, Open Access users
REGULATORY BODY	Central Electricity Regulatory Commission (CERC)	Central Electricity Regulatory Commission (CERC)
REGISTRY	Power System Operation Corporation Limited (POSOCO)	Power System Operation Corporation Limited (POSOCO)
TRADING PLATFORM	Indian Energy Exchange (IEX) and Power Exchange India Limited (PXIL)	Indian Energy Exchange (IEX) and Power Exchange India Limited (PXIL)

अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC)

- **एक REC वस्तुतः बाज़ार-आधारित उपकरण** है, जो यह प्रमाणित करता है, कि इसके धारक को अक्षय ऊर्जा संसाधन द्वारा उत्पन्न विद्युत के **एक मेगावाट-आवर** (MWh) का स्वामित्व प्राप्त है।
- विद्युत प्रदाता द्वारा ग्रिड में ऊर्जा प्रदान करने के पश्चात् उन्हें प्राप्त होने वाले **REC की वे खुले बाजार में एक वस्तु के रूप में बिक्री कर सकते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX)** और **पॉवर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (PXIL)** के माध्यम से RECs में व्यापार करने हेतु एक अखिल भारतीय बाजार की स्थापना की गई है।
- REC की कीमत बाजार आधारित मांग द्वारा निर्धारित होती है और **केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)** द्वारा निर्दिष्ट **'फ्लोर प्राइस'** तथा **'फॉरबिअरेंस प्राइस'** के मध्य नियंत्रित की जाती है। नवीनतम RE बिजली खरीद समझौते (Power Purchase Agreement: PPA) में उद्धृत औसत टैरिफ को प्रतिबिंबित करने हेतु इन प्रशुल्कों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
- RE संभावना का संकेद्रण कुछ राज्यों में ही विद्यमान है, जिसका तात्पर्य है कि सभी राज्यों से समान स्तरीय **अक्षय खरीद दायित्व** (Renewable Purchase Obligation) के अनुपालन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह निम्नलिखित निहितार्थों की ओर संकेत करता है:
  - न्यूनतम क्षमता वाले राज्यों को विभिन्न नियामक बाधाओं एवं अतिरिक्त शुल्कों वाली **महंगी सीमा-पार खरीद** का सहारा लेना पड़ता है।
  - इसके अतिरिक्त प्रचुर मात्रा में विद्यमान संसाधन वाले वैसे राज्य जिनके पास अधिशेष है, वे अधिमान्य प्रशुल्क पर अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ हैं।
  - वैसी विद्युत वितरण कंपनियाँ (DISCOMS) जिनके पास सब्सिडी प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है, उन्हें आनुपातिक रूप से **उच्च लागत का वहन** करना पड़ता है।
- अतः **यह तंत्र देश के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों की असमान उपलब्धता का समाधान करने हेतु एक साधन प्रदान करता है।**

VISION

मापदंड	PAT	REC
नोडल निकाय	विद्युत मंत्रालय (MoP) के तत्वाधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
समयावधि	इसे 2012 में लॉन्च किया गया था, जो वर्तमान में अपने तीसरे चक्र में है, प्रत्येक चक्र की अवधि 3 वर्ष की होती है	वर्ष 2010 में प्रारंभ, कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं, परन्तु इसे RPOs की अधिसूचना के आधार पर वार्षिक चक्रों के अंतर्गत क्रियान्वित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है
गणना	ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ESCert) की गणना 1 टन तेल समतुल्य (Ton of oil equivalent: TOE) के मान में की जाती है; 1ESCert = 1 TOE saved	REC प्रमाणपत्रों (सर्टिफिकेट) की गणना MwH मूल्य में की जाती है- 1 REC= 1 MwH
कवरेज	अभी तक 11 ऊर्जा गहन क्षेत्रों यथा- एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, उर्वरक, लौह एवं इस्पात, कागज़ व लुगदी, तापीय ऊर्जा संयंत्र, कपडा, रेलवे, रिफाइनरी एवं विद्युत वितरण कंपनियों को PAT हेतु अधिसूचित किया गया है	RECs के दो श्रेणियां- सौर RECs एवं गैर-सौर RECs; निम्नलिखित श्रेणियों को शामिल किया गया है: विद्युत वितरकों/ आपूर्तिकर्ताओं, जैसे वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपभोक्ता और ओपन एक्सेस उपयोगकर्ता
विनियामक संस्था	केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)	केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)
रजिस्ट्री	पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (POCOSO)	पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (POCOSO)
ट्रेडिंग प्लेटफार्म	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) और पॉवर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (PXIL)	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) और पॉवर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (PXIL)

अक्षय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation: RPO)

- इसे वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया था। RPOs वस्तुतः विद्युत वितरण कंपनियों, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं तथा कैप्टिव पावर उत्पादकों के लिए उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं के कुछ भाग की पूर्ति हेतु हरित ऊर्जा के खरीद को अनिवार्य बनाता है।
- सभी राज्यों के लिए पूर्व निर्धारित RPO लक्ष्य, वर्तमान में राज्यों की कुल ऊर्जा आवश्यकता के 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के मध्य तक विस्तृत है। RPO को दो भागों में विभाजित गया है: सौर-RPO और गैर-सौर RPO.
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा वृद्धिशील वार्षिक RPO लक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2022 तक 21 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

REC बाज़ार के अन्य लाभ

- **स्टैंड-अलोन सिस्टम (एकल प्रणाली) को बढ़ावा:** चूंकि RECs के व्यापार हेतु विद्युत पारेषण की आवश्यकता नहीं होती है, अतः REC की बिक्री द्वारा प्राप्त अतिरिक्त राजस्व स्टैंडअलोन सिस्टम (एकल प्रणाली) की व्यवहार्यता में सुधार करने हेतु सहायता कर सकता है। सामान्य परिदृश्य में इस प्रकार के क्षेत्रों से विद्युत पारेषण किफायती नहीं हो सकता है।

VISION IAS

- **विद्युत बाजार में प्रतिस्पर्धा:** RECs को विद्युत ऊर्जा से पृथक करना, भविष्य के लागत प्रभावी अक्षय ऊर्जा को प्रतिस्पर्धी तरीके से पॉवर एक्सचेंज में भाग लेने की अनुमति देता है। इस प्रकार की अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों हेतु लागत संबंधी हानि को दूर करने के लिए RECs द्वारा प्राप्त राजस्व सहायक सिद्ध हो सकता है।
- **निवेश को आकर्षित करता है:** REC बाजार, अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन के विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने में सहायता करता है।

REC बाज़ार संबंधी चुनौतियां

- **स्वैच्छिक प्रकृति के कारण** RECs के लिए मांग उत्पन्न करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके कारण बाजार में आपूर्ति-मांग असंतुलन उत्पन्न हो जाता है।
- कॉर्पोरेट्स, व्यक्तियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के मध्य RECs संबंधी **जागरूकता का अभाव** है।
- **नियामकीय चुनौतियां:** RECs की ट्रेडिंग में अनिश्चितताओं के कारण RPOs के अनुपालन के लिए, जिन संस्थाओं पर अक्षय ऊर्जा की खरीद हेतु बाध्यता है वे RECs का उपयोग करने के स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से अक्षय उर्जा के क्रय को वरीयता प्रदान करती हैं।
- **निम्न सौर-REC व्यापार:** यह मार्च 2017 में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा सौर एवं गैर-सौर REC के फ्लोर एवं सीलिंग मूल्यों को कम करने के निर्णय द्वारा प्रभावित हुई थी।

आगे की राह

- REC तंत्र में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने एवं विद्युत बाजार को विकसित करने की क्षमता विद्यमान है, अतः इससे देश के सतत विकास में वृद्धि होगी। यह स्वैच्छिक खरीदारों को हरित पद्धति अपनाने हेतु अवसर प्रदान करता है तथा देश के संधारणीय विकास में योगदान देता है।
- स्वैच्छिक खरीदारों, जैसे- उद्योगों और कॉर्पोरेट्स को उनके द्वारा हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण के अंतर्गत दिए गए योगदान के संदर्भ में जागरूक करने की आवश्यकता है।
- राज्य एजेंसियों एवं प्रोजेक्ट डेवलपर्स सहित सभी हितधारकों का क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए।

5.3. फ्लाई ऐश की उपयोगिता

(Fly Ash Utilisation)

सुर्खियों में क्यों?

फ्लाई ऐश की खरीद में कठिनाई होने के कारण देश में विभिन्न फ्लाई ऐश ईंट विनिर्माता इकाइयों को बंद कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- देश की विद्युत क्षमता को बढ़ाने में **कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत् के उत्पादन** का मुख्य योगदान रहा है। भारतीय कोयला, आयातित कोयले की तुलना में **निम्न श्रेणी** का है। भारतीय कोयले में **ऐश का अंश 30 से 45 प्रतिशत तक** होता है जबकि आयातित कोयले में यह मात्रा 10 से 15 प्रतिशत तक होती है।
- इसके कारण देश में कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्टेशनों में ऐश की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न हो रही है। फलतः न केवल इसके निपटान हेतु अत्यधिक विस्तृत भू-क्षेत्र की आवश्यकता होती है, अपितु यह वायु तथा जल प्रदूषण का एक स्रोत भी है।
- इसलिए, भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारों द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- यद्यपि, फ्लाई ऐश उपयोगकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि निम्नलिखित कारणों से उत्पादकों द्वारा फ्लाई ऐश का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर दिया गया है-
    - ताप विद्युत् संयंत्रों के मध्य फ्लाई ऐश की आपूर्ति के संदर्भ में लाभांश वृद्धि हेतु परस्पर समूहीकरण (cartelization) हो गया है।
    - चुनाव के दौरान "चुनावी बाध्यताओं" के कारण सड़क या अन्य परियोजनाओं के निर्माण हेतु संबंधित ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाती है।

फ्लाई ऐश

- यह ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से उपोत्पाद के रूप में प्राप्त एक महीन पाउडर होता है।
- **संघटन:** फ्लाई ऐश में पर्याप्त मात्रा में सिलिका, एल्यूमीनियम व कैल्शियम के ऑक्साइड विद्यमान होते हैं। इसके ट्रेस कंसंट्रेशन में आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, सीसा आदि तत्व भी पाए जाते हैं।

फ्लाई ऐश के उपयोग के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA),** विद्युत मंत्रालय के निर्देशानुसार वर्ष 1996-97 से देश में कोयले व लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत् स्टेशनों पर फ्लाई ऐश के उत्पादन तथा इसके उपयोग की निगरानी कर रहा है।
- **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फ्लाई ऐश के उपयोग पर अधिसूचनाएं** (नवीनतम अधिसूचनाएं वर्ष 2016 में) जारी की हैं। इन अधिसूचनाओं की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
  - ताप विद्युत् स्टेशन (TPS) की वेबसाइट पर उपलब्ध फ्लाई ऐश के विवरण को अनिवार्य रूप से अपलोड करना और प्रत्येक माह में कम से कम एक बार स्टॉक की स्थिति को अद्यतन करना;
  - अनुप्रयोग क्षेत्र की अनिवार्य क्षेत्राधिकार सीमा को वर्तमान 100 कि.मी से 300 कि.मी तक बढ़ाना;
  - 100 कि.मी की दूरी तक फ्लाई ऐश की परिवहन लागत पूर्ण रूप से ताप विद्युत् स्टेशन (TPS) द्वारा वहन की जाएगी और 100 कि.मी से 300 कि.मी की दूरी तक फ्लाई ऐश की परिवहन लागत उपयोगकर्ता तथा ताप विद्युत् स्टेशन के मध्य समान रूप से साझा की जाएगी;
  - सभी सरकारी योजनाओं या कार्यक्रमों में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का अनिवार्य रूप से उपयोग करना, उदाहरण के लिए- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- **ऐश ट्रैक:** यह एक ऐसा मोबाइल एप्लिकेशन है जो संयंत्र-आधारित, उपयोगिता-आधारित और राज्य-वार ऐश उपयोग की स्थिति प्रदान करता है।
- **महाराष्ट्र:** फ्लाई ऐश उपयोग नीति को अपनाने वाला प्रथम राज्य।
- **ओडिशा** ने संयंत्रों को परिवहन लागत के लिए सब्सिडी देने का आदेश दिया है।
- IIT-दिल्ली और IIT-कानपुर जैसे संस्थानों के सहयोग से **NTPC** ने प्री-स्ट्रेस्ड रेलवे कंक्रीट स्लीपरों का निर्माण आरंभ किया है।

- **फरवरी 2019 में जारी एक अन्य सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि-**
  - 300 कि.मी के भीतर स्थित वर्तमान रेड क्ले (लाल चिकनी मृदा) वाले ईंट के भट्टों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के भीतर फ्लाई ऐश आधारित ईंट या ब्लॉक या टाइल निर्माण इकाई में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
  - इस परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए, TPS द्वारा इकाइयों को 1 रुपया प्रति टन की दर से फ्लाई ऐश प्रदान किया जायेगा। साथ ही 300 कि.मी तक की दूरी पर स्थित ऐसी इकाईयों के लिए पूर्ण परिवहन लागत को TPS द्वारा वहन किया जायेगा।
- गत वर्ष, **प्रधानमंत्री कार्यालय** ने देश में एक समयबद्ध रीति से फ्लाई ऐश के उपयोग में "10 गुना" तक वृद्धि करने हेतु निर्देशित किया था।

फ्लाई ऐश उपयोग के लाभ

- **जल संसाधनों के संदूषण पर नियंत्रण:** क्षरण/अपरदन, अपवाह तथा जलीय सतह पर निक्षेपित वायुवाहित कणों के माध्यम से होने वाले सतही जल, सतही जल में मिलने वाले भूजल, ड्रेनेज सिस्टम में प्रवाहित जल, या कोल एश पोंड से निस्तारित जल आदि के संदूषण पर रोक लगाकर।
- **मृदा क्षरण पर रोक:** यह ईंटों के निर्माण के लिए मृदा की उपरी परत के उपयोग को कम करने में सहायता करता है।
- **विविध प्रकार के निर्माण कार्यों में उपयोग:** फ्लाई ऐश निर्माण उद्योगों के कई अनुप्रयोगों के लिए एक प्रमाणित संसाधन सामग्री है। वर्तमान में पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में, ईंटों/ब्लॉकों/टाइल्स के निर्माण में, सड़क तटबंध के निर्माण में तथा निम्नस्थ क्षेत्रों के विकास इत्यादि में इसका उपयोग किया जा रहा है। फ्लाई ऐश ईंटें तुलनात्मक रूप से अधिक मजबूत सिद्ध हुई हैं।
- **कृषि में उपयोग:** फ्लाई ऐश का अम्लीय मृदा हेतु एक एजेंट के रूप में एवं मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह मृदा के कुछ महत्वपूर्ण भौतिक-रासायनिक गुणों, जैसे- हाइड्रोलिक संचालकता, स्थूल घनत्व, सरंध्रता, जल-धारण क्षमता इत्यादि में सुधार करती है।

VISION IAS

आगे की राह

- **नीतिगत समर्थन:** फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, राज्य व स्थानीय सरकारों द्वारा फ्लाई ऐश के पुनर्चक्रण में वृद्धि करने वाली अधिमान्य नीतियों को जारी किया जाना चाहिए, जैसे- पुनर्चक्रित फ्लाई ऐश से निर्मित उत्पादों की अधिमान्य खरीद तथा समग्र प्रभावी कर में कटौती आदि।
- **प्रत्याशित उपयोगकर्ताओं की पहचान:** भारत में फ्लाई ऐश के समग्र उपयोग में वृद्धि करने के लिए फ्लाई ऐश उपयोग के विशाल संभावित क्षेत्रों की खोज की जानी चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी संवर्द्धन:** कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्टेशनों के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी संवर्द्धन को अपनाया जाना चाहिए ताकि **शुष्क फ्लाई ऐश** के विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
- **बाजार का निर्माण:** नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के तहत फ्लाई ऐश आधारित उद्योगों के विकास के लिए विपणन रणनीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए और निकटस्थ बाजारों में फ्लाई ऐश एवं फ्लाई-ऐश आधारित निर्माण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **जागरूकता का प्रसार:** सड़क ठेकेदारों और निर्माण इंजीनियरों को निर्माण कार्य में फ्लाई ऐश का उपयोग करने के लाभों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
    - फ्लाई ऐश में भारी धातु तथा रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति के कारण कृषि में फ्लाई ऐश का उपयोग अपेक्षाकृत कम होता है। फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ाने के लिए इन आशंकाओं का समाधान करना अनिवार्य है।
- **उद्योग-अकादमिक जगत की भागीदारी:** उद्यमिता के विकास, जागरूकता में वृद्धि और प्रशिक्षण कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए उद्योग-संस्थान सहभागिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
    - नए उभरते क्षेत्रों, जैसे- कम वज़न वाले एग्रीगेट्स व जियो-पॉलिमर, कोयला सज्जीकरण, सम्मिश्रण एवं मार्जन इत्यादि को देश में फ्लाई ऐश के अपेक्षाकृत उच्च उपयोग के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
    - अत्यधिक मात्रा में फ्लाई ऐश के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, खनन, कृषि आदि क्षेत्रों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में फ्लाई ऐश के उपयोग को एक निर्माण सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

5.4. भारत स्टेज मानदंड

(Bharat Stage Norms)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके निकटवर्ती शहरों में भारत स्टेज-VI ग्रेड के पेट्रोल व डीजल का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है। अप्रैल 2018 में दिल्ली, BS-IV ग्रेड के ईंधनों (पेट्रोल व डीजल) के स्थान पर BS-VI ग्रेड के ईंधनों को अपनाने वाला देश का पहला शहर बना।

भारत स्टेज मानदंड के बारे में

- भारत ने वर्ष 1991 में उत्सर्जन मानदंड लागू किए थे और वर्ष 1996 तक अधिकांश वाहन निर्माताओं को निकास उत्सर्जनों में कटौती करने के लिए उत्प्रेरकी परिवर्तकों (कैटेलिटिक कन्वर्टर्स) जैसे प्रौद्योगिक उन्नयनों को समाविष्ट करना पड़ा।
- 1999 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारत स्टेज-I (BIS 2000) और भारत स्टेज-II मानदंडों को मोटे तौर पर क्रमश: यूरो-I तथा यूरो-II के समकक्ष अधिसूचित करने के लिए कहा।
- वर्ष 2014 में **सौमित्र चौधरी समिति** ने ऑटो फ्यूल विजन पॉलिसी- 2025 पर अपनी अनुशंसाएं दीं। इस पॉलिसी में BS-IV (2017), BS-V (2019) और BS-VI (2024) मानकों को लागू करने की अनुशंसाएं की गईं थी।
- **वर्ष 2016 में** केंद्र सरकार ने घोषणा की कि देश BS-V मानदंडों को पूर्णतः दरकिनार करते हुए वर्ष 2020 तक सीधे BS-VI मानदंडों को अपना लेगा।
- **वर्तमान में, अप्रैल 2017 से BS-IV मानदंड देश भर में लागू हैं**। हालाँकि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2020 से **भारत स्टेज-IV वाहनों** की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

भारत स्टेज उत्सर्जन मानदंड

- ये मानदंड सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं ताकि मोटरवाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन उपकरणों से निकलने वाले वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित किया जा सके।
- इन्हें कार्यान्वित करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-सीमा तथा मानक निर्धारित करता है, जिनका वाहन निर्माताओं को अनुपालन करना पड़ता है।

VISION IAS

- BS मानदंड यूरोपीय उत्सर्जन मानदंडों पर आधारित हैं अर्थात् ये वैसे ही संदर्भित किये गये हैं जैसे यूरोपीय उत्सर्जन मानदंड निर्धारित हैं, उदाहरण- 'यूरो 4' या 'यूरो 6' मानदंड।

BS-VI में प्रमुख अंतर

- **चयनित उत्प्रेरकी न्यूनीकरण प्रौद्योगिकी (Selective Catalytic Reduction Technology):** यह तंत्र में एक जलीय यूरिया विलयन को प्रविष्ट कराकर नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को कम करता है। इस प्रकार डीजल कारों से उत्सर्जित NOx को लगभग 70% कम किया जा सकता है। पेट्रोल कारों में इन्हें 25% कम किया जा सकता है।
- **सल्फर अंश:** जहाँ BS-IV ईंधनों में 50 भाग प्रति मिलियन (ppm) सल्फर होता है, वहीं BS-VI ग्रेड के ईंधन में केवल 10 PPM सल्फर का अंश होता है।
- **कणकीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर):** डीजल कारों में ये 80% तक कम होंगे।
- **अनिवार्य ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (OBD):** यह वाहन मालिक या मरम्मत करने वाले तकनीशियन को यह बताएगा कि वाहन की प्रणालियाँ कितनी दक्ष हैं।
- **RDE (रियल ड्राइविंग एमिशन):** पहली बार RDE प्रयुक्त किया जाएगा जो वास्तविक जगत की परिस्थितियों में उत्सर्जन का मापन करेगा न कि केवल परीक्षण दशाओं के अंतर्गत।

महत्व

- भारतीय शहरों में वायु की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावित करने में **वाहन-जनित उत्सर्जन** का प्रमुख योगदान है। NOx, SO_2, CO_2 और कणिकीय पदार्थों के उत्सर्जन का लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में PM 2.5 का स्तर WHO द्वारा निर्धारित स्तरों से 6 गुना अधिक है। ये नए मानदंड इस वाहन-जनित प्रदूषण को उल्लेखनीय रूप से कम करने में सहायता करेंगे।
- BS-VI स्तर पर डीजल तथा पेट्रोल से होने वाले उत्सर्जन के मध्य अंतर (पहले डीजल कारों को अधिक कणिकीय पदार्थ व नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करने की छूट थी) को संकुचित कर दिया जाता है।

चुनौतियाँ

वाहन विनिर्माताओं के लिए अत्यधिक लागत:

- सीधे BS-VI मानदंडों को अपनाने के लिए **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक उन्नयनों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वाहन कंपनियों को भारी निवेश करना पड़ सकता है।**
- एक बार अनुसंधान एवं विकास कार्य हो जाने के बाद, विस्तृत पैमाने पर उत्पादन आरंभ करने का कार्य भी एक बड़ी चुनौती होगी।
- सभी वाहन विनिर्माताओं द्वारा अपने वाहन मॉडलों को 1 अप्रैल 2017 तक BS IV के अनुरूप बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यद्यपि कुछ वाहन विनिर्माता कंपनियों ने इन लक्ष्यों को पूरा किया और अपने उत्पादों को अपडेट किया, तथापि बाजार में पुराने वाहनों का एक बड़ा भंडार बिक्री के लिए शेष पड़ा था। वाहन विनिर्माता कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार, कंपनियों के पास लगभग 8.24 लाख ऐसे वाहनों का स्टॉक था। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसी परिस्थिति BS VI के लिए भी उत्पन्न हो सकती है।
- **समय-सीमा:** सामान्य तौर पर अपडेट करने में चार वर्ष का समय लगता है और यहां कंपनियों को BS-V को भी पूरी तरह से लांघना होगा तथा सीधे BS-VI पर अपग्रेड करना होगा। संभव है कि भारत की **छोटे बोनट वाली कारों** में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर (कणिकीय निस्यंदक) (जो **BS-V अपग्रेड का एक हिस्सा** माना गया था) को इस समय-सीमा में लगाया न जा सके।
- **क्रेताओं पर प्रभाव:** इसके परिणामस्वरूप कारों तथा अन्य वाहनों का विनिर्माण अधिक महंगा हो सकता है जो अंततोगत्वा क्रेताओं को प्रभावित करेगा।
- उल्लेखनीय है कि भारत में **ड्राइविंग की स्थिति** यूरोप से भिन्न है, अतः सीधे ही यूरो मानदंडों का अनुकरण करना जटिल है।
- इसके अतिरिक्त, केवल उत्सर्जन में सुधार करना वाहनजनित प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं करेगा क्योंकि भारतीय शहरों में **वाहनों की संख्या असंगत रूप से बहुत अधिक** है।

VISION IAS

आगे की राह

- BS-VI मानदंडों की ओर सफल संक्रमण देश के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी और सभी हितधारकों को इसे एक मिशन मोड दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
- सरकारों को वाहन-विनिर्माताओं को प्रोत्साहन लाभ देना चाहिए और इस परिवर्तन का प्रबंधन करने के लिए तेल कंपनियों को भागीदार बनाना चाहिए।

5.5. इनडोर वायु प्रदूषण

(Indoor Air Pollution)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में हुए एक अध्ययन ने इस तथ्य को इंगित किया है कि **घरेलू उत्सर्जन** वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक बना हुआ है।

पृष्ठभूमि

- **इनडोर (घर का आंतरिक) वायु प्रदूषण** घर, भवन, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आंतरिक वातावरण में वायु की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में गिरावट को संदर्भित करता है।
- अन्य विश्वविद्यालयों के सहयोग से IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए विश्लेषण में पाया गया कि **काष्ठ ईंधन, मिट्टी के तेल और कोयले** का उपयोग **गंगा नदी के तट पर बसे जिलों में,** घरों के अंदर व्याप्त **PM 2.5 प्रदूषण के लिए लगभग 40%** तक उत्तरदायी है। हालांकि देश भर में इस संख्या के सन्दर्भ में विविधता पाई गई तथापि घरेलू या आंतरिक उत्सर्जन वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है।
- अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ है कि घरेलू उत्सर्जन को समाप्त कर औसत बाह्य वायु प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है और इसे राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कम किया जा सकता है।

इनडोर वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण

- **खुली आग (ओपन फायर); बायोमास, कोयला और मिट्टी के तेल का असुरक्षित दहन।**
- **गैस स्टोव या अपरिष्कृत रूप से स्थापित काष्ठ-दहन इकाइयां।**
- **अत्यधिक सटे हुए/सघन भवनों का निर्माण:** ऐसे भवनों में प्रदूषकों का संचय उच्च स्तर पर होता है। यह घरों में **निम्नस्तरीय वेंटिलेशन का कारण भी बनता है,** जिससे घर में वायु का क्रॉस वेंटिलेशन संभव नहीं हो पाता है।
- **निर्माण सामग्री से निर्मुक्त एस्बेस्टस** घर के आंतरिक प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। निर्माण कार्यों में सिंथेटिक सामग्री के उपयोग में वृद्धि से घर की आंतरिक वायु में विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। पेंट, कोटिंग्स और टाइलें एस्बेस्टस के मुख्य स्रोत हैं।
- **वाष्पशील कार्बनिक यौगिक-** ये मुख्य रूप से विलायकों और रसायनों से उत्पन्न होते हैं। इसके (प्रदूषण) मुख्य आंतरिक स्रोत परफ्यूम, हेयरस्प्रे, फर्नीचर पॉलिश, गोंद, एयर फ्रेशनर, कीट विकर्षक, काष्ठ संरक्षक और घर में उपयोग किए जाने वाले कई अन्य उत्पाद हैं।
- **तम्बाकू का धुआँ-** हानिकारक रसायनों की विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करता है।
- **जैविक प्रदूषण-** जिसमें पौधों के परागकण, घुन, पालतू पशुओं के बाल, कवक, परजीवी और कुछ जीवाणु/बैक्टीरिया शामिल हैं।
- **फॉर्मेल्डहाइड-** यह एक गैस है जो मुख्य रूप से कालीन, पार्टिकल बोर्ड और इन्सुलेशन फोम से उत्पन्न होती है।

इनडोर वायु प्रदूषण का प्रभाव

- **स्वास्थ्य पर-** इनडोर या आंतरिक वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी रोग, गंभीर श्वसन तंत्र विकार, समय पूर्व प्रसव, फेफड़ों के कैंसर, ल्यूकेमिया आदि जैसे स्वास्थ्य जोखिमों की संभावना को बढ़ाता है। आंतरिक वायु प्रदूषण केवल भारत में ही प्रत्येक वर्ष दस लाख लोगों की मृत्यु का कारण है।
- **महिलाओं, वृद्ध और युवा बच्चों पर-** अपना अधिकांश समय घर में ही व्यतीत करने के कारण ये वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।
- **बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर-** बच्चों में इनडोर वायु प्रदूषण समस्या समाधान, गणितीय क्षमताओं, बुद्धि लब्धि (आईक्यू) और अधिगम क्षमताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
- **समग्र उत्पादकता पर**- यह थकावट, चक्कर आना, एलर्जी, अति संवेदनशीलता, खाँसी, साइनस आदि जैसे जीवन शैली सम्बन्धी परिवर्तनों का कारण बनता है।
- **मृत्यु दर पर**- एक अध्ययन के अनुसार, सभी घरों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किए जाने की स्थिति में भारत में लगभग 13% अकाल मृत्यु की घटनाओं (समय से पूर्व होने वाली मृत्यु) को रोका जा सकता है।

VISION IAS

इनडोर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

- **राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा अभियान;**
- **राष्ट्रीय बायोमास कुकस्टोव पहल;**
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना;**
- **नीरधुर-** बहु-ईंधन आधारित स्टोव, जिसमें लकड़ी के अतिरिक्त अन्य ईंधन, जैसे- कोयले, गोबर और कृषि अवशेष का उपयोग भी किया जा सकता है। यह ईंधन की लगभग 50% बचत करता है और इसकी ताप दक्षता उच्च होती है।

इनडोर उत्सर्जन को कम करने के उपाय

- **सार्वजनिक जागरूकता-** इस मुद्दे और इसके द्वारा स्वास्थ्य एवं कल्याण के समक्ष उत्पन्न किए जाने वाले गंभीर खतरों के विषय में जनसामान्य में जागरूकता का प्रसार करना।
- **ईंधन के उपयोग की पद्धति में परिवर्तन-** शहरी क्षेत्रों में विद्युत, प्राकृतिक गैस, LPG; ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत बायोमास कुकिंग, रसोई गैस, हीटिंग स्टोव का उपयोग और कोयले के स्थान पर ब्रिकेट (कोयले की ईंट) का उपयोग।
- **घरों के लिए ऊर्जा दक्षता-** घरेलू उपकरणों, भवनों, प्रकाश, तापन (हीटिंग) और शीतलन की ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु विभिन्न पहलों और छतों के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- **बेहतर वेंटिलेशन व्यवस्था-** घर के निर्माण के दौरान पर्याप्त वेंटिलेशन व्यवस्था को महत्व दिया जाना चाहिए; अपरिष्कृत वेंटिलेशन व्यवस्था वाले घरों के लिए, खाना पकाने के स्टोव के सामने और दरवाजों के माध्यम से क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था जैसे उपायों को अपनाया जाना चाहिए।
- **अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और वैश्विक पहल-** स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण, आवास और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न क्षेत्रकों के मध्य प्रतिबद्ध प्रयास।
- **ग्रीन रूफ-** जिनमें छत पर वनस्पति का रोपण किया जाता है- वाणिज्यिक भवनों की इनडोर वायु गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।

आगे की राह

- घरों के अंदर व्याप्त वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना और घरेलू ऊर्जा के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, निर्धनता को कम करने और पर्यावरण का संरक्षण करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है; यह संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

5.6. नदी प्रदूषण

(River Pollution)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सम्पूर्ण देश में नदी के प्रदूषित खण्डों/भागों को कम करने के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने और प्रवर्तित करने हेतु एक **केंद्रीय निगरानी समिति** की नियुक्ति की है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - नीति आयोग का प्रतिनिधि;
  - जल संसाधन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव;
  - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक और
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का अध्यक्ष।
- **यह समिति राज्यों की नदी संरक्षण समितियों** के साथ समन्वय भी करेगी और कार्य योजनाओं के निष्पादन, समय सीमाओं, बजटीय तंत्र और अन्य कारकों का ध्यान रखते हुए पर्यवेक्षण का कार्य भी करेगी।
- CPCB राष्ट्रीय स्तर पर नोडल प्राधिकरण होगा, जबकि राज्यों के मुख्य सचिव राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।

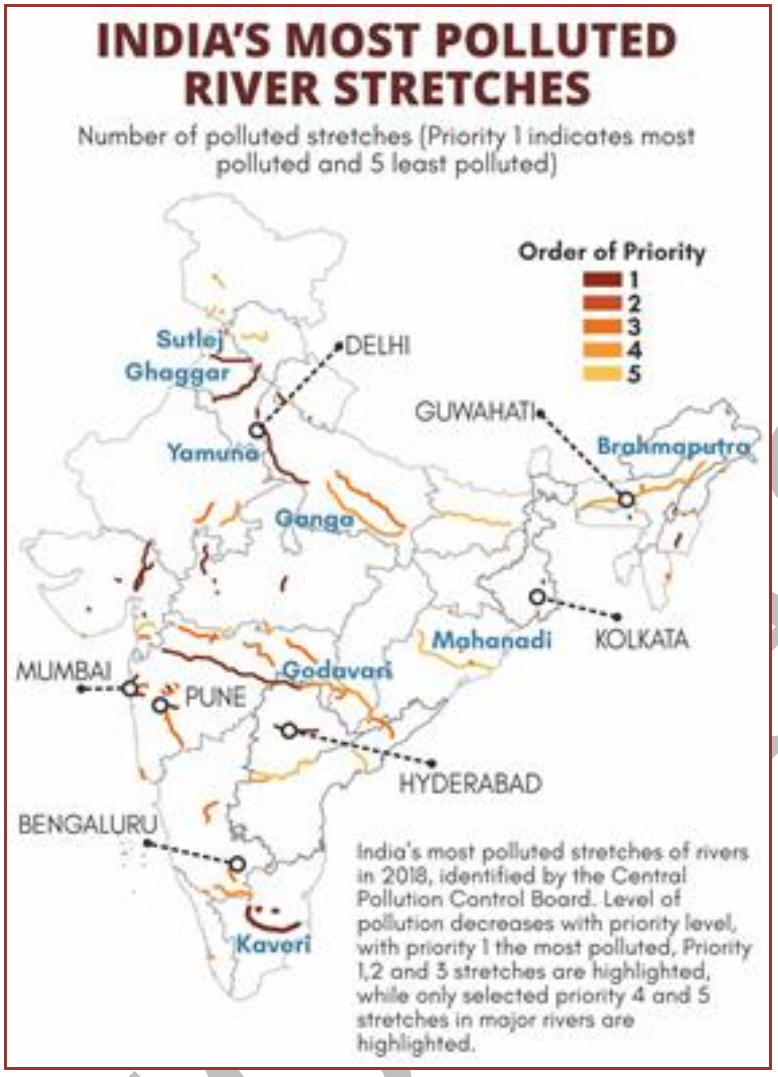

भारत में नदी प्रदूषण

- **CPCB द्वारा वर्ष 2018 में किए गए** एक आंकलन के अनुसार, देश में नदियों के **351 प्रदूषित खंड थे (वर्ष 2015 में 302)।** इनमें से 45 गंभीर रूप से प्रदूषित थे।
  - **CPCB,** 3 मिलीग्राम/लीटर से कम जैव ऑक्सीजन मांग (BOD) को **स्वस्थ नदी का संकेतक** मानता है।
  - नदियों के **351 प्रदूषित खंडों** में से 117 महाराष्ट्र, असम और गुजरात में थे।
  - संख्या में वृद्धि से **प्रदूषण के उच्च स्तरों का होना** और **जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में वृद्धि परिलक्षित होती है।**
- केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 42 नदियों में कम से कम दो विषाक्त भारी धातुएं अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा में विद्यमान हैं। गंगा नदी को पांच भारी धातुओं- क्रोमियम, तांबा, निकल, सीसा और लोहे से प्रदूषित पाया गया।

नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना:** विभिन्न प्रदूषण उन्मूलन कार्यों के कार्यान्वयन के माध्यम से नदियों में प्रदूषण के भार को कम करने हेतु, ताकि नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- **राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम (NWMP):** इसके अंतर्गत CPCB देश में निगरानी स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से सतही और भू-जल, दोनों प्रकार के जल की गुणवत्ता की निगरानी करता है।
- राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण के प्रभावी न्यूनीकरण, उसके संरक्षण और कायाकल्प हेतु **नमामि गंगे कार्यक्रम।**
- **वर्ष 2019-2020 के अंतरिम बजट** में सरकार ने विजन 2030 प्रस्तुत किया है जिसमें सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित पेय जल, संधारणीय एवं पोषणयुक्त जीवन और सिंचाई में सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के उपयोग के माध्यम से जल के कुशल उपयोग के साथ स्वच्छ नदियों को सम्मिलित किया गया है।

- नदी सफाई कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का आंकलन करने हेतु NGT द्वारा CPCB को **नदियों की जैव विविधता निगरानी और इंडेक्सिंग (सूचीकरण) पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम** आरंभ करने का आदेश दिया गया है।
    - NGT ने MoEF&CC को आदेशों का पालन करने एवं प्रदूषण में कमी लाने वाले संस्थानों व राज्यों को पर्यावरण पुरस्कार देने पर विचार करने का निर्देश भी दिया है।

नदी प्रदूषण के स्रोत:

- **बिंदु स्रोत प्रदूषण:** यह उद्योग जैसे स्रोतों द्वारा पाइप, नालियों आदि पृथक स्रोतों के माध्यमों से जल प्रवाह मार्ग में प्रवेश करने वाले प्रदूषण को संदर्भित करता है।
- **गैर-बिंदु स्रोत प्रदूषण:** यह ऐसे प्रदूषण को संदर्भित करता है जो पृथक स्रोतों के माध्यम से जल प्रवाह मार्ग में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि इसकी प्रकृति संचायक होती है। ये प्रदूषक हैं:
    - **प्राकृतिक संदूषक,** जैसे- सूखे पत्ते, मृत कीट और पशु, पक्षियों का मल आदि।
    - **कृषि प्रदूषण,** जैसे- कृषि अपवाह, उर्वरक, पीड़कनाशी आदि।
    - **औद्योगिक संदूषक,** जैसे- औद्योगिक अपवाह जिनमें औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं।
    - **सूक्ष्मजीवीय संदूषक,** जैसे- मलीय और टोटल कोलीफॉर्म, विशेष रूप से भारत में कुंभ जैसे सांस्कृतिक समागमों के दौरान।
    - **मानवीय गतिविधियों जनित संदूषक, जैसे-** घरेलू अपवाहों के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ।

नदी के प्रदूषण को कम करने के तरीके

- उपचार के बाद **अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग** की दिशा में नियमों का प्रवर्तन कठोरता से किया जाना चाहिए।
- नदियों की स्व-सफाई क्षमता के अनुपात में, पर्याप्त रूप से नालियों के उपचारित बहि:स्राव ही अपवाहित किए जाने चाहिए।
- ठोस अपशिष्टों को उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करने हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नीतिगत पहलों के माध्यम से **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** को भी सुस्पष्ट समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।
- छोटे शहरों के नालों के सन्दर्भ में **उपयुक्त जैव-उपचारण (bioremediation) उपाय अपनाए जा** सकते हैं। सभी बड़े शहरों में STPs (सीवेज उपचार संयंत्र) स्थापित किए जा सकते हैं ताकि इनसे सीधे नदी में अनुपचारित जल का अपवाह न हो।
- **सामान्य जन हेतु व्यापक और गहन जागरुकता कार्यक्रम** का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें नदी प्रदूषण के गंभीर प्रभावों के विषय में सूचित किया जा सके।
- **प्रवाह को पारिस्थितिकी के अनुकूल बनाये रखने और प्रदूषण के तनुकरण हेतु** नदी में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना। इसे निम्नलिखित से संभव बनाया जा सकता है:
    - नदी के ऊपरी प्रवाह पर भंडारण संरचनाओं का निर्माण जिनसे तनुकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर जल छोड़ा जा सके।
    - जल उपयोग की दक्षता में सुधार करना ताकि उपभोग आवश्यकताओं के लिए जलमार्ग-परिवर्तन करने की आवश्यकता कम पड़े।

संबंधित जानकारी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- यह **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत** गठित एक **वैधानिक** संगठन है।
- साथ ही, **CPCB** को **वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत भी** शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं।
- यह **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।**

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के बारे में

- इसे **राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010** के अंतर्गत वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था।
- इसे पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के **प्रभावी और शीघ्र निपटान** के लिए स्थापित किया गया है।
- यह **प्राधिकरण** सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है और **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।**
- यह निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित मामलों पर न्यायनिर्णयन करता है-
    - जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
    - वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
    - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

VISION IAS

- सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- जैव विविधता अधिनियम, 2002

5.7. पीटलैंड

(Peatland)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, नैरोबी (केन्या) में **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा** द्वारा **पीटलैंड संबंधी अपने प्रथम संकल्प** को अंगीकृत किया गया।

अन्य संबन्धित तथ्य

- **पीटलैंड्स के संरक्षण और सतत प्रबंधन पर वैश्विक संकल्प** के तहत सदस्य राज्यों और अन्य हितधारकों से विश्व भर में पीटलैंड के संरक्षण, संधारणीय प्रबंधन और जीर्णोद्धार पर अधिक बल देने का आग्रह किया गया है।
- हालांकि, **यह विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है।**

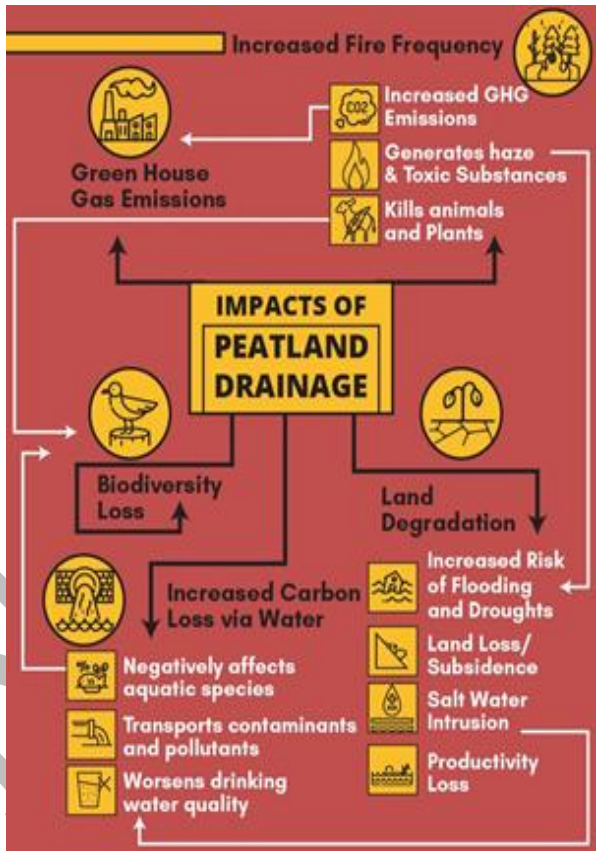

पीट्स क्या हैं?

- पीट्स पादप पदार्थों (संवहनी पौधे, काई और ह्यूमस) का **एक असमान मिश्रण** है। यह **जल-भराव वाले क्षेत्रों** में संचित होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण **इसका केवल आंशिक विघटन** होता है।
- पीट द्वारा आवृत प्राकृतिक क्षेत्रों को पीटलैंड कहा जाता है। अनूप वन, पंकभूमि एवं दलदली क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पीट हैं।
- ये अधिकांशतः **ध्रुवों की ओर अधिक ऊंचाई पर एवं पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की सतह पर और बोरियल वनों** में पाए जाते हैं। रूस, कनाडा, इंडोनेशिया, अमेरिका, फिनलैंड आदि में **पीटलैंड क्षेत्र का विस्तार सर्वाधिक है।**
- विभिन्न बहुपक्षीय सम्मेलनों, जैसे- UNFCCC, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन आदि के अंतर्गत पीटलैंड के संरक्षण का प्रावधान किया गया है।
  - **ब्राज़ाविले घोषणा-पत्र (Brazzaville Declaration):** ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव (GPI) के तीसरे कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टनर्स (2018) की पृष्ठभूमि में, कांगो बेसिन में क्यूवेट सेंट्रल क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस पर हस्ताक्षर किये गये।
  - **ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव:** अग्रणी विशेषज्ञों और संस्थानों द्वारा पीटलैंड को विश्व के सबसे बड़े स्थलीय जैविक कार्बन स्टॉक के रूप में सुरक्षित रखने और इसे वायुमंडल में उत्सर्जित होने से रोकने हेतु प्रारंभ की गयी एक पहल है। इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा किया जाता है।

पीटलैंड का महत्व

- **कार्बन भण्डारण:** हालाँकि ये वैश्विक सतह के 3% से भी कम भाग को कवर करते हैं, परंतु कुछ अनुमानों के अनुसार पीटलैंड्स में विश्व के सभी वनों की तुलना में दोगुना कार्बन विद्यमान है।
- **जलीय चक्र में सहायक:** ये जलीय प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, वाष्पीकरण और मेघ निर्माण के माध्यम से ग्रीष्मकाल के दौरान शीतलन प्रभाव उत्पन्न करते हैं, प्रदूषकों एवं पोषक तत्वों के अवधारण तथा जल शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जल निकायों के सुपोषण तथा लवणीय जल के प्रवेश को भी नियंत्रित करते हैं।
- **अद्वितीय और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जैव विविधता का समर्थन:** उष्णकटिबंधीय पीटलैंड्स कई इंडेंनजर्ड प्रजातियों, जैसे- सुमात्राई बाघ, गोरिल्ला, ओरैंगुटन आदि के पर्यावास के रूप में कार्य करते हैं।
- **आजीविका का समर्थन:** वे बोरियल और समशीतोष्ण क्षेत्रों में सरस फल, मशरूम एवं औषधीय पादपों तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गैर-काष्ठ वनोत्पादों के प्रमुख स्रोत हैं। यहां तक कि पीट का उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है।

VISION

- **सांस्कृतिक परिदृश्य एवं संग्रह के रूप में:** इनके अंतर्गत विगत दशकों की कुछ सर्वाधिक स्मरणीय पुरातात्विक खोजों, जैसे- चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की 'स्वीट ट्रैक' नामक फुटपाथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त ये पर्यावरणीय परिवर्तनों को भी इंगित करते हैं।

पीटलैंड्स के समक्ष विद्यमान खतरा

- **कृषि के लिए जल की उपलब्धता:** शुष्क पीटलैंड्स मुख्य रूप से कृषि और वानिकी के लिए उपयोग की जाती हैं और पीट को बागवानी तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए निष्कर्षित किया जाता है। शुष्क पीटलैंड्स से प्रतिवर्ष होने वाले CO_2 उत्सर्जन की अनुमानित मात्रा 1.3 गिगाटन है। यह वैश्विक स्तर पर CO_2 के मानवजनित उत्सर्जन के 5.6% के बराबर है।
- **वाणिज्यिक वानिकी:** यह स्कैंडिनेवियाई देशों, ब्रिटेन, रूस, दक्षिण-पूर्व एशिया आदि में प्रचलित भू-उपयोग में होने वाले परिवर्तनों का द्वितीय सर्वप्रमुख कारण है।
- **पीट निष्कर्षण और उपयोग:** घरेलू स्तर पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में, पीट का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। पेशेवर बागवानी और घरेलू बागवानी हेतु कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है।
- **अवसंरचनात्मक विकास:** शहरी विकास, अपशिष्ट निपटान आवश्यकताओं, सड़कों का विकास और अन्य अवसंरचनाओं की पूर्ति हेतु तटीय क्षेत्रों में पीटलैंड का रूपांतरण किया जा रहा है।

आगे की राह

- पीटलैंड्स के प्रबंधन हेतु परिदृश्य संबंधी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक है। इन जोखिमग्रस्त (थ्रेटंड) पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने तथा लोगों तक इनकी सेवाएं पहुँचाने हेतु पीटलैंड्स का जीर्णोद्धार कार्य अवश्य किया जाना चाहिए एवं इस दृष्टिकोण का क्रियान्वयन सभी पीटलैंड्स परिदृश्यों में किया जाना चाहिए।
    - **पुनः आर्द्र बनाना:** यह पीटलैंड्स के जीर्णोद्धार हेतु एक अत्यावश्यक कदम है, क्योंकि ये अपने निर्वहन हेतु जलभराव संबंधी स्थितियों पर निर्भर करते हैं।
    - **कच्छ-खेती (Paludiculture) एवं संधारणीय प्रबंधन तकनीकें:** यह मुख्य रूप से पीटलैंड्स में आर्द्र मृदा पर फसल उत्पादन करने की एक पद्धति है। अन्य संधारणीय तकनीकों, जैसे- मत्स्य पालन या इको-पर्यटन को भी अपनाया जा सकता है।
- **विधिक एवं राजकोषीय परिवेश और नीतियां:** वैश्विक एवं घरेलू (राष्ट्रीय) दोनों स्तरों पर प्रस्तुत की गई विभिन्न नीतियों को उचित प्रकार से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
    - **स्थानीय समुदायों को समर्थन दिया जाना चाहिए** ताकि वे पारंपरिक गैर-विनाशकारी साधनों को संरक्षित करके और नवाचार प्रबंधन संबंधी विकल्पों को अपनाते हुए अपने पीटलैंड्स का सतत प्रबंधन करने में सक्षम हो सकें।
- **पीटलैंड प्रबंधन के वित्तीयन हेतु बाजार का सृजन:** ग्रीन बॉण्ड, निजी पूंजी (इक्विटी और ऋण), सरकारी स्रोतों से वित्तीयन आदि जैसी वित्तीय प्रणालियों का उपयोग करना।
- **समन्वित कार्रवाई हेतु संस्थागत संरचना:** एकीकृत वैश्विक भागीदारी की स्थापना की जानी चाहिए।
- **पीटलैंड की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के प्रति जोखिमपूर्ण नवीन कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों** को प्रतिबंधित करना तथा पीटलैंड के संरक्षण एवं अनुरक्षण को बढ़ावा देने वाली दीर्घकालिक भूमि-उपयोग संबंधी नीतियों का विकास करना।
- **क्षमता निर्माण:** क्षमता निर्माण, आउटरीच (पहुँच) एवं जागरूकता में वृद्धि करने हेतु विकसित देशों के समर्थन के साथ केंद्रित कार्रवाई की आवश्यकता है।
- पीटलैंड्स के विस्तार एवं उनकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने हेतु **संपूर्ण विश्व के पीटलैंड्स का व्यापक मानचित्रण अनिवार्य** है, जिससे इनके संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

5.8. जैवविविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं पर वैश्विक आंकलन रिपोर्ट

(Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जैव विविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES) ने जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी सेवाओं पर अपनी वैश्विक आंकलन रिपोर्ट जारी की है।

विवरण:

- IPBES द्वारा जारी की गयी यह अपने प्रकार की पहली रिपोर्ट है। **इसे हमारी पृथ्वी की प्राकृतिक स्थिति का सबसे व्यापक आंकलन बताया जा रहा है** और यह पृथ्वी पर रहने वाली प्रजातियों के स्वास्थ्य का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है।

जैव विविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: IPBES) के बारे में

- यह एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है, जिसे इसके सदस्य राष्ट्रों द्वारा 2012 में स्थापित किया गया था।
- भारत भी इसका सदस्य है।
- IPBES का उद्देश्य जैव-विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग, दीर्घकालिक मानव कल्याण तथा संधारणीय विकास हेतु जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए विज्ञान व नीति के मध्य के इंटरफेस को सुदृढ़ बनाना है।
- यह संरचना और कार्यप्रणाली में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के समान है।
- IPCC की भांति, IPBES किसी नवीन तकनीक का सृजन नहीं करता, अपितु यह केवल आंकलन एवं अनुमान प्राप्त करने हेतु वर्तमान में प्रचलित वैज्ञानिक ज्ञान का मूल्यांकन करता है।

- इस रिपोर्ट के अनुसार, विगत 50 वर्षों के दौरान प्रकृति में वैश्विक परिवर्तन की दर मानव इतिहास में अभूतपूर्व रही है। **प्रकृति में परिवर्तन (जिनका वैश्विक प्रभाव सर्वाधिक है) के प्रत्यक्ष संचालक** हैं (सबसे अधिक प्रभाव वालों से प्रारम्भ करते हुए): **भूमि और समुद्र के उपयोग में परिवर्तन; जीवधारियों का प्रत्यक्ष दोहन; जलवायु परिवर्तन; प्रदूषण तथा बाह्य प्रजातियों का आक्रमण।** ये पांच प्रत्यक्ष संचालक अंतर्निहित कारणों की एक श्रृंखला अर्थात् अप्रत्यक्ष परिवर्तन संचालकों से उत्पन्न होते हैं।
- इसमें कहा गया है कि **पृथ्वी के धरातलीय पर्यावरण का 75% और समुद्री पर्यावरण का 66% भाग** "उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित हो गया है" तथा **आर्द्रभूमि-क्षेत्रों का 85% से अधिक भाग** नष्ट हो गया है।
- हालांकि **स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों** द्वारा नियंत्रित एवं प्रबंधित क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति औसतन **कम गंभीर** थी।

प्रकृति पर मानवों का प्रभाव:

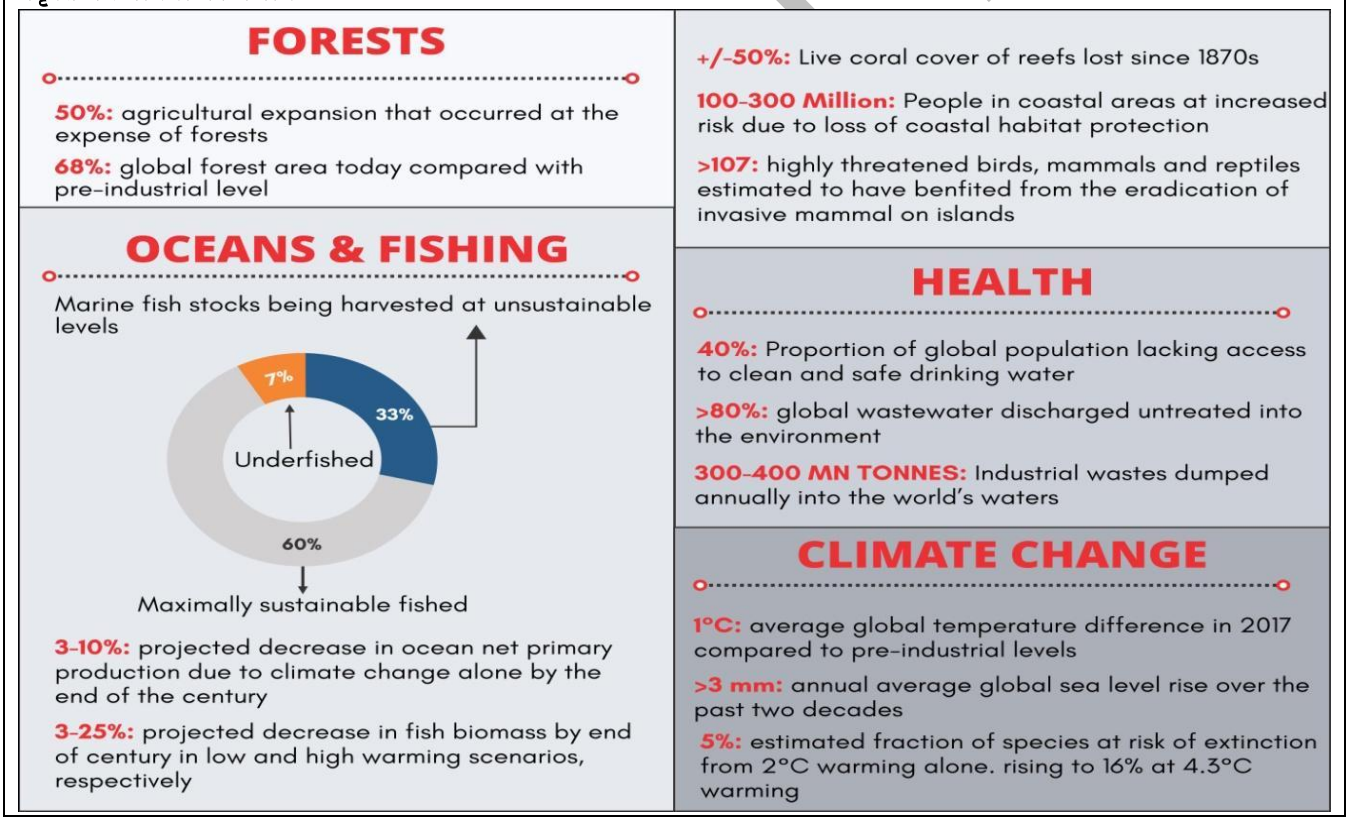

5.9. इकोलॉजिकल सैनिटेशन

(Ecological Sanitation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इकोलॉजिकल सैनिटेशन टॉयलेट्स (पारिस्थितिकीय स्वच्छता आधारित शौचालयों) को व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए आह्वान किया गया है।

इकोलॉजिकल सैनिटेशन (Ecosan) के बारे में:

- इकोसन (Ecosan) अवधारणा के तहत मनुष्यों द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों को एक ऐसे संसाधन के रूप में समझा जाता है, जिसका पर्यावरण और जलीय निकायों के प्रदूषण को रोकने हेतु सुरक्षित रूप से एकत्रण, उपचार और पुन:उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इकोसन शौचालय, कम्पोस्ट पिट, बायोगैस संयत्र, अपशिष्ट जल के संशोधन के लिए रीड-बेड (सरकंडों की क्यारियां) तकनीक का उपयोग।
- इसका अंतर्निहित उद्देश्य संधारणीय विकास में योगदान करने हेतु सामग्री और ऊर्जा पर न्यूनतम व्यय के साथ (स्थानीय) पोषक तत्व और जल-चक्र को बंद करना है।

व्याप्त चुनौतियाँ:

- भागीदारी का अभाव;
- जानकारी का अभाव;
- दोषपूर्ण सामग्री और कार्यशैली; तथा
- अनुचित रखरखाव।

- इकोसन ऊंचे आधार स्थल पर निर्मित एक शुष्क शौचालय है। इसे स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों के तहत जलापूर्ति की कमी वाले शुष्क क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, उच्च जल-स्तर वाले बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों और चट्टानी क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त शौचालय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। परन्तु स्वच्छ भारत मिशन का ध्यान पीट शौचालयों पर केन्द्रित होने से इस प्रणाली को अपनाने वालों की संख्या बहुत कम है।
- इकोसन शौचालयों में मानव मल, मूत्र और धुलाई के लिए उपयोग किए गए जल को पारम्परिक शौचालयों के विपरीत (जिनमें ये सब एक साथ मिल जाते हैं) विशेष रूप से डिजाइन की गयी शौचालय सीट के द्वारा पृथक कर लिया जाता है।

5.10. पशु क्रूरता संबंधी मुद्दे कृषि मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित

(Animal Cruelty Issues Now Under Farm Ministry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **गौ आश्रय स्थलों, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण और इसके शासी कानूनों** से संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण एवं मुद्दों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF&CC) से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1960 में इसके अधिनियमन के पश्चात् पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (PCA) को मूलतः **केन्द्रीय कृषि मंत्रालय** द्वारा प्रशासित किया जा रहा था।
- कुछ समय पश्चात् इसे पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था, **क्योंकि सरकार ने उस समय यह अनुभव किया था कि पशु कृषि को नियंत्रित करने वाला कानून, कृषि मंत्रालय (जिसका एकमात्र उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है) हेतु औचित्यपूर्ण नहीं है।**
- **अधिकारियों द्वारा इसे प्रशासनिक सुविधा हेतु लिए गये एक निर्णय के रूप में वर्णित किया गया, क्योंकि यह पूर्व से ही पशुधन से संबंधित मुद्दों जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुधन को होने वाली क्षति इत्यादि का समाधान करता रहा है।**

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (PCA अधिनियम), 1960

- इसे पशुओं को दिए जाने वाले अनावश्यक दर्द या पीड़ा को रोकने एवं **पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण** से संबंधित कानूनों में संशोधन करने हेतु क्रियान्वित किया गया था।
- **इस अधिनियम के तहत भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था।**
- PCA अधिनियम की **धारा 22**, केंद्र सरकार द्वारा निर्मित सूची के अनुसार **करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन और प्रशिक्षण** को प्रतिबंधित करती है।
- **डॉग ब्रिडर्स (श्वान प्रजनकों), पशु बाजारों, एक्वैरियम एवं पालतू मछलियों की दुकान के मालिकों** को विनियमित करने हेतु **MOEF&CC** द्वारा वर्ष 2017 में, PCA अधिनियम के तहत एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई थी।
- केंद्र सरकार द्वारा **पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार विनियमन) नियम, 2017** भी लाया गया था, जो वध के उद्देश्य से पशु बाजारों में मवेशियों की बिक्री को प्रतिबंधित करता है।

VISION IAS

भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India)

- इसका मुख्यालय हरियाणा में है {वर्ष 2018 में चेन्नई (तमिलनाडु) से **हरियाणा** के बल्लभगढ़ में स्थानांतरित}।
- **रुक्मिणी देवी अरुंडेल** ने इस बोर्ड के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
- सामान्यतः इसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।
- यदि **पशु कल्याण संगठन (AWOs)** बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की पूर्ति करते हैं तो बोर्ड उन्हें मान्यता प्रदान कर उनकी निगरानी करता है।
- **इसके अन्य प्रकार्यों में सम्मिलित हैं:** मान्यता प्राप्त AWOs को वित्तीय सहायता प्रदान करना, पशु कल्याण संबंधी कानूनों एवं नियमों में परिवर्तनों की अनुशंसा करना तथा लोगों के मध्य जागरूकता का प्रसार करना।

5.11. फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019

(Financing For Sustainable Development Report 2019)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट द्वारा **फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019** नामक शीर्षक के साथ अपनी चौथी रिपोर्ट जारी की गई है।

पृष्ठभूमि

- **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा मात्रात्मक और गुणात्मक लक्ष्यों तथा 2030 तक की समयसीमा के साथ अपनाया गया था। इन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण जुटाना एक बड़ी चुनौती है।
- हालिया अनुमान प्रदर्शित करते हैं कि SDGs को वैश्विक स्तर पर निम्न कार्बन अवसंरचना, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य स्थिरता क्षेत्रों में **2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त वार्षिक सार्वजनिक और निजी निवेश की आवश्यकता होगी।**

रिपोर्ट से संबंधित विवरण

- **अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा** के अनुपालन हेतु महासचिव द्वारा गठित **इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट** में 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, इसके कार्यक्रम और कार्यालय, क्षेत्रीय आर्थिक आयोग तथा अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं।
- यह रिपोर्ट 2019 और उसके बाद के सतत विकास के लिए वित्त-पोषण पर वास्तविक प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने हेतु लक्षित प्रमुख संदेशों और नीतिगत अनुशंसाओं को प्रस्तुत करती है।
- **महत्वपूर्ण अनुशंसाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - सार्वजनिक संसाधनों को बढ़ावा देना, जिसमें सभी व्यक्तियों द्वारा उचित योगदान के साथ अधिक न्यायसंगत एवं समावेशी समाज के आधार पर एक नए सामाजिक अनुबंध की स्थापना शामिल है।
  - निजी व्यवसाय और वित्त को बढ़ावा देना, जिसमें व्यापक सतत निवेश में वृद्धि और समावेशी वित्तीय प्रणाली का निर्माण करना शामिल है।
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग को बढ़ावा देना।
  - विकास के एक वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, जिसमें अल्प विकसित देशों (LDCs) हेतु अधिमान्य रूल्स ऑफ़ ऑरिजिन पर आधारित मंत्रिस्तरीय निर्णयों का तीव्र क्रियान्वयन शामिल हो।
  - विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को बढ़ावा देना।

अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (AAAA)

- यह सतत विकास के वित्त-पोषण हेतु एक **नया वैश्विक ढांचा** है जो सभी वित्त-पोषण के मार्गों और नीतियों को आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करता है और स्थायी एवं टिकाऊ वित्त-पोषण सुनिश्चित करता है।
- यह विश्व के नए सतत विकास एजेंडे के वित्त-पोषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किए जाने वाले वायदों को प्रस्तुत करता है।

VISION IAS

- इसे **2015 में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहमति के पश्चात्** अंगीकृत और 2016 में लागू किया गया।
- इस **एजेंडे के तहत कार्यवाही के सात क्षेत्रों में शामिल हैं:**
  - घरेलू सार्वजनिक संसाधन;
  - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निजी व्यवसाय एवं वित्त;
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग;
  - विकास के लिए एक प्रेरक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार;
  - ऋण और ऋण संधारणीयता;
  - प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करना; तथा
  - विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और क्षमता निर्माण।
- इस हेतु प्रतिवर्ष एक इकोनॉमिक एंड सोशल कौंसिल फोरम ऑन फाइनेंसिंग ऑफ़ डेवलपमेंट' फॉलो-अप आयोजित किया जाता है। साथ ही एक इंटर-एजेंसी टास्क फ़ोर्स है जो विकास परिणामों हेतु वित्तपोषण (फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट आउटकम्स) के कार्यान्वयन में हुई प्रगति तथा वर्ष 2015 के उपरांत के विकासात्मक एजेंडे के कार्यान्वयन के साधनों पर वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

5.12. आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा हेतु गठबंधन

(Coalition for Disaster Resilient Infrastructure)

सुर्खियों में क्यों?

भारत ने वैश्विक **"आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा हेतु गठबंधन"** के लिए 480 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने वर्ष 2016 में नई दिल्ली में आयोजित **आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन** के उपरांत **आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा हेतु गठबंधन (CDRI) के सृजन की घोषणा की थी।**
- हाल ही में नई दिल्ली में **आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (2019)** का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 33 देशों के प्रतिनिधि आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे हेतु एक गठबंधन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर सहमत हुए।
- **CDRI की परिकल्पना वस्तुतः सूचना के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण भागीदारी के रूप में की गई है।** यह गठबंधन अवसंरचना के निर्माण, वित्तीय एवं अनुपालन तंत्र, उपयुक्त शासन व्यवस्था में सामान्य मानकों को विकसित करने और R&D में निवेश करने की दिशा में कार्य करेगा तथा यह देशों द्वारा भविष्य में किये जाने वाले निवेश हेतु बहुपक्षीय बैंकों से फंडिंग को भी निर्धारित करेगा।

आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे पर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

इसका आयोजन **दिल्ली** में **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** द्वारा **संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNISDR)** के सहयोग तथा **ग्लोबल कमीशन ऑन एडप्टेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम** और **विश्व बैंक** की भागीदारी में किया गया।

आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा क्या होता है?

वह आधारभूत ढांचा जो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा द्वारा उत्पन्न बृहत् क्षति के प्रति सहनशील हो, उसे **आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे** के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक दोनों उपाय शामिल हैं।

- **संरचनात्मक उपायों** के अंतर्गत आपदा जोखिम को नियंत्रित करने हेतु इंजीनियरिंग डिजाइन और मानकों को समायोजित करना शामिल है, जैसे- बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, सुरक्षात्मक तटबंध, समुद्र तट का पुनर्सुधार तथा इमारतों की रेट्रोफिटिंग इत्यादि।
- **गैर-संरचनात्मक उपाय** वस्तुतः जोखिम-संवेदनशील योजना, संस्थागत संरचना को बढ़ावा, संकट मानचित्रण (हैज़र्ड मैपिंग), पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित प्रबंधन एवं आपदा जोखिम वित्तपोषण को संदर्भित करते हैं।

आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे की आवश्यकता क्यों है?

- विगत 20 वर्षों में भारत द्वारा 80 बिलियन डॉलर से अधिक की क्षति का वहन किया गया है। वैश्विक स्तर पर, आपदाओं के कारण प्रति वर्ष लगभग 520 बिलियन डॉलर से अधिक की क्षति होती है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 26 मिलियन से अधिक लोग निर्धनता से ग्रस्त हो जाते हैं।
- एक अनुमान के अनुसार, आगामी 10 वर्षों में भारत को अवसंरचना क्षेत्र के अंतर्गत निवेश हेतु लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। चूँकि देश विभिन्न आपदाओं, जैसे- भूकंप, बाढ़, चक्रवात, आदि के प्रति प्रवण है, अतः यह एक महत्वपूर्ण चुनौती सिद्ध होगा।
- **सेंडाइ फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (2015-2030)** के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR) में निवेश तथा बेहतर पुनर्निर्माण हेतु अनुशंसा की गई है।
- **एशियन मिनिस्टेरियल कांफ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (2016)** के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा **10-सूत्रीय एजेंडे** की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत उल्लेख किया गया कि 'यह सुनिश्चित करने हेतु कार्य किए जा रहे हैं कि सभी विकास परियोजनाएं उपयुक्त मानकों के अनुरूप निर्मित हों तथा वें समुदायों द्वारा वांछनीय सहनशीलता में योगदान कर सकें।'
- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अंतर्गत **लक्ष्य 9,** आपदा सहनशील बुनियादी ढांचे को आर्थिक संवृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में मान्यता प्रदान करता है।

उठाए जाने वाले कदम

मुख्यतः चार व्यापक विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आपदा जोखिम मूल्यांकन के संबंध में:** इसके लिए विगत संकटों (हैजर्ड) के पैटर्न (जैसे- वायु की गति, बाढ़ का उच्च स्तर) से संबंधित उचित, टाइम-सीरीज डाटा एवं क्षमता की आवश्यकता होगी ताकि इन डाटा का विश्लेषण कर संभावित जोखिम संबंधी आंकलन का सृजन किया जा सके, जो आपदा सहनशील बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दे सके।
- **डिजाइन एवं कार्यान्वयन के मानकों के संबंध में:** डिजाइन और निर्माण संबंधी मानकों की राष्ट्रीय रूपरेखा के अंतर्गत प्राकृतिक जोखिमों की विकसित होती समझ और साथ ही अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत हुई वृद्धि परिलक्षित होनी चाहिए।
- **जोखिमों को कवर करने हेतु नए बुनियादी ढांचे एवं तंत्रों के वित्तपोषण के संबंध में:** आपदा जोखिम वित्त-पोषण रणनीति के अंतर्गत बजट आरक्षित निधि के साथ-साथ कैटस्ट्रोफिक बॉण्ड जैसे आपदा जोखिम हस्तांतरण उपकरण भी शामिल हो सकते हैं।
- **आपदाओं के पश्चात् बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण एवं पुनर्प्राप्ति के संबंध में:** "बिल्ड बैक बेटर" (बेहतर पुनर्निर्माण) सिद्धांत का अनुपालन न केवल बुनियादी ढांचे के संरचनात्मक डिजाइन हेतु किया जाना चाहिए, बल्कि इसके आसपास मौजूद प्रबंधन प्रणालियों के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए।

5.13. यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स

(UNESCO Global Geoparks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क साइट का दर्जा प्रदान किए जाने हेतु महाराष्ट्र और कर्नाटक के धरोहर स्थलों का चयन किया है।

यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क दर्जा क्या है?

- यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स **एकल, एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र** हैं, जहाँ सुरक्षा, शिक्षा और संधारणीय विकास की समग्र अवधारणा के साथ **अंतर्राष्ट्रीय महत्व के भूवैज्ञानिक स्थलों** को प्रबंधित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य समाज के सम्मुख विद्यमान प्रमुख मुद्दों के बारे में **जागरूकता और समझ में वृद्धि करना है,** जैसे- हमारी पृथ्वी के संसाधनों का संधारणीय रूप से उपयोग करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों तथा प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जोखिमों को कम करना।
- **ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GGN)** विधिक रूप से गठित एक गैर-लाभकारी संगठन है। यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स के लिए इसकी सदस्यता अनिवार्य है।
- एक ग्लोबल जियोपार्क के रूप में स्वीकार किये जाने हेतु उक्त स्थल की अपनी एक समर्पित वेबसाइट, कॉर्पोरेट पहचान, समग्र प्रबन्धन योजना, सरंक्षण संबंधी योजनाएं, वित्त और साझेदारी होनी चाहिए।
- वर्तमान में, 38 देशों में लगभग 140 यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स हैं। अभी तक भारत के किसी भी भू-धरोहर स्थल को यूनेस्को के जियोपार्क नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है।

चयनित स्थलों के बारे में:

- **कर्नाटक में उडुपी के सेंट मेरी द्वीप और मालपे समुद्र तट बेसाल्टिक चट्टानों का** एक षटकोणीय मोज़ेक है। इसकी उत्पत्ति **88 मिलियन वर्ष पूर्व** अनुमानित है। यह वह समय है जब ग्रेटर इंडिया मेडागास्कर से पृथक हुआ। इसे वर्ष 1975 में राष्ट्रीय भू-धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
- **महाराष्ट्र की लोनार झील, उल्कापिंड से निर्मित विश्व का सबसे प्राचीन क्रेटर है।** यह 50,000 वर्ष पूर्व बेसाल्ट चट्टानों में निर्मित एकमात्र क्रेटर है। यह खारे जल की झील है और इसे वर्ष 1979 में भू-धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

5.14. ग्रीष्मकालीन जुताई

(Summer Ploughing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मृदा संरक्षण के संबंध में किसानों के मध्य **ग्रीष्मकालीन जुताई की अवधारणा** तीव्रता से प्रचलित हो रही है।

ग्रीष्मकालीन जुताई के बारे में

- इसका तात्पर्य ग्रीष्मकालीन ऋतु के दौरान विशिष्ट कृषिगत उपकरणों के उपयोग से ढलान पर स्थित खेत पर की जानी वाली जुताई से है। इसका **प्राथमिक उद्देश्य** गहन जुताई के द्वारा मृदा की ऊपरी परत को अनावृत करना है। इसके अतिरिक्त इससे नीचे दबी हुई **मृदा को ऊपर लाया** जाता है ताकि सूर्य की किरणों की सहायता से इसे कीटाणुरहित बनाया जा सके।
- इसके तहत जल / ढलान या वायु के प्राकृतिक प्रवाह की लंबवत दिशा में जुताई की जाती है, ताकि **मृदा अपरदन की सम्भावना को समाप्त किया जा सके** एवं मृदा द्वारा एकत्रित वर्षा की न्यून मात्रा को संरक्षित कर, खरीफ ऋतु के दौरान फसल की बुआई हेतु इसका प्रयोग किया जा सके।
- खरीफ फसलों हेतु यह जुताई **एक माह पूर्व** अर्थात् मई के महीने में की जाती है।

ग्रीष्मकालीन जुताई के लाभ

- **मृदा की पारगम्यता में वृद्धि:** इससे स्वस्थाने (in-situ) आर्द्रता संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप पौधों की जड़ों को न्यूनतम प्रयास से अधिक आर्द्रता प्राप्त होती है।
- **मृदा संरचना में सुधार:** यह **वैकल्पिक शुष्कन एवं शीतलन** में परिवर्तन द्वारा मृदा की संरचना में सुधार करता है। जुताई द्वारा **मृदा वातन में सुधार** होता है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में तीव्रता लाने के परिणामस्वरूप पौधों को अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं।

VISION IAS

- **विषाक्तता में कमी:** वातन में हुई वृद्धि पूर्ववर्ती फसलों या खरपतवारों की जड़ से निकलने वाले उन हानिकारक एलेलोपैथिक रसायनों तथा शाकनाशी एवं कीटनाशक अवशेषों के क्षय में भी सहायक होती है जो आस-पास के अन्य पादपों की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
- **कीड़ों एवं कीटों के खतरों में कमी:** ग्रीष्म ऋतु के दौरान मृदा की ऊपरी परत या पराली के नीचे कीड़े एवं कीट निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मृदा को पलटने के कारण सूर्य की किरणें मृदा के भीतर प्रवेश करती हैं तथा मृदा-जनित कीड़ों एवं कीटों के अंडे, लार्वा और प्यूपा को नष्ट कर देती हैं। यह **सूत्रकृमि या गोल कृमि (नेमटोड) को नियंत्रित** करने हेतु भी एक महत्वपूर्ण विधि है।
- **खरपतवार नियंत्रण:** गहन जुताई एवं मृदा को पलटने के कारण **खरपतवार निर्मूल हो जाते हैं**। परिणामस्वरूप खरपतवार की जड़े एवं तनें उखड़ जाते हैं और वे मृत हो जाते हैं। अतः खरपतवार नियंत्रण तथा खरपतवारनाशी का न्यूनतम उपयोग ग्रीष्मकालीन जुताई के प्रमुख लाभों में से एक है।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

(Transgender Rights)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में **अरुण कुमार एवं श्रीजा बनाम महानिरीक्षक पंजीकरण और अन्य (2019)** वाद के अंतर्गत दिए गए निर्णय में मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नागरिक अधिकारों (विशेषकर विवाह से संबंधित) में विस्तार किया है।

पृष्ठभूमि

- **'ट्रांसजेंडर'** शब्द उन सभी व्यक्तियों को संदर्भित करता है, जो सामान्य लैंगिक रूढ़ियों की तुलना में भिन्न व्यवहार एवं हाव-भाव का प्रदर्शन करते हैं। इसके अंतर्गत पारलैंगिक (ट्रांससेक्सुअल), विलिंगी वेशधारी (क्रॉस-ड्रेसर्स अर्थात् वे व्यक्ति जो अपने लिंग से भिन्न वस्त्र धारण करते हैं), अन्त:लिंगी और समलैंगिक शामिल होते हैं। भारतीय संदर्भ में, इन व्यक्तियों को हिजड़ा, किन्नर, अरावनी, जोगप्पा, शिवशक्ति आदि के रूप में सामाजिक पहचान प्रदान की गई है।
- वर्ष 1861 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, **धारा 377** लागू की गई। इसके तहत **"प्रकृति के नियमों के विरुद्ध"** यौन व्यवहारों को **गैर-कानूनी घोषित कर** दिया गया था।
- गत वर्ष, **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाद** में उच्चतम न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377** के कुछ खंडों को **असंवैधानिक घोषित** कर दिया था।
- स्वभाविक रूप से, इस निर्णय के बाद से ट्रांसजेंडरों के लिए विभिन्न विधिक अधिकार और अन्य अधिकार विद्यमान हैं। किन्तु, उच्चतम न्यायालय द्वारा इनका निरीक्षण नहीं किया गया था।
- हाल ही में, मदुरै पीठ ने अपने निर्णय द्वारा **लिंग के विधिक अर्थ** तथा **हिंदू विवाह अधिनियम** के अंतर्गत उल्लिखित **"दुल्हन" और "दूल्हा"** जैसे शब्दों की पारंपरिक व्याख्या को संशोधित किया है। न्यायालय के अनुसार **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955** के अंतर्गत एक **पुरुष और ट्रांसवुमन के मध्य संपन्न उचित विधिपूर्वक विवाह मान्य होगा** और इस विवाह को विवाह रजिस्ट्रार द्वारा अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा।

न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क

- न्यायालय द्वारा **NALSA बनाम भारत संघ (2014)** वाद को संदर्भित किया गया, इस वाद में यह निर्णय दिया गया था कि ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों को अपनी **"लैंगिक पहचान के स्व-निर्धारण"** का अधिकार प्राप्त है।
- इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने व्याख्या की कि परस्पर सहमति से मौजूदा कानूनों के अनुरूप और **किसी अन्य कानून का उल्लंघन न** करते हुए विवाह करने पर LGBTQ युगल हेतु विवाह, उत्तराधिकार या वंशानुगतता आदि जैसे विस्तारित नागरिक अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई **कानूनी प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जाएगा**।

न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का महत्व

- **यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ सशक्त बनाएगा-** अब, भारत में ट्रांसजेंडर वैधानिक रूप से विवाह कर अपने पति या पत्नी के साथ परिवार का निर्माण कर सकते हैं। उन्हें यौन अभिविन्यास के अधिकार के साथ विवाह करने एवं परिवार निर्माण करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में लाने हेतु सहायता करना-** इसके कारण विगत कई वर्षों से लाखों ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा उनके यौन अभिविन्यास या लैंगिक अभिव्यक्ति के कारण सामना किए जा रहे भेदभावों को समाप्त किया जा सकेगा।
- **गरिमा एवं सम्मान में वृद्धि-** यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सम्मान के साथ विवाह करने में सहायता प्रदान करेगा- उदाहरणार्थ, मार्च 2018 में, एक पारलैंगिक (ट्रांससेक्सुअल) युगल प्रीतिशा एवं प्रेमकुमारन द्वारा द्रविड़ दिग्गज ई. वी. रामास्वामी 'पेरियार' द्वारा प्रारंभ आत्मसम्मान विवाह किया गया था, ध्यातव्य है कि मंदिर के पुजारियों द्वारा इस युगल के विवाह को विधिवत अनुष्ठापित करना अस्वीकृत कर दिया गया था तथा उनका बहिष्कार भी किया गया था।
- **नए अवसरों का सृजन-** यह निर्णय एक युगल के विवाह के अतिरिक्त उन्हें अन्य सभी नागरिक अधिकार भी प्रदान करता है।

VISION IAS

LGBTQ के सशक्तीकरण की दिशा में उठाए गए अन्य कदम

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016:** यह एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करता है और शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (NCT) के गठन का प्रावधान भी करता है।
- **तमिलनाडु राज्य** ट्रांसजेंडर लोगों के समग्र विकास हेतु शिक्षा, पहचान पत्र और सब्सिडीकृत भोजन एवं निःशुल्क आवास प्रदान करने हेतु प्रावधान करता है। साथ ही तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2008 में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की थी (पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक द्वारा भी इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना की गई है)।
- **केरल- राज्य सरकार** ने "गरिमामय जीवन का अधिकार" प्रदान करने के लिए "**स्टेट पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर इन केरल 2015**" का निर्माण किया है।

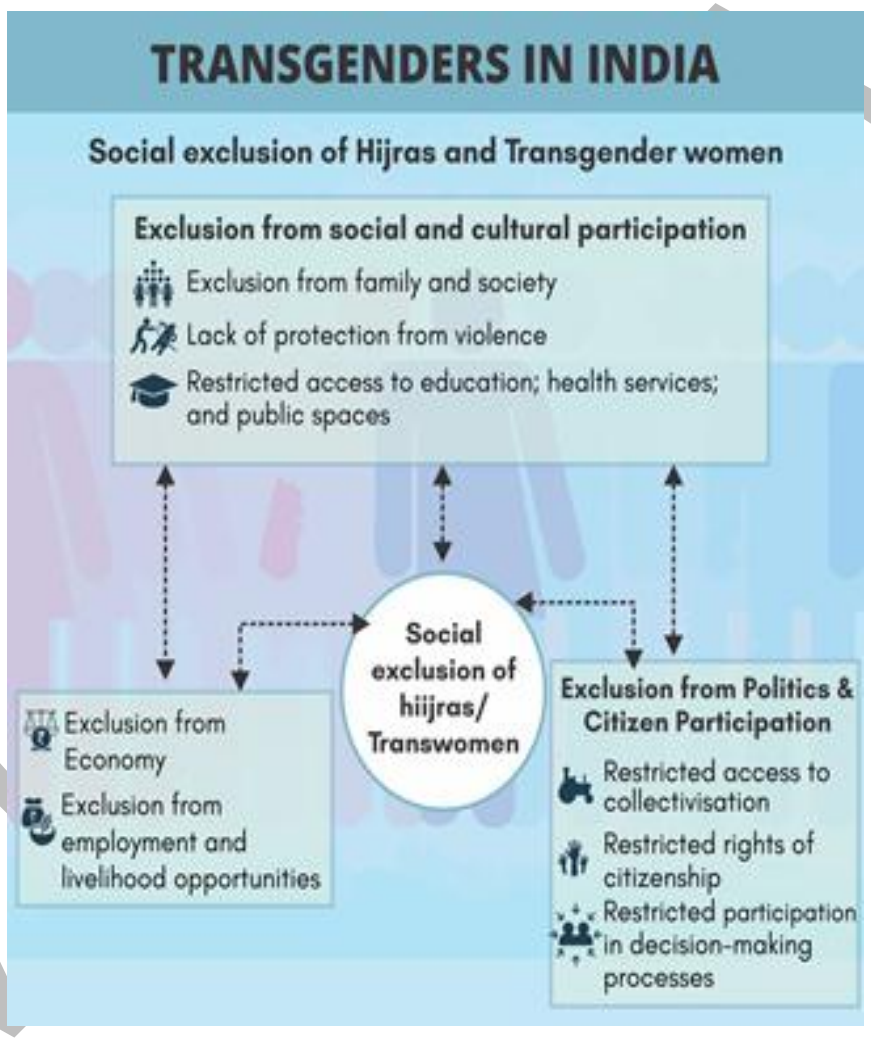

आगे की राह

- विधिक एवं कानून प्रवर्तन प्रणालियों को ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित मुद्दों से निपटने हेतु सशक्त और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। उनकी सुरक्षा हेतु सभी पुलिस स्टेशनों में विशेष शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए।
- भारत को आत्म-निर्धारण के अधिकार को सम्मिलित करने संबंधी कानून लाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इस प्रकार के अन्य अधिकारों को **योग्यकर्ता सिद्धांतों (Yogyakarta Principles)** के रूप में पहचाना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने NALSA वाद के निर्णय में योग्यकर्ता सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की थी और कहा था कि इन सिद्धांतों को भारतीय कानून के एक भाग के रूप में लागू किया जाना चाहिए।
    - योग्यकर्ता सिद्धांत वस्तुतः यौन अभिविन्यास और लैंगिक अभिव्यक्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुप्रयोग/प्रयोज्यता पर सिद्धांतों का एक समुच्चय है।

6.2. लर्निंग आउटकम-बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क

(Learning outcomes-Based Curriculum Framework)

सुर्खियों में क्यों?

विश्वविद्यालयों द्वारा अपने सभी स्नातक कार्यक्रमों को **UGC के लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क (LOCF) के अनुरूप** संशोधित किया जा रहा है। कुछ शिक्षकों द्वारा, विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में, इस कदम का विरोध किया जा रहा है।

LOCF क्या है?

- **LOCF** के दिशा-निर्देशों को UGC द्वारा 2018 में जारी किया गया था। **इनका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना है कि स्नातक अपने अध्ययन कार्यक्रम के अंत में क्या जानने, समझने और क्या करने में सक्षम होने की अपेक्षा रखते हैं।** साथ ही इसका उद्देश्य छात्र को सक्रिय शिक्षार्थी (learner) और शिक्षक को एक बेहतर प्रशिक्षक बनाना है।
- परिणामों को पाठ्यक्रम के पूर्ण होने पर छात्रों द्वारा प्राप्त **कौशल, ज्ञान, समझ, रोजगार, स्नातक विशेषताओं, दृष्टिकोण, मूल्यों आदि के संदर्भ** में निर्धारित किया जाएगा।
- इसे 2015 में प्रारंभ **चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) फ्रेमवर्क** के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

LOCF का समग्र उद्देश्य

- **स्नातक विशेषताओं** व योग्यता निरूपण का निर्माण करने तथा लर्निंग आउटकम और लर्निंग आउटकम पाठ्यक्रमों को तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा, **जिसे योग्यता धारक द्वारा प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है;**
- संभावित छात्रों, अभिभावकों, नियोक्ताओं और अन्य लोगों को उन लर्निंग आउटकम **(ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य)** या विशेषताओं की प्रकृति और स्तर को समझने में सक्षम बनाना जिन्हे स्नातक, अध्ययन कार्यक्रम के सफल समापन पर प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए;
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने और **छात्र / स्नातक गतिशीलता को** सुविधाजनक बनाने हेतु लर्निंग आउटकम तथा शैक्षणिक मानकों के राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय संगतता (international comparability) को बनाए रखना; तथा
- शिक्षण-अधिगम रणनीतियों को डिजाइन करने, छात्र के सीखने के स्तर का आंकलन करने और कार्यक्रमों तथा शैक्षणिक मानकों की आवधिक समीक्षा करने हेतु उच्च शिक्षा संस्थानों **को महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु प्रदान करना।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

- यह **उच्च शिक्षण संस्थानों** में मानकों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण के अधिदेश के साथ 1956 में स्थापित एक **सांविधिक संगठन** है।
- यह भारत में विश्वविद्यालयों को **मान्यता प्रदान करता** है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को **निधि वितरित (वित्त-पोषण)** करता है।
- **भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) विधेयक, 2018** UGC को निरस्त कर एक नई संस्था "भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग" के गठन का प्रावधान करता है।

चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम

- यह एक **'कैफेटेरिया' प्रकार का दृष्टिकोण** है जिसमें छात्र अनिवार्य पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त असंबंधित अध्ययन के विषय से अपनी रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं।
- मुख्य विषयों के अतिरिक्त CBCS सीखने के लिए **अंतर्विषयक दृष्टिकोण उपलब्ध क**राते हुए किसी व्यक्ति के समग्र विकास हेतु **अन्य विषयों का पता लगाने और सीखने का अवसर प्रदान करती है।**

LOCF का विरोध क्यों किया जा रहा है?

- पाठ्यक्रम में होने वाले नियमित परिवर्तन, चूँकि यह विगत नौ वर्षों में पाँचवाँ बदलाव है, इसके अतिरिक्त **इन परिवर्तनों में पारंपरिक वार्षिक मोड से सेमेस्टर मोड में परिवर्तित, CBCS की शुरूआत** शामिल है।

VISION IAS

- **शिक्षा और वैश्विक रैंकिंग की गुणवत्ता में सुधार के लिए** प्रारम्भ किए गए इन परिवर्तनों से विपरीत परिणाम प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इन्हें बिना किसी संकेत और समय सीमा (and timeframe) के प्रस्तुत किया गया है।
- **इन परिवर्तनों ने प्रणाली की कार्यपद्धति को बाधित किया है**, जिससे विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है।

6.3. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क

(National Institutional Rankings Framework)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास** ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) सूची- 2019 के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

NIRF के बारे में

- **NIRF को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD)** द्वारा नियुक्त 16 सदस्यीय कोर समिति द्वारा **वर्ष 2015** में विकसित किया गया था। **वर्ष 2016 से यह रैंकिंग वार्षिक तौर पर प्रकाशित** की जाती है।
- इसने देश के शिक्षण संस्थानों को निम्नलिखित पाँच व्यापक मापदंडों के आधार पर रैंक प्रदान करने हेतु एक पद्धति तैयार की है:
  - **शिक्षण, अधिगम और संसाधन (Teaching, learning and resources);**
  - **अनुसंधान और व्यावसायिक प्रणाली (Research and professional practice);**
  - **स्नातक परिणाम (Graduation outcomes);**
  - **पहुँच और समावेशिता (Outreach and inclusivity); तथा**
  - **धारणा (Perception)।**

NIRF 2019

Categories	Top Institution
Overall	Indian Institute of Technology, Madras
Universities	Indian Institute of Science, Bengaluru
Colleges	Miranda House, New Delhi
Engineering	Indian Institute of Technology Madras
Management	Indian Institute of Management, Bangalore
Pharmacy	Jamia Hamdard, New Delhi
Law	National Law School of India University, Karnataka
Architecture	Indian Institute of Technology, Kharagpur
Medical	All India Institute of Medical Sciences, Delhi

- मंत्रालय द्वारा समग्र NIRF रैंकिंग के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक **कार्यान्वयन कोर समिति** का भी गठन किया गया है।
- **महत्व**
  - एक रैंकिंग प्रणाली **शिक्षण प्रतिभा, अनुसंधान प्रतिभा, सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्रों और सर्वाधिक प्रबुद्ध प्रशासकों** के संदर्भ में संस्थानों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है।
  - संस्थानों (कॉलेजों और विश्वविद्यालयों) द्वारा अपने प्रदर्शन के मूल्यांकन और अपनी रैंकिंग में सुधार हेतु उपाय सुझाने के लिए **विशेष समितियों** का गठन किया गया है।

6.4. भारत में EAT-लैंसेट कमीशन फूड प्लैनेट हेल्थ रिपोर्ट जारी की गई

(EAT- Lancet Commissions Food Planet Health Report Released in India)

सुर्खियों में क्यों?

EAT-लैंसेट कमीशन फूड प्लैनेट हेल्थ रिपोर्ट को भारत में औपचारिक रूप से जारी किया गया।

सम्बंधित तथ्य

- **EAT**, खाद्य प्रणाली के लिए विज्ञान आधारित वैश्विक मंच है।
- **लैंसेट(Lancet)**, सहकर्मी समीक्षा आधारित एक सामान्य चिकित्सा पत्रिका (general medical journal) है।

पृष्ठभूमि

- कैलोरी के संदर्भ में वैश्विक खाद्य उत्पादन ने स्वयं को जनसंख्या वृद्धि दर के साथ समायोजित कर लिया है। हालांकि इसके बावज़ूद अभी भी **820 मिलियन से अधिक** लोगों के लिए पर्याप्त भोजन का अभाव है तथा इनमे से कई लोग या तो निम्न गुणवत्ता युक्त आहार का सेवन करते हैं या बहुत अधिक भोजन का उपभोग करते हैं।
- दूसरी ओर, **वैश्विक खाद्य उत्पादन पद्धतियां** वनोन्मूलन, वन भूमि का कृषि योग्य भूमि में रूपांतरण, ग्रीन हॉउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन, जल संसाधनों का अति दोहन, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग एवं दुरुपयोग आदि के साथ ही **ग्रहीय सीमाओं के अतिक्रमण और पर्यावरण क्षरण हेतु सर्वप्रमुख कारक के रूप में कार्य करती हैं**।
- दोनों समस्याओं के समाधान हेतु, **वैश्विक खाद्य प्रणाली** में एक मौलिक रूपांतरण की आवश्यकता है। पोषक आहार पद्धति को अपनाने से प्रमुख पर्यावरणीय लाभों के साथ-साथ प्रति वर्ष होने वाली लगभग **11 मिलियन मृत्युओं को** कम किए जाने की संभावना है।
- एक सतत खाद्य प्रणाली से व्युतपन्न पोषक आहार के निर्धारण हेतु यह रिपोर्ट पहली बार वैज्ञानिक लक्ष्यों को प्रस्तावित करती है।

ग्रहीय सीमा (Planetary boundaries)

- ये एक ऐसी प्रणाली या प्रक्रिया को प्रदर्शित करती हैं जो पृथ्वी की स्थिरता को विनियमित करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है।
- ये **वैश्विक जैव-भौतिक सीमाओं** को परिभाषित करती हैं जिसे मनुष्यों द्वारा एक स्थिर और सुभेद्य पृथ्वी प्रणाली को सुनिश्चित करने हेतु संचालित किया जाना चाहिए -अर्थात् ऐसी परिस्थितियाँ जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए समृद्धि को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक हैं।
- **निम्नलिखित 9 प्लेनेट्री बॉउंड्रीज़ (ग्रहीय सीमाएँ)** हैं-
    - जलवायु परिवर्तन;
    - जैव विविधता ह्रास;
    - जैव भू-रसायन प्रवाह;
    - महासागरीय अम्लीकरण;
    - भूमि उपयोग परिवर्तन;
    - अलवणीय जल का उपयोग;
    - ओजोन क्षरण;
    - वायुमंडलीय एरोसोल; तथा
    - रासायनिक प्रदूषण।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

एक **व्यापक खाद्य रूपांतरण** के लिए इस रिपोर्ट द्वारा **पांच रणनीतियों का सुझाव** दिया गया है।

- **पोषक आहार की दिशा में स्थानांतरित होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के निर्माण हेतु प्रयास करना**: फल, सब्जियां, नट्स, बीज और साबुत अनाज जैसे शाकाहारी खाद्य पदार्थों के उपभोग को बढ़ावा देना तथा मांसाहारी खाद्य पदार्थों के स्रोत के प्रयोग को सीमित करना। इस लक्ष्य को पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, सुलभता एवं वहनीयता में वृद्धि करके प्राप्त किया जा सकता है।
- **कृषि संबंधी प्राथमिकताओं को खाद्य पदार्थो की उच्च मात्रा के उत्पादन से पोषक खाद्य पदार्थो के उत्पादन की ओर पुनर्स्थापित करना**: जिसमें मानव स्वास्थ्य का पोषण तथा पर्यावरणीय संधारणीयता का समर्थन करने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं।
- **उच्च-गुणवत्ता युक्त उत्पादन में वृद्धि हेतु खाद्य पदार्थो के उत्पादन को संधारणीय रूप से तीव्र करना**: एक नई कृषि क्रांति को प्रारंभ करना, जिसके अंतर्गत वर्तमान कृषि भूमि के उपयोग के माध्यम से उपज अंतराल में कम से कम 75% कमी करना, फसल एवं चारा प्रबंधन में परिवर्तन और कृषि प्रणालियों में जैव विविधता की वृद्धि सहित जलवायु शमन विकल्प को लागू करना सम्मिलित है।

VISION IAS

इसके अतिरिक्त, पेरिस समझौते के अनुरूप वैश्विक स्तर पर नकारात्मक उत्सर्जन दर को प्राप्त करने के लिए, वैश्विक खाद्य प्रणाली को 2040 से शुद्ध कार्बन सिंक के रूप में स्थापित करना।

- **भूमि और महासागरों का सुदृढ़ एवं समन्वित प्रबंधन**: इसके तहत प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रो एवं जैव विविधता से समृद्ध वनों में नई कृषि भूमि के शून्य-विस्तार की नीति, निम्नीकृत भूमि की पुनर्प्राप्ति एवं इनका पुनर्वनीकरण करना और अंतर्राष्ट्रीय भूमि उपयोग शासन तंत्र को स्थापित करना सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें जैव विविधता संरक्षण हेतु **"हाफ अर्थ"** रणनीति को अपनाना भी शामिल है (अर्थात् अक्षुण्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पृथ्वी के शेष 50% का संरक्षण करके कम से कम 80% औद्योगिक-पूर्व प्रजातिगत समृद्धता को संरक्षित करना)।
- उत्पादन पक्ष के साथ साथ उपभोग पक्ष पर भी **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप कम से कम आधे खाद्य पदार्थों को क्षतिग्रस्त और नष्ट होने से बचाना**। इसके लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ तकनीकी समाधानों को लागू करने और सार्वजनिक नीतियों के कार्यान्वयन, दोनों की आवश्यकता है।

6.5. स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का 2019

(State of World Population Report, 2019)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष** ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के 2019 का संस्करण जारी किया। **जिसका शीर्षक 'अनफिनिश्ड बिज़नेस: द परस्यूट ऑफ़ राइट्स एंड चॉइसेज़ फॉर ऑल' है**।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- 2019 की स्टेट ऑफ़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट **यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति को दर्शाती** है।
  - वर्ष 2019 UNFPA की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और काहिरा में जनसंख्या और विकास पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ को चिन्हित करती है।
- रिपोर्ट में पहली बार तीन प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में महिलाओं के निर्णय निर्माण क्षमता संबंधी आँकड़े सम्मिलित किए गए हैं, ये क्षेत्र हैं: अपने साथी के साथ यौन संबंध स्थापित करना, गर्भनिरोधक का उपयोग करना और स्वास्थ्य देखभाल।
  - महिलाओं की यौन और प्रजनन स्वायत्तता दो देशों अर्थात् फिलीपींस और यूक्रेन में सर्वाधिक थी, जहाँ 81 प्रतिशत महिलाओं को स्वयं के लिए इन निर्णयों को लेने का अधिकार प्राप्त है।
- आधुनिक गर्भ निरोधकों तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के अभाव और हमारे जीवन तथा भविष्य के बारे में चयन करने की शक्ति का ह्रास करने हेतु उत्तरदायी लैंगिक असमानता के साथ संघर्ष सहित यह रिपोर्ट वर्ष 2019 में **सभी के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार प्राप्त करने संबंधी प्रमुख बाधाओं की पहचान करती है।**
- विश्व की कुल जनसँख्या, विगत वर्ष 7.633 बिलियन की तुलना में 2019 में बढ़कर 7.715 बिलियन हो गई है तथा विश्व जनसंख्या की औसत जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष बनी हुई है।
- **विशेष रूप से भारत से संबंधित निष्कर्ष:**
  - 2019 में भारत की जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 1/6 भाग हो गई है (कुल 7.71 बिलियन में से 1.37 बिलियन) तथा 2010 से 2019 के मध्य इसमें औसतन 1.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, जो चीन की वार्षिक वृद्धि दर के दोगुने से भी अधिक है।
  - देश की 67 प्रतिशत जनसंख्या 15-64 आयु वर्ग की थी, वहीं देश की 6 प्रतिशत जनसंख्या 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की थी।
  - **प्रति महिला कुल प्रजनन दर में गिरावट:** वर्ष 1969 में 5.6 की तुलना में यह दर वर्ष 2019 में 2.3 हो गई है।
  - हालांकि, **भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा विश्व की तुलना (72 वर्ष) में निम्न (69 वर्ष) है,** परन्तु प्रसव के दौरान स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के संदर्भ में भारत का स्कोर वैश्विक औसत से भी अधिक है, साथ ही यहाँ किशोरियों के बीच जन्म दर (एडोलेसेंट बर्थ रेट) भी बहुत निम्न है।

VISION IAS

UNFPA के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है।
- UNFPA सभी के लिए प्रजनन अधिकारों की प्राप्ति का आह्वान करता है और स्वैच्छिक परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य देखभाल एवं व्यापक यौन शिक्षा सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच का समर्थन करता है।

जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1994 के बारे में

- काहिरा के ICPD में 179 देशों द्वारा एक अग्रगामी, 20-वर्षीय कार्यक्रम (2010 में विस्तारित) को अपनाया गया, जिसने चिन्हित किया कि प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार, महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता, जनसंख्या और विकास कार्यक्रमों के लिए आधार स्तम्भ हैं।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. ब्लैक होल

(Black Hole)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, इवेंट होराइजन टेलिस्कोप द्वारा ब्लैक होल के 'छायांकित भाग' की प्रथम तस्वीर प्रकाशित की गई।

ब्लैक होल के बारे में

- ब्लैक होल अंतरिक्ष का अत्यधिक प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल युक्त क्षेत्र होता है। यह इतना सशक्त होता है कि इससे होकर कुछ भी (यहाँ तक कि प्रकाश की किरण भी) बाहर आने में सक्षम नहीं हो पाता है।
- ब्लैक होल का पुर्वानुमान आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के आधार पर ज्ञात किया गया कि एक विशाल द्रव्यमान वाले तारे की सुपरनोवा के रूप में मृत्यु के पश्चात् एक लघु, सघन कोर क्षेत्र शेष रह जाता है।
- यदि कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग तीन गुने से अधिक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल अन्य सभी बलों को अपने में समाहित कर लेता है और **एक ब्लैक होल का निर्माण होता है।**
- ब्लैक होल के केंद्र में एक **ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी विद्यमान** होती है। यह एक ऐसा एकल-आयामी बिंदु है जो अपने लगभग शून्य आकार में विशाल द्रव्यमान के साथ-साथ अनंत घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल धारण करता है। इसमें स्पेस एंड टाइम फैब्रिक में अनंत वक्रता उत्पन्न हो जाती है और भौतिकी के नियम (जिन्हें हम जानते हैं) कार्य करना बंद कर देते हैं।
- ब्लैक होल को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि वे स्वयं प्रकाश या मानव द्वारा निर्मित उपकरणों के माध्यम से ज्ञात की जा सकने वाली किसी अन्य विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्सर्जन या विकिरण नहीं करते हैं। किन्तु ब्लैक होल की सीमा से ठीक बाहर के क्षेत्र (इवेंट होराइजन), जिसमें अत्यधिक मात्रा में गैस, बादल और प्लाज़्मा तीव्र वेग से घूर्णन करते हैं, **में दृश्य प्रकाश सहित सभी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन होता है। अतः ब्लैक होल की उपस्थिति को उसके आस-पास के अन्य पदार्थों पर उसके प्रभाव के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है।**
- हाल ही में, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने **मेसियर 87 (Messier 87)** नामक एक आकाशगंगा (जो पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है) के केंद्र में, एक ब्लैक होल की सीमा के ठीक बाहर के क्षेत्र की तस्वीरें प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। प्राप्त तस्वीरें प्रदर्शित करती हैं कि एक फोटॉन (प्रकाशीय क्वांटम) ब्लैक होल में समाहित हुए बिना इसकी परिक्रमा कर सकता है। इसे **'लास्ट फोटॉन रिंग'** के रूप में वर्णित किया जाता है।

इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT)

- किसी ब्लैक होल के तात्कालिक वातावरण का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना खगोल भौतिकी का एक दीर्घकालिक लक्ष्य है। **ईवेंट होराइजन**, अंतरिक्ष में किसी ब्लैक होल के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिससे बाहर कुछ भी निकलने में सक्षम नहीं होता।
- EHT इस दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसके तहत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लघु तरंगदैर्ध्य पर वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री (VLBI) की तकनीक का उपयोग किया गया है।
- इस प्रौद्योगिकी में, 1.3 मिमी के तरंग दैर्ध्य पर पर्यवेक्षण करने वाले पृथ्वी के आकार के एक आभासी टेलीस्कोप के निर्माण हेतु **8 ग्राउंड-बेस्ड रेडियो टेलिस्कोपों** के एक नेटवर्क को परस्पर संबद्ध करने के साथ-साथ पृथ्वी के घूर्णन (rotation) का उपयोग किया गया है।

महत्व

- **अदृश्य भाग का अवलोकन-** सदियों से, ब्लैक होल की अवधारणा को बिना किसी वास्तविक साक्ष्य के, केवल **सिद्धांत** के रूप में स्वीकार किया गया है। यह कई सदियों के इस सैद्धांतिक विकास का एक उल्लेखनीय सत्यापन है।
- **इवेंट होराइजन के बारे में जानने हेतु निपुणता की आवश्यकता होती है-** क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में ब्लैक होल का आकार अत्यंत लघु होता है और प्रकाश को सभी प्रकार की गैसों एवं अंतरिक्ष में व्याप्त पदार्थों तथा पृथ्वी के वायुमंडल से भी गुजरना पड़ता है। ब्लैक होल क्षेत्र से आने वाले विकिरणों की एक साथ रिकॉर्डिंग करने में सक्षम होने के लिए EHT टेलिस्कोप को उचित रूप से समकालिक किया जाना भी आवश्यक है।
- **ब्रह्मांड की बेहतर समझ का विकास-** वैज्ञानिक, भिन्नताओं का पता लगाने हेतु पूर्व में प्रयुक्त की गई कंप्यूटर-सिम्युलेटेड छवियों के साथ वास्तविक छवियों की तुलना कर सकते हैं। इन भिन्नताओं की व्याख्या यंत्रीकरण, प्रेक्षण या प्रदर्शित अन्य त्रुटियों द्वारा की जा सकती है। यह ब्रह्मांड के प्रचलित सिद्धांतों का परीक्षण कर सकता है तथा ब्लैक होल और ब्रह्मांड की प्रकृति की बेहतर समझ को विकसित कर सकता है।

VISION IAS

- **गुरुत्वाकर्षण बल की समझ में वृद्धि-** ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स को कुछ मीटर की दूरी तक के क्षेत्र का अधिक सटीकता से चित्रण करने में सक्षम बनाने में सहायता प्रदान कर सकता है।

7.2. चंद्रयान-2

(Chandrayaan-2)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इसरो (ISRO), जुलाई 2019 के मध्य तक चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

विवरण

- **चंद्रयान-2** पूर्णतः स्वदेशी मिशन है, जिसमें **एक ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम के नाम से जाना जाएगा) और रोवर (प्रज्ञान के नाम से जाना जाएगा)** शामिल हैं।
- इसे **भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान Mk-III (GSLV-F10)** द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
- यह इसरो का ऐसा **प्रथम अंतर-ग्रहीय मिशन** होगा जिसके तहत किसी **खगोलीय पिंड पर एक रोवर को उतारा जाएगा।**
- यह मिशन चन्द्रमा के दक्षिण ध्रुव से 600 किमी की दूरी पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर को तैनात करने का प्रयास करेगा।
    - अभी तक केवल **तीन देशों- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस (भूतपूर्व सोवियत संघ) और चीन द्वारा ही चन्द्रमा पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग** कराई गई है।
- **प्राथमिक उद्देश्य:** चन्द्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन करना तथा साथ ही सतह पर एक रोबोट रोवर को तैनात करना।
- **वैज्ञानिक लक्ष्यों** के अंतर्गत चन्द्रमा की स्थलाकृति, खनिज विज्ञान, तात्विक प्रचुरता, चन्द्रमा के बहिर्मंडल तथा हाइड्रॉक्सिल व जलीय हिम संबंधी संकेतों का अध्ययन करना इत्यादि शामिल हैं।
- **वैज्ञानिक पेलोड:** इसमें एक विज़िबल टरेन मैपिंग कैमरा, न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रोमीटर, सिंथेटिक एपर्चर रडार, नियर-इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, रेडियो ऑकल्टेशन एक्सपेरिमेंट, सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर एवं सोलर एक्स-रे मॉनिटर शामिल हैं।
    - लैंडर में एक कैमरा, सिस्मोमीटर, थर्मल प्रोफाइलर और लैंगम्यूर प्रोब जबकि रोवर में कैमरा, अल्फा-प्रोटॉन एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, और चन्द्रमा की मृदा का विश्लेषण करने हेतु लेज़र-इनड्यूस्ड ऐब्लेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट शामिल हैं।
    - इसके अंतर्गत नासा के स्वामित्व वाले लेज़र रेट्रोरिफ्लेक्टर ऐरे भी शामिल हैं, जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी एवं चन्द्रमा के मध्य दूरी का सटीक मापन करने हेतु सक्षम बनाएंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

चंद्रयान-I के बारे में

- चन्द्रयान-I को भारत द्वारा **PSLV-C 11** के माध्यम से अक्टूबर, 2009 में लॉन्च किया गया था।
- **प्राथमिक उद्देश्य:** चंद्रमा के निकट एवं दूर दोनों ओर से तीन-आयामी एटलस तैयार करना, चंद्रमा का रासायनिक, खनिज विज्ञान संबंधी तथा फोटो-जियोलोजिकल मानचित्रण करना।

चंद्रयान-1 द्वारा की गई खोजें

- **जल की खोज:** इसकी प्रमुख खोजों में से एक चंद्रमा की सतह पर जल (H_2O) एवं हाइड्रॉक्सिल (OH) का पता लगाना था। एकत्रित किए गए डेटा से ज्ञात होता है कि ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास प्रचुर मात्रा में जल मौजूद है।
- **मैग्मा ओशन हाइपोथिसिस:** इसने मैग्मा ओशन हाइपोथीसिस की पुष्टि की, जिसका तात्पर्य है कि विगत समय में चंद्रमा कभी तरल अवस्था में था।
- **नवीन स्पिनेल-समृद्ध चट्टान:** चंद्रयान-1 द्वारा संग्रहित डेटा के अनुसार चन्द्रमा के सुदूर क्षेत्र (न दिखने वाले भाग) में एक नवीन स्पिनेल-समृद्ध चट्टान मौजूद है।
- **एक्स-रे संकेत संसूचित हुए:** इसने कमजोर सोलर फ्लेयर के दौरान एक्स-रे संकेतों को संसूचित किया जिससे चन्द्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम जैसे खनिजों की मौजूदगी के संकेत प्राप्त हुए।

VISION IAS

7.3. नासा द्वारा ब्रह्माण्ड के प्रथम अणु की खोज

(Nasa Detects Universe's First Molecule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने पहली बार **हीलियम हाइड्राइड (HeH+)** की खोज की। यह हमारे ब्रह्मांड में निर्मित होने वाला **प्रथम अणु** है।

सम्बंधित तथ्य:

- **नासा की स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इन्फ्रारेड एस्ट्रोनॉमी (SOFIA)** द्वारा हीलियम हाइड्राइड की खोज पृथ्वी से लगभग 3,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर की गयी है।
- इसे **NGC 7027 नामक ग्रहीय निहारिका (nebula) में** खोजा गया था। **ग्रहीय निहारिका, बाह्य अन्तरिक्ष में धूल और गैस से निर्मित मेघ होती है,** इसका निर्माण किसी तारे द्वारा उसके जीवन के अंतिम चरण में दहन हेतु ईंधन समाप्त होने के कारण अपनी बाह्य परतों को पृथक करने पर होता है।

स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इन्फ्रारेड एस्ट्रोनॉमी (SOFIA)

- यह एक बोईंग 747SP विमान है जिसे **106 इंच व्यास के टेलिस्कोप** को ले जाने के लिए संशोधित किया गया है।
- यह **नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर** की संयुक्त परियोजना है।

विवरण:

- लगभग **14 बिलियन वर्ष पूर्व,** बिग बैंग की घटना के पश्चात् ब्रह्मांड के शीतल होने पर **आयनित हाइड्रोजन और उदासीन हीलियम अणुओं** की अभिक्रिया के फलस्वरूप HeH+ बने थे।
- जैसे-जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, HeH+ ने उदासीन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया की तथा परिणामतः आणविक हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, जो **तारों के निर्माण और आधुनिक ब्रह्मांड के प्रारम्भ को चिन्हित करता है।**
- वैज्ञानिकों का मानना है कि **ब्रह्माण्ड का रासायनिक संघटन HeH+** से प्रारम्भ होता है। हालाँकि, अन्तरातारकीय (इंटरस्टेलर) अन्तरिक्ष में इसके अस्तित्व के निश्चित प्रमाणों का अभाव लम्बे समय से खगोलशास्त्र के लिए दुविधा बना हुआ था परन्तु अब इसका समाधान हो गया है।

7.4. मलेरिया वैक्सीन

(Malaria Vaccine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मलावी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पायलट कार्यक्रम के रूप में विश्व की प्रथम मलेरिया वैक्सीन (टीका) को लॉन्च किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मलावी 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों हेतु **RTS,S** (वाणिज्यिक नाम: **मॉस्क्यूरिक्स**) नामक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले अफ्रीका महाद्वीप के तीन देशों में प्रथम देश है।
- इसके पश्चात् घाना एवं केन्या द्वारा इस वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा।
- इस पायलट कार्यक्रम हेतु वित्त-पोषण को तीन प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य निधि निकायों, यथा- गेवी, द वैक्सीन एलायंस; ग्लोबल फण्ड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्यूलॉसिस एंड मलेरिया; और यूनिटाइड के मध्य सहयोग के माध्यम से जुटाया गया।

RTS,S

- RTS,S/AS01 (RTS,S) **विश्व की प्रथम मलेरिया वैक्सीन** है, जो छोटे बच्चों को मलेरिया के विरुद्ध आंशिक रूप से सुरक्षा प्रदान करती है।
- RTS,S का उद्देश्य मलेरिया के प्रारंभिक चरण से बचाव हेतु मानवीय प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है। प्रथम चरण में मच्छर के काटने से प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम परजीवी (parasite) मानव के रक्तप्रवाह में प्रवेश करने के पश्चात् यकृत (liver) कोशिकाओं को संक्रमित करता है।

- इस वैक्सीन को **परजीवी द्वारा यकृत को संक्रमित करने से रोकने हेतु डिज़ाइन किया गया है।** यह परजीवी यकृत में विकसित हो सकता है, वृद्धि कर सकता है, रक्तप्रवाह में पुनःप्रवेश कर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है, जिससे मलेरिया रोग संबंधी लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं।
- इसे ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी **ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा PATH मलेरिया वैक्सीन इनीशिएटिव (एक गैर-लाभकारी संगठन) की साझेदारी में विकसित किया गया है।**

मलेरिया

- मलेरिया **प्लास्मोडियम परजीवी** द्वारा उत्पन्न होने वाला एक संचारी रोग है, जो संक्रमित **मादा एनोफिलीज़ मच्छरों** के काटने से मानव में संक्रमित होता है।
- इसकी रोकथाम की जा सकती है और इसका उपचार संभव है।
- वर्ष 2017 में, संपूर्ण विश्व में मलेरिया के लगभग आधे मामले 5 देशों, यथा- नाइजीरिया (25%), डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो (11%), मोज़ाम्बिक (5%), भारत (4%) और युगांडा (4%) में दर्ज किए गए।

भारत एवं मलेरिया

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, 2017 के अनुसार संपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में दर्ज किये गए कुल मलेरिया के मामलों में से 87% भारत में विद्यमान हैं।
- **2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य** को प्राप्त करने के लिए **राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन संरचना (NFME), 2016-2030** के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी (GTS) फॉर मलेरिया 2016-2030, के साथ समन्वय स्थापित कर विज़न, मिशन, व्यापक सिद्धांतों तथा पद्धतियों का निर्धारण किया गया है।
- सरकार द्वारा **मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-2022)** का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें देश को मलेरिया के मामलों के आधार पर चार श्रेणियों, यथा- श्रेणी 0 से श्रेणी 3 के अंतर्गत विभाजित किया गया है, अतः इसके आधार पर मलेरिया नियंत्रण एवं रोकथाम संबंधी हस्तक्षेप को सुदृढ़ किया जा रहा है।

WHO ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016-2030

- इसे मई, 2015 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा अपनाया गया था, यह सभी मलेरिया-स्थानिक देशों के लिए एक तकनीकी फ्रेमवर्क प्रदान करती है।
- इसका लक्ष्य मलेरिया नियंत्रण एवं उन्मूलन संबंधी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों का मार्गदर्शन एवं समर्थन करना है।
- यह रणनीति महत्वाकांक्षी परंतु प्राप्त करने योग्य वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - वर्ष 2030 तक मलेरिया संबंधी मामलों में कम से कम 90% की कमी करना।
  - 2030 तक मलेरिया संबंधी मृत्यु दर को कम से कम 90% कम करना।
  - 2030 तक विश्व के कम से कम 35 देशों में मलेरिया का उन्मूलन करना।
  - मलेरिया से मुक्त सभी देशों में मलेरिया की पुनरुत्पत्ति को रोकना।

ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम (The Global Malaria Programme: GMP)

- ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम (GMP) द्वारा निम्नलिखित के माध्यम से WHO के मलेरिया नियंत्रण एवं उन्मूलन संबंधी वैश्विक प्रयासों का समन्वय किया जाता है:
  - साक्ष्य-आधारित मानदंडों, मानकों, नीतियों, तकनीकी रणनीतियों और दिशा-निर्देशों के अंगीकरण की व्यवस्था करना, इनका संचारण करना एवं इन्हें प्रोत्साहन देना;
  - वैश्विक प्रगति की स्वतंत्र समीक्षा करना;
  - क्षमता निर्माण, प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा निगरानी हेतु दृष्टिकोण विकसित करना; और
  - मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन संबंधी खतरों के साथ-साथ नए कार्यात्मक क्षेत्रों की पहचान करना।

"हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट एप्रोच"

- एक नवीन देश-संचालित प्रतिक्रिया- "हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट एप्रोच", को नवंबर 2018 में मोज़ाम्बिक में लॉन्च किया गया था।

VISION IAS

इसे WHO द्वारा समर्थन प्रदान किया जाएगा।

- इस दृष्टिकोण का अनुपालन इस रोग के सर्वाधिक भार का वहन करने वाले 11 देशों (बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो, घाना, भारत, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, युगांडा एवं यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ़ तंजानिया) द्वारा किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2030 तक भारत से इस रोग के उन्मूलन हेतु अनुसंधान को प्राथमिकता देने एवं बृहत् पैमाने पर बढ़ावा देने तथा इस हेतु योजना निर्मित करने के लिए **'मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन भारत (MERA India)'** को प्रारंभ किया है।
- MERA-India मलेरिया नियंत्रण हेतु कार्यरत **भागीदारों का एक समूह** है।
- इस **गठबंधन का प्रमुख कार्य** मलेरिया के जोखिम के प्रति सुभेद्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रासंगिक अनुसंधान को **समन्वित एवं संयोजनशील तरीके से** प्राथमिकता प्रदान करना, उसकी योजना बनाना,उसका संचालन करना, बढ़ावा देना एवं परिभाषित करना है।
- इसका लक्ष्य **व्यापक वैश्विक एजेंडे** में योगदान करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों को जारी रखना है।
- यह साझा अनुसंधान एजेंडे के तहत **अंतर-संस्थागत समन्वय** एवं **सहयोग** को सुविधाजनक बनाएगा। यह एजेंडा न केवल प्रोग्रामेटिक चुनौतियों का समाधान एवं **उपलब्ध साधनों के अंतर्गत विद्यमान अंतराल** को समाप्त करता है, बल्कि **लक्षित अनुसंधान** में भी योगदान देता है।

7.5. थ्री-पैरेंट बेबी

(3-Parent Baby)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्रीक एवं स्पेनिश डॉक्टरों के एक दल ने **मैटरनल स्पिंडल ट्रान्सफर तकनीक (माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी की एक विधि)** का प्रयोग कर तीन व्यक्तियों से एक शिशु को उत्पन्न किया।

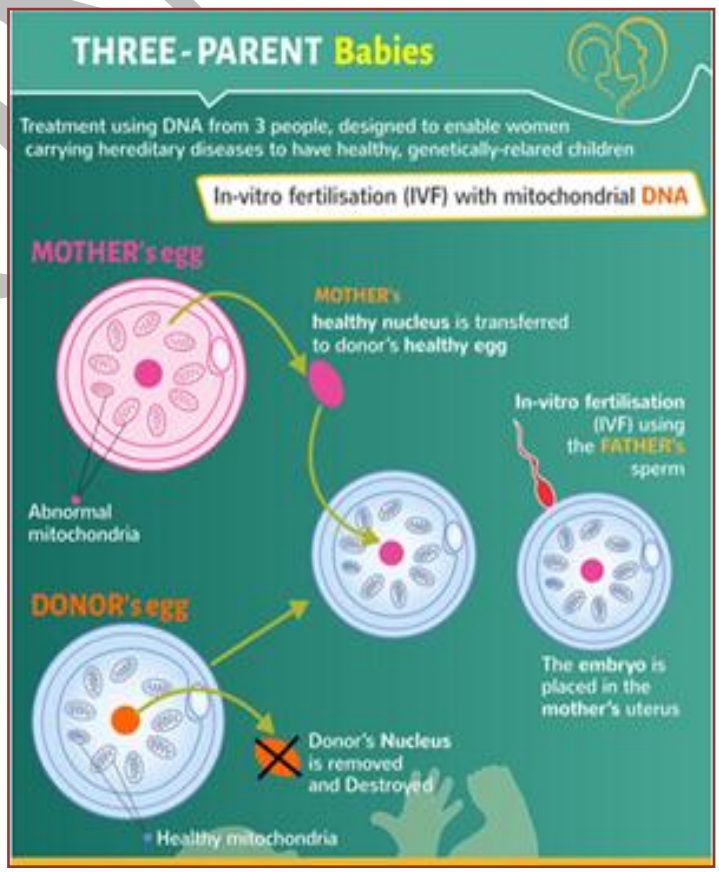

पृष्ठभूमि

- माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के भीतर उपस्थित कोशिकांग हैं, जो **एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ATP) का उत्पादन** कर ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। यह उपापचय को संचालित करने वाली प्रमुख ऊर्जा इकाई है।
- माइटोकॉन्ड्रिया को **कोशिका के पावरहाउस** के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- ऊर्जा उत्पादन के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया **कोशिकाओं के स्व-विनाश (apoptosis) को नियंत्रित करने में भी सहायता करता** है, जो **कोलेस्ट्रॉल एवं हीम (हीमोग्लोबिन का एक घटक) जैसे पदार्थों के उत्पादन** हेतु आवश्यक होता है।
- यद्यपि DNA का अधिकांश भाग कोशिका केन्द्रक में पाया जाता है, परन्तु कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल DNA (mtDNA) भी कहा जाता है।
- माइटोकॉन्ड्रिया **माता से ही वंशानुगत रूप से प्राप्त होता है** और इसके परिणामस्वरुप यदि माता में दोषपूर्ण mtDNA विद्यमान होता है, तो बच्चा भी **दुर्लभ माइटोकॉन्ड्रियल रोगों** के साथ जन्म लेता है।

VISION IAS

- दोषपूर्ण mtDNA के कारण उत्पन्न होने वाले विकारों में सम्मिलित हैं- मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, हंटिंग्टन रोग, पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर रोग आदि।
- वर्तमान में **माइटोकॉन्ड्रियल रोगों हेतु कोई उपचार उपलब्ध नहीं है।**

थ्री पैरेंट बेबी के बारे में

- **माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (MRT) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी)** का ही एक प्रकार है।
- इसका उपयोग IVF (इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन) प्रक्रिया के दौरान **माता के दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल DNA को डोनर महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से प्रतिस्थापित करने में किया जाता है**, इसी कारण इस प्रकार जन्मे बच्चे को थ्री-पैरेंट बेबी के नाम से जाना जाता है।
- इस प्रकार उत्पन्न संतान का जन्म **माता और पिता द्वारा ही होता है, परन्तु "थ्री-पैरेंट" बेबीज़ में माता और पिता के नाभिकीय DNA के साथ-साथ डोनर का माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी उपस्थित होगा।**
- बच्चे को माता-पिता द्वारा प्राप्त होने वाले 20,000 से अधिक जीनों की तुलना में डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया केवल **37 जीनों का योगदान देता है।** यह एक **नगण्य मात्रा** है तथा रक्ताधान या अंग प्रत्यारोपण में प्राप्त होने वाले जीनों की संख्या से बहुत कम है।
- **अन्य विशेषताएं,** जैसे- बुद्धिमत्ता, आँखों एवं बालों का रंग, ऊँचाई इत्यादि परिवर्तित नहीं होती हैं।
- **लाभ:** इसका उपयोग माता से संतान को प्राप्त होने वाले **गंभीर आनुवंशिक रोगों की रोकथाम** करने तथा **बांझपन के उपचार** हेतु किया जा सकता है।
- UK **"थ्री पैरेंट" बेबीज** को जन्म देने वाली प्रक्रियाओं को आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने वाला प्रथम देश बन गया है।

MRT की प्रक्रिया

माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (MRT) को दो विधियों के माध्यम से किया जा सकता है- प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर और स्पिंडल ट्रान्सफर।

स्पिंडल ट्रान्सफर

- इस विधि में सामान्य माइटोकॉन्ड्रिया से स्पिंडल तथा संबंधित गुणसूत्रों (chromosomes) को हटाकर नष्ट कर दिया जाता है और माता के अंडाणु/असामान्य माइटोकॉन्ड्रिया से स्पिंडल एवं संबंधित गुणसूत्रों को रिक्त किए गए डोनर अंडे में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- पुनर्संरचित अंडाणु को पिता के शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है तथा इसके पश्चात्, सामान्य माइटोकॉन्ड्रिया तथा माता और पिता के जीनोम वाले भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर

- इस विधि के अंतर्गत, पहले माता के असामान्य माइटोकॉन्ड्रिया वाले अंडाणु को और सामान्य माइटोकॉन्ड्रिया वाले डोनर के अंडाणु को शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है।
- इसके पश्चात् सामान्य माइटोकॉन्ड्रिया से प्राक्केंद्रक (pronucleus) को नष्ट कर दिया जाता है और असामान्य माइटोकॉन्ड्रिया के युग्मज (zygote) से प्राक्केंद्रक को रिक्त किए गए जाइगोट (युग्मज) में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- इस प्रक्रिया के पश्चात् सामान्य माइटोकॉन्ड्रिया तथा माता एवं पिता के जीनोम वाले भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

संबद्ध मुद्दे

- **सुरक्षा संबंधी निहितार्थ:** इसके आनुवंशिकता एवं भावी पीढ़ियों पर होने वाले दीर्घकालिक उद्विकास संबंधी निहितार्थ और अनपेक्षित परिणाम अज्ञात हैं।
- **धार्मिक आधार:** कुछ समूहों का मानना है कि मानव अंडाणु और भ्रूण के साथ छेड़छाड़ या हस्तक्षेप करने वाली प्रौद्योगिकियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- **सामाजिक मुद्दे:** ये तकनीकें महंगी होने के कारण केवल आर्थिक रूप से सम्पन्न सामाजिक समूहों को ही लाभान्वित कर सकती हैं। सामाजिक मुद्दे, ट्राईपैटर्नल (tripaternal) पहलू के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इन तकनीकों से जन्मे बच्चे भेदभाव के कारण मानसिक यातना से ग्रस्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इससे विधिक जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है।
- **नैतिक मुद्दे:** माता-पिता, "आनुवंशिक रूप से संशोधित" या "डिजाइनर" शिशुओं को प्राप्त करने हेतु तकनीक का दुरुपयोग कर सकते हैं।
- **भविष्य के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** इसके परिणामस्वरूप बच्चों में कैंसर तथा समय से पहले बुढ़ापे के जोखिम में वृद्धि हो सकती है और उन्हें जीवन भर देख-रेख की आवश्यकता हो सकती है।

VISION IAS

आगे की राह

- MRT तकनीक को एक विनियमित परिवेश में विकसित एवं प्रशासित किया जाना चाहिए ताकि इसका उपयोग प्राणघातक रोगों के निवारण हेतु किया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इसका दुरुपयोग न हो और जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, केवल उन्हीं तक इसकी उपलब्धता हो।

7.6. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

(Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights: PPV & FR)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, पेप्सिको द्वारा अधिकारों के कथित उल्लंघन के आधार पर **गुजरात के नौ किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।** इसमें कंपनी द्वारा उल्लेख किया गया कि इन किसानों द्वारा उसकी पंजीकृत **FC-5 आलू की किस्म (या FL-2027)** की अवैध रूप से कृषि की गई। आलू की इस किस्म का उपयोग लेज़ (Lays) चिप्स बनाने हेतु किया जाता है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- पेप्सिको ने अपने अधिकारों के उल्लंघन का दावा करने के लिए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की **धारा 64** को संदर्भित किया क्योंकि कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2031 तक FC-5 का पेटेंट दर्ज करवाया गया है।
- इसके प्रतिक्रियास्वरूप कृषक समूहों द्वारा **PPV&FR अधिनियम की धारा 39** का उद्धरण दिया गया, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत "संरक्षित किस्म के बीज सहित किसान को अपने खेत की उपज के संरक्षण, उपयोग, बुवाई, पुन:बुवाई, विनिमय, सहभाजन या विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, बशर्ते उसके द्वारा "ब्रांडेड बीज" का विक्रय न किया जा रहा हो।"

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (PPV & FR) अधिनियम, 2001 के बारे में

- वर्ष 1994 में विश्व व्यापार संगठन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत को, ट्रेड-रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (TRIPS) समझौते के अनुच्छेद 27 (3) (b) के अंतर्गत **पौधा किस्मों के संरक्षण हेतु अद्वितीय उत्पत्ति प्रणाली (sui genesis system) को अपनाने या कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ़ न्यू वेरायटीज ऑफ़ प्लांट्स (UPOV) में सम्मिलित होने के लिए** बाध्य किया गया था।
  - पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (PPV&FR) अधिनियम, 2001 को **अद्वितीय उत्पत्ति प्रणाली को अपनाकर** अधिनियमित किया गया था।
- यह **विश्व का एकमात्र IPR कानून** है, जो न केवल **पादप प्रजनकों (plant breeders)** को, बल्कि किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की नई एवं प्रचलित किस्मों को संरक्षण प्रदान करके **किसानों को भी** बौद्धिक संपदा का अधिकार प्रदान करता है।
- UPOV के विपरीत, यह अधिनियम न केवल नई, बल्कि यहाँ तक कि प्रचलित (मौजूदा) किस्मों के संरक्षण को भी सुविधाजनक बनाता है। इसमें **बीज अधिनियम (1966)** के तहत अधिसूचित किस्में, किसानों की किस्में तथा आम तौर पर ज्ञात किस्में सम्मिलित हैं।
- **उद्देश्य**
  - विगत समय में पौधों की नई किस्मों के विकास हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के सम्बन्ध में उनके **अधिकारों को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करना।**
  - देश में **कृषि विकास में तीव्रता लाना**, पादप प्रजनकों के अधिकारों को संरक्षित करना; पादपों की नई किस्मों के विकास हेतु सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए निवेश प्रोत्साहित करना।
  - किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश में **बीज उद्योग के विकास** को सुविधाजनक बनाना।
- संरक्षण अवधि 15 वर्ष है तथा वृक्षों और बेलों के सन्दर्भ में यह 18 वर्ष है।
- **पौधा किस्म संरक्षण अपीलीय न्यायाधिकरण (PVPAT)** की स्थापना: PVPAT के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह न्यायाधिकरण एक वर्ष की समयावधि के भीतर अपील का निस्तारण करेगा।
- **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FR प्राधिकरण):** इसकी स्थापना कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के प्रावधानों को लागू करने के लिए की गयी है। इस **प्राधिकरण के सामान्य प्रकार्य हैं:**
  - पौधों की नई किस्मों का पंजीकरण तथा **नई पादप किस्मों**, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (EDV) और प्रचलित किस्मों **के पंजीकरण के लिए पादप किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर** का अनुरक्षण।

VISION IAS

- कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ औपचारिक संपर्क के माध्यम से नई किस्मों के **विकास और व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाना**।
- **पौधों की नई प्रजातियों के लिए DUS (विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थिरता) परीक्षण दिशा-निर्देश विकसित करना:** DUS परीक्षण वह तरीका है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या नई किस्म समान प्रजाति में मौजूद अन्य किस्मों से भिन्न **(विशिष्टता भाग)** है, क्या विशिष्टता स्थापित करने के लिए प्रयुक्त विशेषताएँ एकरूपता दर्शाती हैं (**एकरूपता भाग**), और क्या ये विशेषताएं आगामी पीढ़ियों में परिवर्तित नहीं होती हैं (**स्थिरता भाग**)।
- पंजीकृत किस्मों के प्रजनकों द्वारा जमा की गई मूल किस्म सहित बीज सामग्री को संग्रहित करने के लिए **राष्ट्रीय जीन बैंक का रख-रखाव।**
- **राष्ट्रीय जीन फंड की स्थापना (2007):** यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार एवं परिरक्षण में संलग्न कृषक/जनजातीय/ग्रामीण समुदायों को सहायता एवं पुरस्कार प्रदान करता है।
- विशेष रूप से कृषि-जैव विविधता आकर्षण केंद्रों के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार एवं परिरक्षण में संलग्न कृषक समुदाय हेतु **पादप जीनोम संरक्षण समुदाय पुरस्कार आरम्भ किया गया।**

UPOV के बारे में

- **उद्देश्य:** यह पौधे की किस्मों के संरक्षण हेतु प्रभावी प्रणाली को स्थापित एवं प्रोत्साहित करने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसका लक्ष्य समाज के लाभ हेतु पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना है।
- **किसानों को संरक्षण: UPOV** कन्वेंशन पौधों की नई किस्मों के प्रजनकों को बौद्धिक संपदा अधिकार (अर्थात् प्रजनक अधिकार) प्रदान करके, सदस्यों द्वारा पौधों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने हेतु आधार प्रदान करता है।

पौधों की किस्मों के संरक्षण के प्रभाव

- प्रजनन गतिविधियों में वृद्धि,
- उन्नत किस्मों का अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध होना,
- प्रजनकों के प्रकारों (निजी प्रजनक, शोधकर्ता) का विविधीकरण,
- नई विदेशी किस्मों की संख्या में वृद्धि,
- विदेशी बाजारों में नवीन उद्योग प्रतिस्पर्धात्मकता के विकास को प्रोत्साहित करना, और
- विदेशी पौधों की किस्मों तक पहुंच में सुधार और संवर्धित घरेलू प्रजनन कार्यक्रम।

पेटेंट और PPV & FR अधिनियम के मध्य अंतर

- पेटेंट औद्योगिक अनुप्रयोगों के अविष्कार पर IPR से संबंधित है जबकि **PPV & FR** अधिनियम, **2001** पौधों की नई किस्मों के प्रजनन एवं विकास करने वाले प्रजनकों को IPR प्रदान करता है।
- पेटेंट, अविष्कार के सार्वजनिक प्रकटीकरण के बदले में सीमित समयावधि के लिए अविष्कारक और उनके समानुदेशिती (assignee) को राज्य (राष्ट्रीय सरकार) द्वारा प्रदान किए गए अनन्य अधिकारों का समुच्चय है। **PPV & FR** अधिनियम इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सभी शस्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षण देने के अतिरिक्त, किसानों, प्रजनकों और अनुसंधानकर्ताओं को अधिकार प्रदान करता है।
- यह पादप आनुवंशिकी संसाधन के संरक्षण और संधारणीय उपयोग में सहायता प्रदान करने के लिए किसानों के साथ लाभ सहभाजन तथा उन्हें क्षतिपूर्ति, मान्यता एवं पुरस्कार प्रदान करने का भी प्रावधान करता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकार

- **प्रजनकों के अधिकार:** प्रजनकों को संरक्षित किस्म का उत्पादन, विक्रय, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने का अनन्य अधिकार होगा। प्रजनक एजेंट/लाइसेंसधारक नियुक्त कर सकते हैं और अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में दीवानी (civil) कार्यवाही का प्रयोग कर सकते हैं।
- **शोधकर्ताओं के अधिकार:** शोधकर्ता प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी किस्म का उपयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अन्य किस्म को विकसित करने के उद्देश्य से मौजूदा किस्म का प्रारंभिक स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, परंतु पुनः उपयोग के लिए पंजीकृत प्रजनक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।
- **किसानों के अधिकार:**
  - नई किस्म विकसित या उत्पन्न करने वाला किसान भी प्रजनक की भांति **पंजीकरण और संरक्षण प्राप्त हेतु पात्र होगा**।

VISION IAS

- किसान PPV&FR अधिनियम, 2001 के अंतर्गत संरक्षित किस्म के बीज सहित **अपनी कृषि उपज का उसी प्रकार से संरक्षण, उपयोग, बुवाई, पुन: बुवाई, विनिमय, सहभाजन या बिक्री कर सकता** है, जिस प्रकार से वह इस अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व करता था, परंतु PPV&FR अधिनियम, 2001 के अंतर्गत एक अपवाद है कि किसान द्वारा संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज का विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
- इस अधिनियम की धारा 39(2) के अंतर्गत किस्म के विफल होने की स्थिति में **किसानों हेतु क्षतिपूर्ति** का भी प्रावधान किया गया है; तथा
- इस अधिनियम के अंतर्गत किसान, प्राधिकरण या रजिस्ट्रार अथवा न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान **किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं** होगा। इस शुल्क का भुगतान **राष्ट्रीय जीन फंड** द्वारा किया जाएगा।

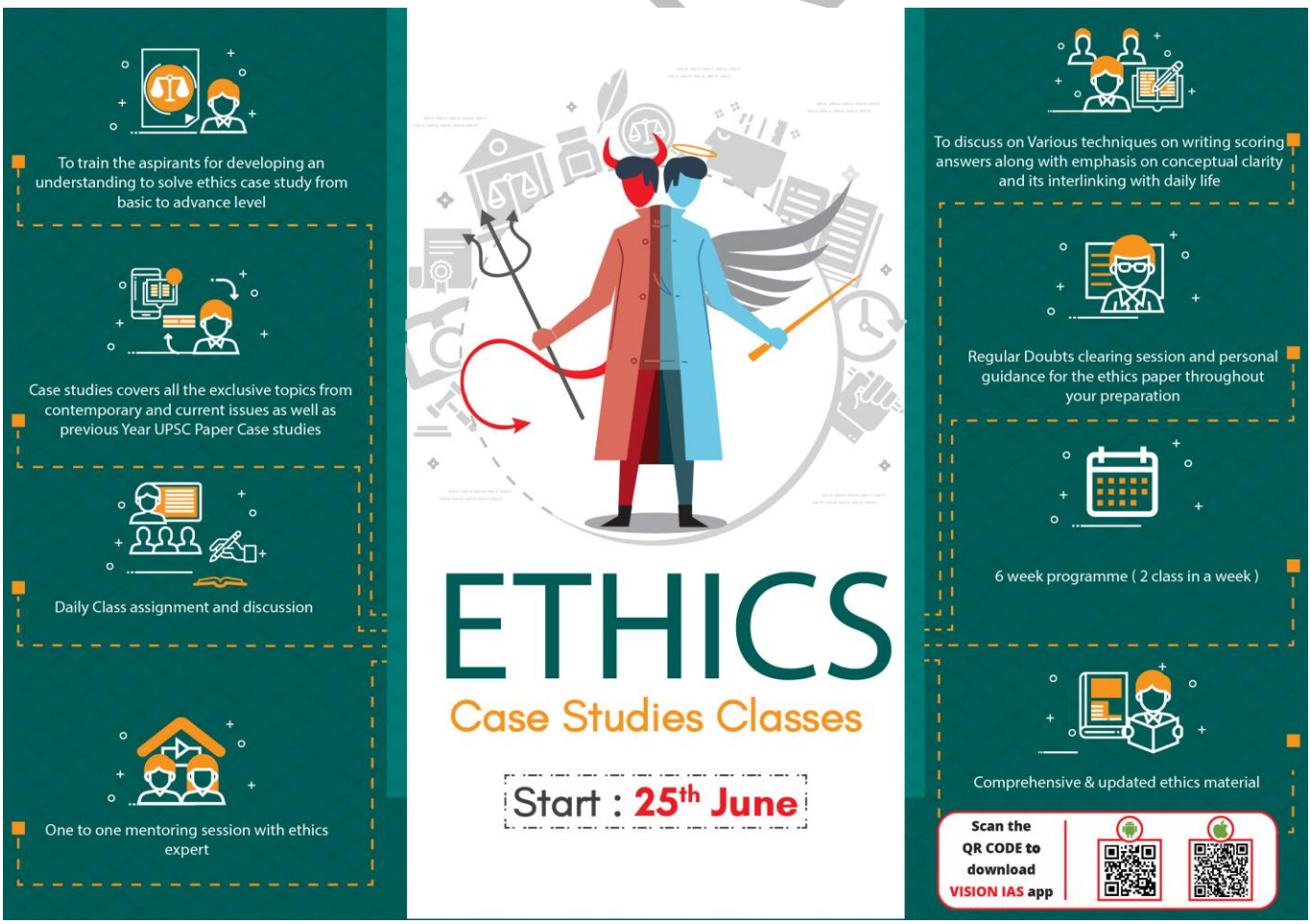

8. संस्कृति (Culture)

8.1. जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष

(100 Years of Jallianwala Bagh Massacre)

सुर्ख़ियों में क्यों?

13 अप्रैल 2019 को इतिहास में कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

विवरण:

- अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, 1919 को आम तौर पर **रॉलेट एक्ट** के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय विधान परिषद के प्रत्येक भारतीय सदस्य द्वारा इसका विरोध किये जाने के बावजूद मार्च 1919 में यह अधिनियम लागू कर दिया गया।
- **रॉलेट एक्ट** द्वारा सरकार को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हुईं:
  - विशिष्ट अपराधों के लिए उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों से मिलकर गठित **विशेष न्यायालयों को स्थापित करना;**
  - **अच्छे व्यवहार के लिए अनुबंध के निष्पादन का निर्देश करना;** पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग के साथ शहर के भीतर नजरबंदी; और कुछ विशिष्ट कृत्यों को रोकना; तथा
  - **संदेह के आधार पर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना,** बिना किसी सुनवाई (ट्रायल) के उन्हें 2 वर्ष तक हिरासत में रखना, बिना वारंट के किसी स्थान की तलाशी लेना और प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाना।
- इसने उन अधिकांश भारतीयों को अचंभित कर दिया जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ स्वेच्छा से भाग लेने हेतु पुरस्कृत किए जाने की अपेक्षा की थी न कि दंड दिए जाने की।
- रॉलेट एक्ट के पारित होने के तुरंत पश्चात् **बी. एन. शर्मा** ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल के सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया।
- सी. राजगोपालाचारी, ए. रंगास्वामी अयंगर, जी. हरिसर्वोत्तम राव और टी. आदिनारायण चेट्टी के नेतृत्व में **मद्रास सत्याग्रह सभा ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया।**
- **महात्मा गांधी** ने एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह (रॉलेट सत्याग्रह) का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 को वायसराय द्वारा रॉलेट विधेयक को अपनी स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् हड़ताल की गई।
- किन्तु सत्याग्रह से पहले भी कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद आदि स्थानों में बृहत् पैमाने पर ब्रिटिश विरोधी हिंसक प्रदर्शन किए गए थे।
- पंजाब में, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ'डायर के दमनकारी प्रशासन के तहत स्थिति तनावपूर्ण थी। डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था।
  - उसके आदेशों के तहत गांधीजी को दिल्ली के निकट पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार उन्हें पंजाब में प्रवेश करने से रोक दिया गया।
  - उसने अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 'अज्ञात स्थान' पर भेजने के भी निर्देश दिये। ये नेता रॉलेट एक्ट को लागू करने के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे।
  - **बैसाखी के दिन** जनता अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए छोटे से बाग़ में एकत्रित हुई थी।
  - **जनरल रेजिनाल्ड डायर** के आदेशों के तहत सेना ने भीड़ (बाग़ में एकत्रित लोगों) को घेर लिया। **गवर्नर माइकल ओ'डायर** ने रेजिनाल्ड डायर को कार्रवाई हेतु पूर्ण अनुमति प्रदान की थी। बाग़ के एकमात्र निकास द्वार को अवरुद्ध कर दिया गया तथा सेना ने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाईं, जिससे 1,000 से अधिक लोग मारे गए।

परिणाम

- **महात्मा गांधी** हिंसा के परिवेश से व्यथित हो गए थे तथा उन्होंने 18 अप्रैल **1919 को रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया।**
- **रवींद्रनाथ टैगोर** ने विरोधस्वरूप नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया।
- 14 अक्टूबर 1919 को भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू द्वारा जारी आदेशों के बाद भारत सरकार ने पंजाब की घटनाओं की जाँच हेतु एक समिति के गठन की घोषणा की।
  - इस समिति को डिसऑर्डर इनक्वायरी कमेटी के रूप में संदर्भित किया गया। बाद में इसे **हंटर कमीशन** के नाम से जाना गया।
  - कांग्रेस ने इस समिति का बहिष्कार किया।

VISION IAS

- हंटर कमीशन ने कोई दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की, क्योंकि डायर की कार्रवाइयों को विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा माफ़ कर दिया गया था (बाद में सेना परिषद द्वारा भी इस निर्णय को बरकरार रखा गया)।
- आरम्भ में ब्रिटिश साम्राज्य में कंजरवेटिव्स द्वारा डायर की प्रसंशा की गयी थी, किन्तु जुलाई 1920 में उसकी निंदा की गयी तथा हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा उसे सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य किया गया था। उसे उसकी नियुक्ति से हटाकर अनुशासित किया गया, उसकी पदोन्नति रोक दी गयी तथा भविष्य में भारत में नियोजन हेतु उसे प्रतिबंधित कर दिया गया।

- महात्मा गांधी ने 1920 में पंजाब और खिलाफत अन्याय के विरुद्ध आंदोलन के एक भाग के रूप में अपनी **कैसर-ए-हिंद** की उपाधि लौटा दी। गांधीजी को यह उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा बोअर युद्ध के पश्चात् प्रदान की गई थी।
- स्वर्ण मंदिर के भ्रष्ट महंतों ने जनरल डायर को सरोपा (सम्मान सूचक वस्त्र) देकर सम्मानित किया, जिसके फलस्वरूप आंदोलन आरम्भ हो गया। परिणामस्वरूप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) के नाम से एक समिति का गठन किया गया तथा इस समिति को स्वर्ण मंदिर, अकाल तख्त और अन्य गुरुद्वारों का नियंत्रण और प्रबंधन सौंप दिया गया।
- दमनकारी कानून समिति (Repressive Laws Committee) की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने मार्च 1922 में रॉलेट एक्ट, प्रेस एक्ट और 22 अन्य कानूनों को निरस्त कर दिया।
- ग़दर पार्टी के एक क्रांतिकारी **उधम सिंह** ने 13 मार्च 1940 को लंदन में **माइकल ओ'डायर** की हत्या कर दी थी।

8.2. कोहिमा के युद्ध की 75वीं वर्षगांठ

(75th Anniversary of Battle of Kohima)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में **नागालैंड सरकार द्वारा कोहिमा के युद्ध की 75वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

संबंधित तथ्य

कांगला टोंगबी के युद्ध का प्लैटिनम जुबली समारोह- यह युद्ध वर्ष 1944 में लड़ा गया था और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के सर्वाधिक भीषण युद्धों में से एक माना जाता है। जापानी सैन्य बलों ने इम्फाल और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए तीन-ओर से आक्रमण की योजना बनाई थी।

कोहिमा के युद्ध के बारे में

- **प्रसंग:**
  - **ब्रिटिश और भारतीय 14वीं सेना (Indian Fourteenth Army)** द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में संभावित आक्रामक कार्यवाही के लिए **दीमापुर और इंफाल** में लॉजिस्टिकल बेस का निर्माण कर रही थी।
  - मार्च 1944 में जापान की 15वीं सेना ने बर्मा में अंग्रेजों के नियोजित आक्रमण को पहले से ही रोकने हेतु भारत के पूर्वोत्तर सीमांत पर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी।
  - 1944 की वसंत ऋतु के दौरान कोहिमा और उसके आसपास का युद्ध वस्तुतः एक बृहत् जापानी आक्रमण का भाग था, जिसे **"ऑपरेशन यू-गो"** के नाम से जाना जाता है।
- **कोहिमा की सामरिक स्थिति-** यह उस मार्ग का महत्वपूर्ण भाग था जिसे जापानियों द्वारा **बर्मा से भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से अपनाया जाना था। जापानी इम्फाल के मैदान में ब्रिटिश आपूर्ति केन्द्रों पर आधिपत्य स्थापित करके** तथा दीमापुर और इम्फाल को जोड़ने वाली सड़क को **कोहिमा में** अवरुद्ध करके आक्रमण करना चाहते थे। इम्फाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के साथ जापानी, **चीन की हवाई आपूर्ति बाधित करने और भारत के विरुद्ध हवाई हमले करने में सक्षम हो जाते।**
- **कोहिमा का युद्ध:**
  - यह युद्ध **मित्र सेनाओं (allied forces)** और **जापानी सेना** के मध्य **नागा पहाड़ियों** पर अप्रैल 1944 से जून 1944 के बीच तीन चरणों में सम्पन्न हुआ।
  - **नागाओं को भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा,** उनमें से कुछ अंग्रेजों के साथ तथा कुछ जापानियों के साथ सम्मिलित हुए।
- **युद्ध के परिणाम:**
  - इस पराजय ने दक्षिण एशिया में **टोक्यो की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं** का दमन कर दिया।
  - कोहिमा के युद्ध में जापानियों को हुई भारी क्षति युद्ध के अगले चरण के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसके परिणामस्वरूप 1945 में बर्मा पर मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण स्थापित हो गया।

VISION IAS

- वर्ष 2013 में, लंदन के नेशनल आर्मी म्यूज़ियम ने बैटल ऑफ़ डी-डे और बैटल ऑफ़ वाटरलू की तुलना में कोहिमा और इम्फाल के युद्ध को "ब्रिटेन की सबसे बड़ी लड़ाई" के रूप में घोषित किया।
- इस युद्ध को प्रायः ***"स्टालिनग्राड ऑफ़ द ईस्ट"***के रूप में संदर्भित किया जाता है।

8.3. चारमीनार

(Charminar)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **चारमीनार** की दक्षिण-पश्चिम मीनार को अत्यधिक क्षति पहुंची है।

विवरण:

- चारमीनार (जो *आर्क़ डी ट्रिऑम्फ़ ऑफ़ द ईस्ट* के नाम से भी जानी जाती है) एक स्मारक और एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कार्य **1591 ईस्वी** में सम्पन्न हुआ था।
- ऐसा माना जाता है कि कुतुब शाही वंश के पांचवें सुल्तान **मोहम्मद कुली कुतुब शाह** ने प्राणघातक महामारी प्लेग को नियंत्रित करने की स्मृति स्वरूप इस स्मारक का निर्माण करवाया था। उस समय यह महामारी सम्पूर्ण नगर में प्रसारित हो गयी थी।
- यह **मूसी नदी** के तट के निकट स्थित है।
- यह कुछ फ़ारसी तत्वों को समाहित करते हुए इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

क़ुतुबशाही राजवंश (1518-1687)

- यह बहमनी साम्राज्य के पाँच परवर्ती (उत्तराधिकारी) राज्यों में से एक था।
- इसका संस्थापक कुली कुतुबशाह था। कुतुब शाह ने 1518 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और अपनी राजधानी को गोलकुंडा स्थानांतरित कर दिया था (बाद में 1591 ईस्वी में राजधानी को नवगठित हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था)।
- हालाँकि आरम्भ में उसने फ़ारसी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया, किन्तु बाद में उसने राज्य में प्रशासन की प्राथमिक भाषा के रूप में तेलुगु का उपयोग प्रारम्भ किया। उसे 'तेलुगु सुल्तान' की उपाधि दी गई।
- इस राजवंश ने गोलकुंडा पर 1687 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा दक्कन पर विजय प्राप्त करने तक अर्थात् 171 वर्षों तक शासन किया।
- गोलकुंडा इंडो-फ़ारसी वास्तुकला के कुछ उदाहरण- गोलकुंडा किला, कुतुबशाहियों के मकबरे, चार मीनार और चार कमान, मक्का मस्जिद तथा तोली मस्जिद हैं।

8.4. कोन्याक नृत्य

(Konyak Dance)

सुर्खियों में क्यों?

- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने **कोन्याक नृत्य के उस प्रदर्शन को "विशालतम पारंपरिक नृत्य (largest traditional dance)"** के रूप में मान्यता प्रदान की है जिसमें लगभग 4,700 कोन्याक नागा महिलाओं ने एक साथ अपनी रंग-बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में विशालतम स्तर पर **"पारंपरिक कोन्याक नृत्य"** का प्रदर्शन किया।
- यह कोन्याक जनजाति के **"ओलियांग मोन्यू (Aoleang Monyu)"** त्योहार के दौरान आयोजित किया गया था। इस त्यौहार को **वसंत ऋतु के प्रारंभ में वसंत के स्वागत हेतु प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है।**

कोन्याक जनजाति के बारे में

- **कोन्याक 16 नागा जनजातियों में से एक है**, जिसे उनकी आक्रामक **नरमुंड काटने की प्रथा** के इतिहास के लिए जाना जाता है।
- इस जनजाति के लोग मुख्यतः नागालैंड के मोन जिले में निवास करते हैं, हालांकि यह जनजाति **अरुणाचल प्रदेश, असम और म्यांमार में भी पाई जाती है।**
- ये अपनी छिद्रित कर्ण; एवं मुख, हाथों, छाती, भुजाओं तथा पिंडलियों पर बने टैटू द्वारा अन्य नागा जनजातियों के बीच आसानी से पहचाने जा सकते हैं।

VISION IAS

- कोन्याक जनजाति की अन्य **अनूठी पारंपरिक प्रथाएं हैं**: बंदूक बनाना (गनस्मिथिंग), लौह-प्रगलन (आयरन-स्मेल्टिंग), कांस्य से संबंधित कार्य और बारूद निर्माण।
- **कोन्याक नृत्य:** नर्तक एवं नर्तकियां, पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं और नृत्य के साथ एक उत्सव-संबंधी गीत का गायन भी करते हैं।

भारत के वसंत ऋतु के त्योहार

त्योहार	क्षेत्र
चापचर कुट	मिजोरम
गरिया पूजा	त्रिपुरा
म्योको उत्सव	अरुणाचल प्रदेश की अपातानी जनजाति
मोअस्ते और त्सीच्ये (Moaste and Tsichye)	नागालैंड की अओस और रेंगमा जनजाति
लाई हारोबा	मणिपुर
मोपिन	अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति
ओलियांग	नागालैंड की कोन्याक जनजाति
गणगौर	राजस्थान
होली	उत्तर भारत
वसंत पंचमी	उत्तर भारत
ट्यूलिप फेस्टिवल	कश्मीर
बोहाग बिहू	असम
बैसाखी	पंजाब
त्रिशूर पूरम	केरल
गुड़ी पड़वा	महाराष्ट्र
उगादी	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक

8.5. भारती लिपि

(Bharati Script)

सुर्ख़ियों में क्यों?

IIT मद्रास के शोधकर्ताओं के एक दल ने **9 भारतीय भाषाओं हेतु एक एकीकृत लिपि** का विकास किया है, जिसे **भारती लिपि** नाम दिया गया है।

भारती लिपि के बारे में

- उल्लेखनीय है कि अनेक यूरोपीय भाषाओं (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी आदि) हेतु एक साझी लिपि के रूप में **रोमन लिपि** का प्रयोग किया जाता है, जो इन भाषाओं का उपयोग करने वाले **देशों में संचार** को सुविधाजनक बनाती है। इसी प्रकार सम्पूर्ण भारत में यदि एक साझी लिपि को अपनाया जाता है तो इससे देश में संचार व्यापक रूप से सुविधाजनक बन सकता है।
- यूरोपीय भाषाओं से एक अनुसंकेत ग्रहण करते हुए IIT मद्रास का दल ऐसी किसी लिपि के विकास हेतु विगत एक दशक से प्रयासरत था।

VISION IAS

- यह नव विकसित एकीकृत लिपि **देवनागरी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम** और **तमिल** को शामिल करती है।
- यह दल अब एक कदम और आगे बढ़ गया है-
    - इस दल ने बहुभाषी **प्रकाशिक संप्रतीक अभिज्ञान (Optical Character Recognition: OCR)** युक्ति का प्रयोग करते हुए भारती लिपि में दस्तावेजों के पठन हेतु एक पद्धति विकसित की है। यह पद्धति सर्वप्रथम दस्तावेज को **पाठ (टेक्स्ट)** और **गैर-पाठ (नॉन-टेक्स्ट)** में पृथक (या विभाजित) करती है। तत्पश्चात पाठ को परिच्छेदों, वाक्यों, शब्दों एवं अक्षरों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अक्षर को ASCII (अमेरिकन स्टैण्डर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज) या यूनिकोड (Unicode) जैसे सरलता से पहचानने योग्य संरूपों में एक संप्रतीक के रूप में पहचाना जाता है।
    - इसने एक **फिंगर-स्पेलिंग (अंगुली-अक्षर विन्यास) विधि** का भी सृजन किया है, जिसे बधिर (hearing-impaired) व्यक्तियों हेतु एक संकेत भाषा की रचना के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया जा सकता है। TCS मुंबई के सहयोग से शोधकर्ताओं ने इस फिंगर-स्पेलिंग तकनीक के प्रयोग द्वारा बधिर व्यक्तियों के लिए हस्ताक्षरों के सृजन हेतु एक तरीके की खोज की है।
- **इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
    - लोगों, विशेषतया आगामी पीढ़ी, के मध्य भारती लिपि के प्रति जागरुकता सृजन के द्वारा इस लिपि के प्रसार को सुविधाजनक बनाना।
    - सॉफ्टवेयर उपकरणों एवं ऐप्लिकेशन्स के विकास के द्वारा भारती लिपि के सुगम उपयोग को सहज बनाना।

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. मतदान संबंधी नीतिशास्त्र

(The Ethics of Voting)

सुर्खियों में क्यों?

17वीं लोकसभा के आम चुनावों के वातावरण में 'मतदान व्यवहार' पर एक नैतिक मुद्दे के रूप में वाद-विवाद चल रहा है।

मतदान एक नैतिक मुद्दा क्यों है?

- **लाभकारी:** सकारात्मक/उचित मतदान व्यवहार अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा व्यापक स्तर पर 'लोक शुभ' अथवा 'लोक कल्याण' में वृद्धि की जाती है।
- **विवेकपूर्ण:** किसी व्यक्ति द्वारा उचित आधारों पर और उचित प्रत्याशी को दिया गया मत उसके स्वयं के हितों को सार्थक रूप से प्रोत्साहित करता है। साथ ही, नागरिक सदाचार व जन-उत्साह के दृष्टिकोण से भी मतदान करना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है।
- **समाज के प्रति कर्तव्य:** जो नागरिक मतदान में भाग नहीं लेते हैं, वे अच्छी सरकारी व्यवस्था का बिना कुछ किए ही लाभ उठाते हैं अथवा समाज के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन में विफल रहते हैं।
- **लोकतंत्र की रक्षा:** मतदान एक स्थायी लोकतंत्र को संरक्षण प्रदान करता है, ऐसे में मतदान न करना सरकार में जनमानस के विश्वास को कम करने का संकट उत्पन्न कर सकता है (क्योंकि लोग इसे पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं मानते हैं)।
- **न्याय तथा विधि के शासन की वृद्धि में भागीदारी:** चयनित प्रत्याशी नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। नागरिकों को विधि के आंशिक निर्माता के रूप में माना जाता है। मतदान नहीं करने वाले नागरिक वास्तव में विधि-निर्माण प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और न्याय के उद्देश्य का प्रसार नहीं करते हैं।

नैतिक मतदान के मार्ग में आने वाली चुनौतियाँ

- **नकदी या वस्तुओं के बदले में मतदान करना** लोकतांत्रिक चुनाव की प्रकृति के विपरीत है। यह मतदान को सामाजिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया गया एक कार्य बना देता है। निर्वाचकों के मतों (वोट) को खरीदने के लिए धन/मुफ्त उपहार बांटने वाला राजनेता इन कार्यों को निवेश के रूप में देखता है और यह लगभग निश्चित होता है कि वह भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त होकर इससे कहीं अधिक धन वसूल कर लेगा।
- **वोट खरीदने/बेचने का कार्य 'एक व्यक्ति, एक मत' या समानता के अधिकार** (संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्याभूत अधिकार) के सिद्धान्त के विरुद्ध है क्योंकि संपन्न लोगों की अपेक्षा निर्धन लोगों द्वारा अपना वोट बेचे जाने की सम्भावना अधिक होती है। इससे राजनीतिक परिणाम धन-संपन्न लोगों के पक्ष में होने की आशंका रहती है।
- इसी प्रकार, किसी सुविज्ञ निर्णय के बिना, केवल यह सोचकर कि यह आपके समुदाय के लिए अच्छा रहेगा, **जातिगत या सामुदायिक पहचान के आधार पर मतदान करना** नैतिक रूप से उचित नहीं है। ऐसे परिदृश्य में, सरकार की प्राथमिकता/रुचि ऐसे सांप्रदायिक एजेंडों (जैसे- किसी विशेष धार्मिक समूह की भलाई, जातिगत आरक्षण इत्यादि) को प्रोत्साहन प्रदान करने की होगी जो केवल किसी विशिष्ट समूह की ही तुष्टि करते हों, **न कि प्रत्येक सामाजिक समूह के लिए लाभप्रद सार्वजनिक हित की** (जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, पर्यावरण आदि में निवेश करना)।
- **समाज के केवल किसी विशेष समूह या वर्ग के हितसाधन हेतु अल्पकालिक लोकलुभावन नीति के पक्ष में मतदान संपूर्ण समाज की हितपूर्ति में बाधक हो सकता है।** इसी प्रकार, आम जनता का नि:शुल्क सार्वजनिक सेवाओं (जैसे पानी, बिजली आदि) के लोभ में मतदान करना, उन्हें सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता करने हेतु विवश कर सकता है।
- मतदाताओं का बहुमत **केवल अपने लिए नहीं, अपितु संपूर्ण समुदाय के लिए प्रत्याशियों को निर्वाचित करता है।** इन लोगों में असहमति रखने वाले अल्पसंख्यक, बच्चे, गैर-मतदाता आदि सभी सम्मिलित होते हैं। जनहित की कीमत पर स्व-हित के लिए मतदान करना दूसरों के हितों का दमन करने के समकक्ष है। अतः समाज में सभी को समान भागीदारी प्रदान करने के लिए जनहित में मतदान करना आवश्यक है।

VISION IAS

SVEEP (Systematic Voters' Education & Electoral Participation: सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचक सहभागिता) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **2009** में आरंभ किया गया एक बहुआयामी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य नागरिकों व मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया के विषय में शिक्षित करना है ताकि उनकी जागरुकता तथा उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

नैतिक मतदान को बढ़ावा देना

- व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से लक्षित आबादी को मतदाता पंजीकरण, संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया तथा संबंधित मामलों के संबंध में शिक्षित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य इस आम धारणा को परिवर्तित करना होना चाहिए कि एक व्यक्ति के वोट की 'अपेक्षित उपयोगिता' बहुत कम होती है।
- लोगों को EVM तथा VVPAT से परिचित कराना और इसकी सुदृढ़ता व इससे छेड़खानी न किए जा सकने के संबंध में शिक्षित करना। चुनावी प्रक्रियाओं की प्रामाणिकता को सुनिश्चित बनाए रखना नागरिकों को राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय व श्रम लगाने के लिए प्रेरित करता है जो आगे चलकर सुविज्ञ मतदान में परिवर्तित होता है।
- संवैधानिक, विधायी एवं कानूनी प्रावधानों और चुनाव आयोग, मीडिया व अन्य हितधारकों की भूमिकाओं को समझने के लिए लक्षित जनता को सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- चुनाव आयोग को भावी मतदाताओं (उदाहरण के लिए, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों) और नए मतदाताओं (उदाहरण के लिए, कॉलेजों के मतदाताओं) के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लबों का गठन करना चाहिए। औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रह जाने वाले सभी युवाओं व वयस्कों के लिए 'चुनाव पाठशालाओं' का आयोजन किया जाना चाहिए।
- मतदाताओं को बिना किसी प्रलोभन के मतदान करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न मतदाता अभियान, उदाहरण के लिए- "नोट के बिना वोट", "नोट के बदले वोट नहीं" इत्यादि चलाए जाने चाहिए। चुनाव आयोग का SVEEP (स्वीप) कार्यक्रम इस संबंध में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। "नैतिक तथा सुविज्ञ मतदान" SVEEP का एक प्रमुख उद्देश्य है।
- चुनाव आयोग को ऐसे व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों की पहचान करनी चाहिए जहाँ नैतिक मतदान पर केंद्रित अभियान चलाने की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्रों में नैतिक मतदान पर सूचना के प्रसार के लिए बूथ जागरुकता समूहों (BAGs) का गठन किया जा सकता है।

निष्कर्ष

मूल समस्या मतदान को एक 'संव्यवहार' के रूप में देखने में निहित है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह को कुछ लाभ प्रदान करना होता है। मतदान एक नैतिक कर्तव्य है, यह धन या किसी विचारधारा के अधीन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं अपितु यह व्यापक रूप से समाज के हितों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है।

VISION IAS

10. संक्षिप्त सुर्खियाँ (News in Short)

10.1. शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

(International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace)

- 24 अप्रैल 2019 को **शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति** का प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 दिसंबर 2018 को इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह दिवस **साझा हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मूल्य को रेखांकित करता है।**
- यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र चार्टर और शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से देशों के मध्य विवादों के समाधान संबंधी इसके सिद्धांतों की अभिपुष्टि है। यह **राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने में बहुपक्षीय निर्णय-निर्माण और कूटनीति** के प्रयोग को स्वीकृति प्रदान करता है।

10.2. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

(World Press Freedom Index)

- **रिपोर्टर्स विदऑउट बॉर्डर्स (RSF)** द्वारा **विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक-2019** रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग विगत वर्ष की तुलना में दो स्थान फिसलकर 140वें स्थान (180 देशों में) पर पहुंच गई है।
- इस सूचकांक में **नॉर्वे** को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही रिपोर्ट के अंतर्गत विश्व-भर में पत्रकारों के प्रति **बढ़ती हिंसक घटनाओं** को रेखांकित किया गया है।
- इसके तहत वर्ष 2018 में कम से कम छह पत्रकारों की हत्या का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह रिपोर्ट पत्रकारों के प्रति हिंसक घटनाओं को भी रेखांकित करती है, जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा की जाने वाली हिंसा, माओवादी लड़ाकों द्वारा हमले तथा अपराधियों के समूहों या भ्रष्ट नेताओं द्वारा प्रतिहिंसा की घटनाएं शामिल हैं।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (Reporters Sans Frontieres-RSF)

- यह **पेरिस** अवस्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है, जो सूचना एवं प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर राजनीतिक विमर्श का आयोजन करता है।

10.3. सॉवरेन इंटरनेट लॉ

(Sovereign Internet Law)

- हाल ही में रूसी राष्ट्रपति द्वारा एक "सॉवरेन इंटरनेट" विधेयक पर हस्ताक्षर कर एक विधि निर्मित की गई है, जो रूस को अपने देश में इंटरनेट सम्बन्धी सेवाओं को अन्य देशों की सेवाओं से पृथक करने की अनुमति प्रदान करता है।
- इस विधि के तहत सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को विशेष नोड्स के माध्यम से अपने सभी ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करने की आवश्यकता होगी। ये नोड्स **क्रेमलिन के इंटरनेट सेंसर 'रोसकोमनाडज़ोर (Roscomnadzor)'** के नियंत्रण में है।
- यह **रोसकोमनाडज़ोर** को वेबसाइटों पर अवरोधों को क्रियान्वित करने में सक्षम बनाएगा। (पूर्व में टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि इसने क्रेमलिन को उसके ऐप तक बैक डोर एक्सेस देने से मना कर दिया था।
- इसमें इंटरनेट राउटिंग की निगरानी करने के लिए तकनीक सृजन जैसे उपाय करने और रूसी इंटरनेट ट्रैफ़िक संचालन को विदेशी सर्वर से दूर रखना जैसे उपाय शामिल हैं ताकि किसी विदेशी राष्ट्र को इसे बंद करने से रोका जा सके।

10.4. भारत के प्रधानमंत्री रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित

(PM Awarded Russia's Highest Civilian Award)

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, **ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल** से सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार रूस और भारत के मध्य **विशिष्ट एवं विशेषाधिकृत सामरिक साझेदारी को विकसित करने तथा दोनों देशों के नागरिकों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ बनाने** में प्राप्त उपलब्धि के लिए दिया गया है।

VISION IAS

- यह सम्मान सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों एवं विज्ञान, संस्कृति, कला तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को उनकी **"रूस की समृद्धि, महानता और गौरव में योगदान करने वाली असाधारण सेवाओं"** के लिए दिया जाता है।

वर्ष 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी को निम्नलिखित वैश्विक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है:

- **अमीर अमानुल्लाह खान अवॉर्ड- अफगानिस्तान** का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार;
- **आर्डर ऑफ़ किंग अब्दुल्लाजीज साश - सऊदी अरब** का सर्वोच्च नागरिक सम्मान;
- **ग्रैंड कॉलर ऑफ़ द स्टेट ऑफ़ फिलिस्तीन** - विदेशी गणमान्य व्यक्तियों दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान;
- **सियोल शांति पुरस्कार -** सियोल शांति पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा;
- **ऑर्डर ऑफ़ जायद -** संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान; तथा
- **चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ अवॉर्ड- UNEP** द्वारा प्रदत्त संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान।

10.5. कफाला प्रणाली

(Kafala System)

- हाल ही में **संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन** द्वारा यह घोषणा की गयी कि 2019 के अंत तक क़तर **सभी विदेशी श्रमिकों हेतु अपने विवादास्पद एक्जिट वीजा प्रणाली** की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तैयार है।
- क़तर में लगभग 1.2 मिलियन विदेशी कामगार कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांशतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फ़िलीपींस से हैं, जो कुल श्रम शक्ति के 94 प्रतिशत भाग का निर्माण करते हैं।
- पश्चिम एशिया के कई देशों में कफाला व्यवस्था का आरंभ वस्तुतः **नियोक्ताओं और प्रवासी श्रमिकों के मध्य संबंधों को विनियमित करने के लिए** 1950 के दशक में किया गया था।
- इस प्रणाली के तहत किसी प्रवासी श्रमिक की आव्रजन स्थिति उसके अनुबंध की अवधि के लिए कानूनी रूप से एक व्यक्तिगत नियोक्ता या प्रायोजक (कफील) से आबद्ध होती है।
    - **कफील से स्पष्ट लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना** एक प्रवासी श्रमिक न तो देश में प्रवेश कर सकता है, न ही रोजगार परिवर्तित कर सकता है और न ही किसी कारण से देश छोड़ सकता है।
    - गंतव्य देश में प्रवेश करने के क्रम में श्रमिक को **कफील द्वारा प्रायोजित किया जाना** चाहिए और अपने पूरे प्रवास के दौरान इससे आबद्ध रहना चाहिए।

10.6. एशिया और अफ्रीका में त्रिकोणीय विकास सहयोग

(Triangular Development Cooperation in Asia and Africa)

- हाल ही में भारत और अमेरिका द्वारा **वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांत के वक्तव्य (स्टेटमेंट ऑफ़ गाइडिंग प्रिंसिपल: SGP)** के प्रथम संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- नवंबर 2014 में हस्ताक्षरित SGP समझौता, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में भागीदार देशों की विकास आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संरचना प्रदान करता है।
- इस समझौते के तहत, भारत और अमेरिका मुख्य रूप से कृषि, क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार व निवेश, स्वास्थ्य आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए विविध क्षेत्रों में भागीदार देशों को क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करते रहेंगे।
- यह संशोधन SGP समझौते की **वैधता** को 2021 तक **विस्तारित करता** है।
- यह इस संरचना के तहत भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से संचालित **क्षमता निर्माण गतिविधियों** के दायरे का भी विस्तार करता है। इसके अतिरिक्त यह SGP के तहत संचालित गतिविधियों की संयुक्त द्विवार्षिक निगरानी और समीक्षा के लिए एक **परामर्श तंत्र** की स्थापना को प्रावधानित करता है।

10.7. न्यूजेन मोबिलिटी समिट

(NuGen Mobility Summit)

अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्द्र (ICAT) 27-29 नवंबर, 2019 के दौरान NCR स्थित मानेसर में **'न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019'** का आयोजन करेगा।

- **उद्देश्य**
  - **स्मार्ट एवं हरित भविष्य के लिए उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों के त्वरित अनुपालन, समावेशन एवं विकास** हेतु नये विचारों, जानकारियों, वैश्विक अनुभवों, नवाचारों और भावी तकनीकी रुझानों को साझा करना।
  - प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हुई प्रगति को समझने के लिए ऑटोमोटिव उद्योग के **सभी हितधारकों को एकजुट करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना**।
- यह शिखर सम्मेलन, सम्मेलनों, ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं और एक प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा जिसमें **समकालीन और भविष्य की प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया जाएगा और अनुभव पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ** विनिर्माता, आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता अपने उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे।

ICAT के बारे में

- यह भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत **NATRIP इंप्लीमेंटेशन सोसायटी (NATIS)** का एक प्रभाग है।
- यह वाहनों के परीक्षण, सत्यापन, डिजाइन और स्वीकृति (homologation) के लिए सेवाएं प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य वाहन मूल्यांकन और नई पीढ़ी के गतिशीलता समाधानों (mobility solutions) के लिए घटक विकास में **अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने में** मोटर वाहन उद्योग की सहायता करना है।

10.8. ग्लोबल कोएलिशन ऑन क्लीन कूलिंग

(Global Coalition on Clean Cooling)

- हाल ही में कोपेनहेगन (डेनमार्क) में **आयोजित एजेंडा 2030 और पेरिस समझौते के मध्य सहक्रियताओं (Synergies) पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन** में **प्रथम 'ग्लोबल कोएलिशन ऑन क्लीन एंड एफिशिएंट कूलिंग (द कूल कोएलिशन)' का शुभारंभ किया गया।**
- 'कूल कोएलिशन' का उद्देश्य **स्वच्छ एवं कुशल शीतलन की ओर संक्रमण पर कार्रवाई में तीव्रता लाना तथा महत्वाकांक्षा को प्रेरित करना है।**
- यह **UN एनवायरनमेंट**, क्लाइमेंट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, किगाली कूलिंग एफिशियंसी प्रोग्राम और सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल (SEforALL) द्वारा समर्थित एक वैश्विक प्रयास है।
- इसमें चिली और रवांडा के **पर्यावरण मंत्रियों** एवं डेनमार्क के विदेश मंत्री के साथ-साथ डेनमार्क की इंजीनियरिंग फर्म्स डैनफॉस (Danfoss) और एंजी (ENGIE) के प्रमुखों और **सिविल सोसायटी, अनुसंधान, अकादमिक एवं अंतर सरकारी संस्थानों के नेतृत्वकर्ता** सम्मिलित हैं।
- यह एक **एकीकृत मोर्चा** है जो कार्रवाई को किगाली समझौते, पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ता है।
- 'कूल कोएलिशन' एक साथ तीन अवसर अर्थात **वैश्विक तापन को कम करना**, करोड़ों लोगों के **जीवन को बेहतर बनाना** और **बड़े पैमाने पर वित्तीय बचत करना,** प्रदान करता है।
- यह कूलिंग फॉर ऑल सेक्रेटेरियट, क्लाईमेंट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, किगाली कूलिंग एफिशियंसी प्रोग्राम तथा निजी क्षेत्रक कार्रवाई जैसे ग्लोबल कूलिंग प्राइज और अन्य पहलों सहित स्वच्छ एवं कुशल शीतलन के विकास हेतु संचालित **सफल कार्यक्रमों का पूरक होगा एवं इन कार्यक्रमों पर आधारित भी होगा।**

10.9. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

(Kaziranga National Park)

- उच्चतम न्यायालय ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और असम की कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों से उद्गमित नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के निकट सभी खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान**
  - वर्ष 1908 में निर्मित यह उद्यान **पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट** की सीमा पर असम के गोलाघाट और नगाँव जिलों में स्थित है।
  - उद्यान की दक्षिणी सीमा सामान्यतया **मोरा डिफ्लू नदी** द्वारा निर्धारित है तथा आगे दक्षिण में बरेल और मिकिर पहाड़ियाँ अवस्थित हैं।

- **ब्रह्मपुत्र नदी** उद्यान की निरंतर परिवर्तनशील उत्तरी सीमा का निर्माण करती है।
- काजीरंगा से प्रवाहित होने वाली अन्य नदियाँ **डिफ्लू और मोरा धनसिरी** हैं।
- यह **एक सींग वाले (भारतीय) गैंडे** का विश्व प्रमुख वास स्थल है। यहाँ इस प्रजाति की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। इसकी वर्तमान अनुमानित संख्या 2,000 से अधिक (उनकी कुल वैश्विक आबादी का लगभग दो तिहाई) है।
- काजीरंगा में निवास करने वाले अन्य वन्यजीव **हूलॉक गिब्बन, बाघ, तेंदुआ, भारतीय हाथी, स्लॉथ बीयर, वाइल्ड वाटर बफैलो, बारहसिंगा** आदि हैं।
- प्रतिवर्ष बाघों की बढ़ती आबादी के कारण सरकारी प्राधिकरणों ने वर्ष 2006 में काजीरंगा को **टाइगर रिजर्व** घोषित कर दिया था।
- **यूनेस्को** द्वारा उद्यान को वर्ष 1985 में, **विश्व विरासत स्थल के रूप में** घोषित किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, इस उद्यान को पक्षिजातीय (avifaunal) प्रजातियों के संरक्षण हेतु **बर्डलाइफ इंटरनेशनल** द्वारा एक **महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (Important Bird Area)** के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

10.10. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

(National Mission for Clean Ganga)

- लंदन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को "पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ़ द ईयर" अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- विश्व भर की वाटर इंडस्ट्री के प्रमुख व्यवसायिक सम्मेलन 'ग्लोबल वाटर समिट' के दौरान **ग्लोबल वाटर अवॉर्ड्स** प्रदान किये जाते हैं।
- ये अवॉर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय वाटर इंडस्ट्री के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करते हैं तथा इनके द्वारा जल, अपशिष्ट जल और विलवणीकरण के क्षेत्रों में उन पहलों को पुरस्कृत किया जाता है, जो लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार लाती हैं।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)**
  - यह गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय परिषद का क्रियान्वयन विंग है।
  - इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियमन, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रुप में पंजीकृत किया गया है।
  - **NMCG के उद्देश्य**
    - व्यापक योजना और प्रबंधन हेतु अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए नदी बेसिन के दृष्टिकोण को अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण न्यूनीकरण और संरक्षण को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करना।
    - जल की गुणवत्ता और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखना।
  - यह निम्नलिखित का कार्यान्वयन करता है-
    - राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (NGRBA) का वर्क प्रोग्राम (कार्य संबंधी कार्यक्रम)।
    - विश्व बैंक द्वारा समर्थित गंगा नदी घाटी परियोजना का कार्यान्वयन।

10.11. फेस ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट

(Face of Disaster Report)

- गैर-लाभकारी स्वयंसेवी संगठन **SEEDS** (सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी) ने अपनी एक विस्तृत **'फेस ऑफ डिजास्टर्स' रिपोर्ट** जारी की है। यह रिपोर्ट आपदाओं की परिवर्तित प्रकृति और रोजमर्रा के जीवन पर उनके प्रभाव की जटिलताओं को व्यक्त करती है।
- इसके अनुसार, इस वर्ष (2019) भारत में अत्यल्प और अत्यधिक वर्षा की चरम परिस्थितियाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही हैं। **ग्रीष्मकाल के आरम्भ होने से पूर्व ही एक महत्वपूर्ण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है**। मानसून के दौरान अप्रत्याशित स्थानों पर विशाल पैमाने की बाढ़ की स्थितियाँ अब सामान्य घटनाएँ बनती जा रही हैं।

10.12. राइस नॉलेज बैंक

(Rice Knowledge Bank)

- हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित **असम एग्री-बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन (APART)** परियोजना के एक भाग के रूप में **राइस नॉलेज बैंक-असम** का शुभारंभ किया गया।
- **राइस नॉलेज बैंक** चावल उत्पादन तकनीक, कृषि प्रौद्योगिकियों, सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं और राज्य कृषि सुविधाओं पर ज्ञान के संवर्धन हेतु समर्पित एक **कृषि वेब पोर्टल** है।
- यह पोर्टल **असम रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज सोसाइटी (ARIASS)** तथा **असम कृषि विश्वविद्यालय (AAU)** के प्रयासों और **अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI)** से प्राप्त तकनीकी सहायता का परिणाम है।

अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (International Rice Research Institute: IRRI)

- यह एक **अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन** है, जिसका मुख्यालय **फिलीपींस** में स्थित है।
- यह **1960 के दशक की हरित क्रांति में योगदान** देने वाली चावल की उन किस्मों को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध है जिन्होंने एशिया में अकाल की समस्या का निवारण किया।
- IRRI **कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स (CGIAR)** के 15 स्वतंत्र और गैर-लाभाकारी अनुसंधान संगठनों में से एक है। **CGIAR** वस्तुतः खाद्य सुरक्षा पर अनुसंधान में संलग्न संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है।
- IRRI जलवायु प्रत्यास्थ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, कृषि कार्य के दौरान उनके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने तथा बाजार संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के द्वारा चावल उत्पादन प्रणालियों और प्रबंधन रीतियों के उन्नयन पर **तकनीकी दिशा-निर्देश** उपलब्ध करवाता है।

10.13. 20वीं पशुधन गणना

(20th Livestock Census)

- **पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग** (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय) के तत्वावधान में 1919-20 से देश में **प्रत्येक 5 वर्ष में** पशुधन गणना की जाती है।
- 20वीं पशुधन गणना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से **भारत के सभी जिलों में** आयोजित की जाएगी।
- घरों (पारिवारिक इकाइयों), घरेलू उद्यमों/गैर-घरेलू उद्यमों और संस्थानों के स्वामित्व वाली **पशुओं की विभिन्न प्रजातियों** / पोल्ट्री (कुक्कुट) पक्षियों की गणना उनके स्थल (पाले जाने के स्थान) पर की जाएगी। पशुओं की इन प्रजातियों में मवेशी, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, गधा, ऊँट, कुत्ता, खरगोश और हाथी तथा पोल्ट्री पक्षियों में फाउल (मुर्गा), बत्तख, एमू, टर्की, बटेर और अन्य पोल्ट्री पक्षी शामिल हैं।
- यह गणना एक **नस्ल-वार पशुधन गणना** होगी, जो नस्ल सुधार के लिए नीतियों या कार्यक्रमों को तैयार करने में सहायक होगी।
- वर्तमान में विश्व की **सर्वाधिक पशुधन आबादी** (125.5 करोड़) भारत में है।

10.14. माईग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2018

(Migration and Development Brief 2018)

- हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा माईग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2018 जारी किया गया।
- भारत द्वारा विश्व के शीर्ष प्रेषण (रेमिटेंस) प्राप्तकर्ता के रूप में अपना स्थान बनाए रखा गया है।
- भारत के पश्चात् **चीन** (67 बिलियन डॉलर), **मैक्सिको** (36 बिलियन डॉलर), **फिलीपींस** (34 बिलियन डॉलर) और **मिस्र** (29 मिलियन डॉलर) का स्थान है।

10.15. खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2019

(Global Report on Food Crises 2019)

- खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2019 **यूरोपीय संघ**, **खाद्य और कृषि संगठन** (FAO) और **संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई।**
- **यह रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क (FSIN)** द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है।

- FSIN **खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) तथा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट (IFPRI)** द्वारा प्रारंभ एक पहल है। इसका उद्देश्य विश्लेषण और निर्णय निर्माण को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु विश्वसनीय एवं सटीक डेटा के सृजन के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है।
- यह विशेषज्ञता, ज्ञान और सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान, सामंजस्यपूर्ण तरीकों और उपकरणों को विकसित करने तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा माप और विश्लेषण पर क्षमता विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक **तटस्थ तकनीकी मंच** के रूप में कार्य करता है।

10.16. ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट

(Global Food Policy Report)

- **हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (International Food Policy Research Institute: IFPRI)** ने **ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट- 2019** जारी की है।
- ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट-2019 वस्तुतः वर्ष 2018 की प्रमुख नीतिगत प्रगतियों की समीक्षा करती है और 2030 के सतत विकास एजेंडे को प्राप्त करने तथा ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्ध रीति से ग्रामीण पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करती है।
- इस रिपोर्ट में ग्रामीण-शहरी संपर्क को मजबूत करने हेतु **रूर्बनॉमिक्स (rurbanomics)** दृष्टिकोण की अनुशंसा की गई है। रूर्बनॉमिक्स एक दृष्टिकोण है जो खाद्य श्रृंखला और ग्रामीण कल्याण के संचालकों के रूप में; मूल्य श्रृंखलाओं हेतु प्रेरणादायक मंच के रूप में तथा गुणवत्तापूर्ण पर्यावरणीय सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के महत्व पर बल देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को नगरीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ समान भागीदारों के रूप में स्थापित करता है।

IFPRI वर्ष 1975 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, जो विकासशील देशों में **निर्धनता को सतत रीति से कम करने और भूख एवं कुपोषण को समाप्त करने** हेतु नीतिगत समाधान उपलब्ध करवाता है।

10.17. वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS) पुरस्कार

{World Summit on the Information Society (Wsis) Awards}

- पश्चिम बंगाल सरकार की दो योजनाओं **"उत्कर्ष बांग्ला"और "सबुज साथी"** को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS) पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
  - **उत्कर्ष बांग्ला' योजना** के तहत **स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को** 400 से 1200 घंटे तक के **निःशुल्क प्रशिक्षण के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।**
  - **'सबुज साथी' योजना का उद्देश्य छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों को सशक्त बनाना** और सरकार द्वारा संचालित एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा मदरसों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 के लक्षित विद्यार्थियों को साइकिल वितरित करके **उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट को कम करना** है।
- **WSIS फोरम** संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक वैश्विक बहु-हितधारक मंच है।
- संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों के घनिष्ठ सहयोग के साथ इसे ITU, UNESCO, UNDP और UNCTAD द्वारा सह-आयोजित किया जाता है।
- यह समुदाय के विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से संबंधित विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक सभा का आयोजन करता है।

10.18. USTR ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया

(USTR Places India on Priority Watch List)

- यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रजेंटेटिव (USTR) द्वारा जारी नवीनतम **स्पेशल 301 रिपोर्ट** में भारत को "प्रायोरिटी वॉच लिस्ट" में बनाए रखा गया है।
  - स्पेशल 301 रिपोर्ट वस्तुत: सम्पूर्ण विश्व के अमेरिकी व्यापारिक साझेदार राष्ट्रों में बौद्धिक संपदा की रक्षा और प्रवर्तन की स्थिति की वार्षिक समीक्षा का परिणाम है।

- USTR प्रत्येक वर्ष उन देशों की पहचान करता है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों को "पर्याप्त और प्रभावी" सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं या जो बौद्धिक संपदा अधिकारों पर निर्भर संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्तियों को “उचित और समान” बाजार पहुंच प्रदान नहीं करते हैं।
- यह रिपोर्ट राष्ट्रों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों - प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री (PFC) और प्रायोरिटी वॉच लिस्ट (PWL) के अंतर्गत रैंक प्रदान करती है।
- उल्लेखनीय है कि PFC श्रेणीकरण USTR को एकपक्षीय उपाय करने के लिए बाध्य करता है, जैसे- वार्ता के विफल होने की स्थिति में व्यापार रियायतों को निलंबित करना, परन्तु PWL श्रेणीकरण 'समस्याग्रस्त क्षेत्रों के संबंध में द्विपक्षीय ध्यान केंद्रित' करने में वृद्धि करता है।

10.19. सैन्य अभ्यास

(Military Exercises)

- **बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019:** यह **भारत** और **सिंगापुर** के मध्य एक **संयुक्त सैन्य अभ्यास है।**
- **इंडियन नेवी-वियतनाम पीपल्स नेवी बाइलैटरल एक्सरसाइज़ (IN–VPN BILAT EX):** यह **भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी** के मध्य हुए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का द्वितीय संस्करण है।
- **वरुण अभ्यास:** यह **भारत और फ्रांस** के मध्य एक नौसैन्य अभ्यास है।

10.20. INS इम्फाल

(INS Imphal)

- भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने प्रोजेक्ट 15B के भाग के रूप में अपने तीसरे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर (INS इंफाल) को लॉन्च किया।
- **प्रोजेक्ट 15B**
  - **मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड,** मुंबई को प्रोजेक्ट 15B (P 15B) के तहत चार गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के निर्माण का कार्य सौंपा गया है।
  - P 15B जहाजों के डिजाइन को **नौसेना डिज़ाइन निदेशालय** द्वारा भारत में ही विकसित किया गया है।
  - ये जहाज अत्याधुनिक हथियार/सेंसर पैकेज, उन्नत स्टील्थ विशेषताओं और उच्च डिग्री के ऑटोमेशन के साथ विश्व के तकनीकी रूप से सर्वाधिक उन्नत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं।
  - प्रोजेक्ट 15B के तहत नौसेना द्वारा पहले ही **INS विशाखापट्टनम और INS मोरमुगाओ** को लॉन्च किया गया था।

10.21. निर्भय मिसाइल

(Nirbhay Missile)

- **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)** ने ओडिशा की एक परीक्षण रेंज से **स्वदेशी रूप** से डिजाइन एवं विकसित **लंबी दूरी की प्रथम सब-सोनिक क्रूज़ मिसाइल 'निर्भय'** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- इस मिसाइल को **विभिन्न प्लेटफॉर्मों से प्रक्षेपित** किया जा सकता है तथा यह **परम्परागत एवं नाभिकीय आयुधों को ले जाने में** सक्षम है।
- यह मिसाइल 100 मीटर की कम ऊंचाई पर भी 700 मीटर से 1,000 किमी की रेंज के साथ धीमी गति और 0.7 मैक की सामान्य गति से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। विशिष्ट मिसाइल शैली में इसके प्रक्षेपण के पश्चात्, इसे एयरक्राफ्ट मोड में नियंत्रित किया जा सकता है।
- मिसाइल के निर्देशन, नियंत्रण और नेविगेशन सिस्टम को **स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए रिंग लेजर के ज़ाइरोस्कोप और MEMS आधारित, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के अनुरूप** तैयार किया गया है।

10.22. विश्व का सबसे बड़ा विमान

(World's Largest Plane)

- हाल ही में, विश्व के सबसे बड़े विमान {डैनों के विस्तार (wingspan) के आधार पर} ने अपनी प्रथम उड़ान का परीक्षण पूर्ण किया।
- इसे एक विमान निर्माण उद्यम स्ट्रैटोलॉन्च द्वारा विकसित किया गया है। इसे **उपग्रहों के लिए फ्लाइंग लॉन्च पैड के रूप में कार्य करने और कक्षा में पेलोड स्थापित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।**

10.23. होप प्रोब प्रोजेक्ट

(Hope Probe Project)

- हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अंतरिक्ष एजेंसी और मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा 'होप प्रोब प्रोजेक्ट' के 85% भाग के पूर्ण होने की घोषणा की गई।
- 'होप प्रोब' मंगल ग्रह पर एक मिशन भेजने हेतु संयुक्त अरब अमीरात की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह किसी बाह्य ग्रह के अन्वेषण हेतु प्रक्षेपित किया जाने वाला प्रथम अरब प्रोब है।

10.24. रॉयल सोसायटी ऑफ़ लंदन

(Royal Society of London)

- हाल ही में, गगनदीप कंग 'फेलो ऑफ़ द रॉयल सोसाइटी (FRS)' लंदन के रूप में चयनित होने वाली **प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक बनीं।**
- विगत में इसके सदस्य रहे अन्य प्रमुख भारतीयों में श्रीनिवास रामानुजन, जगदीश चंद्र बोस, सी.वी. रमन आदि सम्मिलित हैं।
- रॉयल सोसाइटी एक **स्वशासी फेलोशिप** है जो **UK और कॉमनवेल्थ** के सर्वाधिक प्रख्यात वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों से मिलकर बनी है। शोधकर्ताओं और विदेशी सदस्यों को विज्ञान में उत्कृष्टता के आधार पर एक समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से जीवन भर के लिए चुना जाता है।

10.25. हनीपॉट

(Honeypot)

- साइबर अपराधियों द्वारा मुंबई के एक क्लाउड सर्वर हनीपॉट पर एक माह में 678,000 से अधिक बार अटैक करने का प्रयास किया गया।
- **हनीपॉट** एक प्रणाली है जो साइबर अपराधियों के संभावित लक्ष्यों की नकल करती है। इसका प्रयोग साइबर अपराधियों के व्यवहार की निगरानी करने के उद्देश्य से उन्हें (साइबर अपराधियों को) नकली/भ्रामक वेबसाइट या कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करने हेतु आकर्षित करने के लिए किया जाता है।
- हाल ही में, **विश्व के अत्यधिक लोकप्रिय अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के 10 डेटा सेंटरो** में हनीपॉट स्थापित किए गए थे।

10.26. AJIT

- हाल ही में IIT बॉम्बे की एक टीम द्वारा डिजाइन की गई AJIT चिप का अनावरण किया गया।
- यह स्पार्क इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर (SPARC ISA) के लिए देश का प्रथम स्वदेश निर्मित माइक्रोप्रोसेसर है।

- हाल ही में भारत द्वारा **शक्ति (IIT मद्रास द्वारा विकसित)** के रूप में अपना पहला स्वदेशी ओपन-सोर्स प्रोसेसर विकसित किया गया था। यह RISC-V आर्किटेक्चर पर आधारित था।
- शक्ति एवं AJIT के मध्य एक प्रमुख अंतर यह है कि शक्ति अपेक्षाकृत लघु युक्ति है और स्मार्टफोन तथा इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स(IoT) उपकरणों के लिए तैयार की गयी है। वहीं AJIT को बड़ी प्रणालियों जैसे- रोबोट, ऑटोमेशन प्रणाली, अप्लाइन्सेज़ और भविष्य में संभवतः सर्वरों एवं वर्कस्टेशनों में प्रयुक्त करने हेतु विकसित किया गया है।

10.27. सरस्वती सम्मान

(Saraswati Samman)

- **तेलुगू कवि के. शिवा रेड्डी** को उनके 'पक्ककी ओत्तिगिलिते' (लेटे-लेटे करवट बदलना) शीर्षक वाली कविताओं के संग्रह हेतु वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया।
- इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्थापना **के. के. बिड़ला फाउंडेशन** द्वारा की गई थी। इसे **प्रत्येक वर्ष संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित किसी भी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट कृति हेतु प्रदान किया जाता है।**
- इस पुरस्कार के तहत व्यक्ति को 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि के अतिरिक्त एक प्रशस्ति पत्र एवं पट्टिका प्रदान की जाती है।
- सरस्वती सम्मान के अतिरिक्त के. के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दो अन्य साहित्यिक पुरस्कार- **व्यास सम्मान** एवं **बिहारी पुरस्कार** भी प्रदान किए जाते हैं।

10.28. हालिया GI टैग

(Recent GI Tags)

इस वर्ष वर्तमान समय तक विभिन्न राज्यों के 14 उत्पादों को भोगौलिक संकेतक (Geographical Indicators: GI) टैग प्रदान किए गए हैं।

राज्य	उत्पाद
ओडिशा	• **कंधमाल हल्दी:** इसका उत्पादन कंधमाल जिले के जनजातीय लोगों द्वारा जैविक रूप से किया जाता है। यह उच्च रोगाणुरोधी (antimicrobial), प्रज्वलनरोधी (anti-inflammatory) गुणों तथा कैंसर-रोधी (anti-carcinogenic) गुणवत्ता से युक्त है।
तमिलनाडु	• **इरोड हल्दी:** यह विशिष्ट सुनहरे पीले रंग की होती है तथा मीठा स्वाद एवं बेहतर सुगंध इसकी विशेषताएं हैं। • **थिरुबुवनम की रेशम साड़ियाँ**
कर्नाटक	• **सिरसी की सुपारी:** यह GI टैग प्राप्त करने वाली सुपारी **क्षेत्रक का प्रथम उत्पाद है। रासायनिक संरचना में भिन्नता** के कारण अन्य सुपारियों की तुलना में इसका अपना एक विशिष्ट स्वाद है। इसमें फ्लेवोनोइड्स की मात्रा औसतम 90 है, जबकि अन्य सुपारियों में यह लगभग 80 होती है। • **कूर्ग की अरेबिका कॉफ़ी** • **चिकमगलूर की अरेबिका कॉफ़ी** • **बाबा बूदन गिरि की अरेबिका कॉफ़ी**
केरल	• **मरयूर गुड़:** इसकी विशेषताओं में कम लवणीय परंतु अधिक मीठा स्वाद, आयरन की अत्यधिक मात्रा, न्यून सोडियम, कम अघुलनशील अशुद्धियां, उत्पादन की जैविक विधि इत्यादि शामिल हैं। • **वायनाड की रोबस्टा कॉफ़ी**
आंध्र प्रदेश	• **अराकू घाटी की अरेबिका कॉफ़ी:** यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले एवं ओडिशा के कोरापुट जिले के समीप

VISION IAS

	उगाई जाती है।
छत्तीसगढ़	• **जीराफूल:** यह चावल की अत्यंत महीन किस्म है।
उत्तर प्रदेश	• **चुनार बलुआ पत्थर (standstone):** यह प्राकृतिक वस्तुओं (natural goods) की श्रेणी के अंतर्गत GI टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान के मकराना मार्बल के पश्चात् दूसरा उत्पाद है।
हिमाचल प्रदेश	• **हिमाचली चुली (apricot) का तेल** • **हिमाचली काला जीरा (black cumin)**

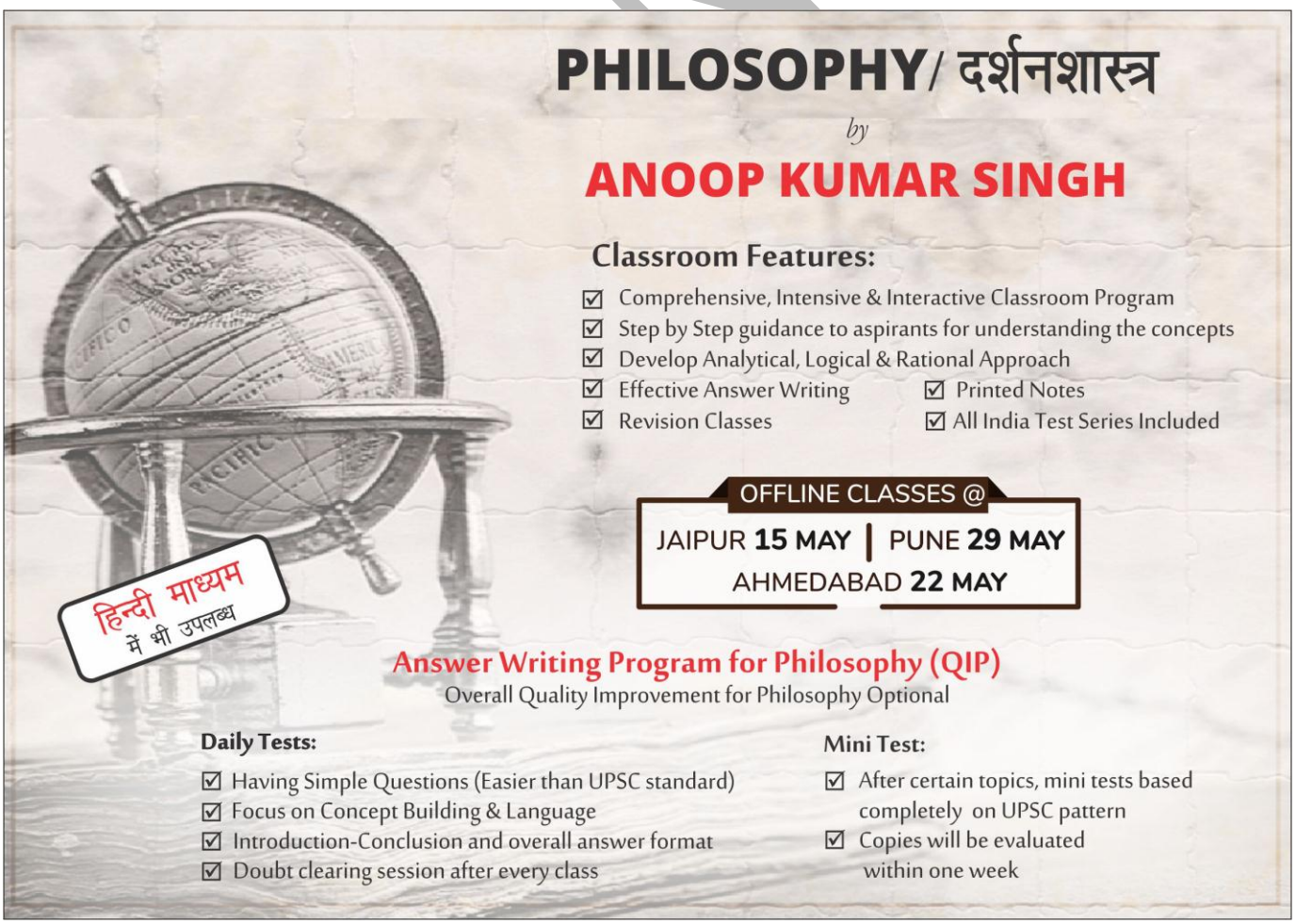

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes In News)

11.1. नई यूरिया नीति, 2015

(New Urea Policy, 2015)

हाल ही में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने मौजूदा गैस आधारित इकाइयों हेतु नई यूरिया नीति 2015 के विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करना, • यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना • सरकार पर सब्सिडी के बोझ को युक्तियुक्त बनाना।	• उर्वरक विभाग ने **ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में** घरेलू यूरिया क्षेत्र को **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी** बनाने हेतु इस नीति को अधिसूचित किया था। • यह मौजूदा 25 गैस आधारित इकाइयों पर लागू है। • नीति के तहत 25 यूरिया इकाइयों को उस दशा में उत्पादन **लागत पर सब्सिडी** प्रदान की जाती है जब उनका उत्पादन अधिसूचित की गई एक निश्चित उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाता है। • 25 गैस आधारित यूरिया संयंत्रों को कुछ ऊर्जा मानदंडों के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये इकाइयाँ प्रत्येक समूह हेतु निर्धारित **ऊर्जा मानदंडों के आधार पर रियायत के लिए पात्र हैं**। • यह ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी और विभिन्न उपायों का चयन करने के लिए यूरिया इकाइयों को प्रेरित करेगी। • यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार के सब्सिडी भार में दो तरीकों से कमी होगी - विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंडों में कटौती और उच्च घरेलू उत्पादन के कारण आयात प्रतिस्थापन।

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE
PRELIMS GS PAPER - 1

FOUNDATION COURSE
GS MAINS

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

Duration: 90 classes (approximately)

- Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination

Duration: 110 classes (approximately)

- Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- Includes All India GS Mains and Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform Includes comprehensive, relevant & updated study material

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.